खण्ड-110, अंक-2
मंगलवार, 1 आश्विन, शक संवत् 1874
(23 सितम्बर, 1952 ई0)

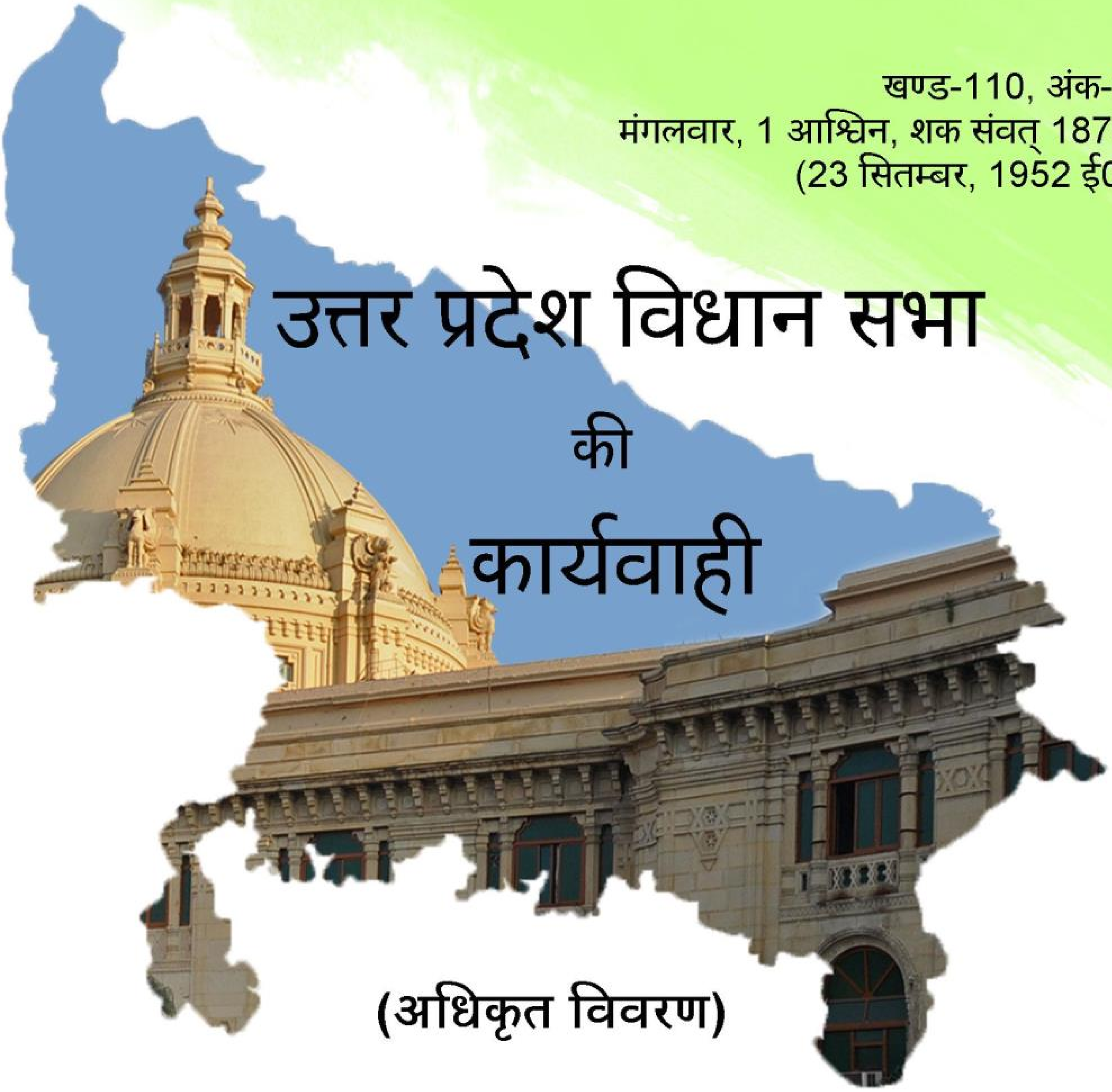

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 110 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मङ्गलवार, २३ सितम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालो चरण टण्डन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पान्डेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा धर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री

गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्र भानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरन्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुला राम, श्री
तुला राम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देव दत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पान्डेय, श्री
धनुषधारी पान्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री

विधान पुस्तकालय
१३ अप्रैल १९५८
उत्तर प्रदेश

उपस्थित सदस्यों की सूची

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मित्तल, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारुक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मन्जूरुल नबी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणन्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजा राम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पान्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल , श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
राम दास आर्य, श्री
राम दास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देश मुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी श्री,
रामशंकर रविवासी ,श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पान्डे, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
राम हरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट , श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अध्वाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा , श्री
वसी लखनवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र , श्री
व्रजरानी मिश्र , श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र , श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद , श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पान्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह , श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री

श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहाँ मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यबली पान्डेय, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खाँ हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हर खयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होती लाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

एजूकेशन कोड में संशोधन करने के निमित्त सचिवालय में एक अधिकारी की नियुक्ति

*१--श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Education code का संशोधन (Revise) करने के लिये कोई अधिकारी सरकारी सचिवालय में नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो कब से?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--जी हां, दिनांक १७ मई, १९४८ से।

*२--श्री नारायण दत्त तिवारी--इस समय तक कितना कार्य इस सम्बन्ध में हो चुका है और कितना शेष है?

डाक्टर सीताराम--इन्होंने प्रथम कुल एजुकेशन कोड का हिन्दी अनुवाद किया। इसमें शिक्षा विभाग की नवीन योजनाओं तथा परिवर्तनों के फलस्वरूप पुनः संशोधन आवश्यक हो गया, जो अभी तक चालू है। कोड के १५ अध्यायों में ३ संशोधित अध्याय प्रेस में छपने के लिये भेजे जा रहे हैं। केवल ९-१० अध्यायों को छोड़ अन्य सभी अध्याय भी संशोधित हो चुके हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री कृपया बतलाएंगे कि १७ मई, १९४८ से आजतक चार साल में एजुकेशन कोड का अनुवाद होने का काम पूरा क्यों नहीं हुआ ?

डाक्टर सीताराम--इस कार्य के अलावा वह अधिकारी और भी कार्य करते हैं। उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही कर देंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री कृपया बतलाएंगे कि और क्या कार्य करते रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम--जी हां। (१) मंत्री, देवनागरी लिपि सुधार समिति (२) मंत्री, उत्तर प्रदेश शिक्षा संग्रहालय समिति। (३) मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय खिलौना प्रदर्शन। (४) मंत्री, उत्तर प्रदेशीय माध्यम शिक्षा संगठन समिति। वह अपना पूरा समय मार्च, १९५२ से इस समिति में दे रहे हैं। (५) गोरखपुर विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक बनाने का कार्य।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि एजूकेशन कोड के संशोधन में इतनी देर होने के कारण सारे प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं को काफी अड़चनें पड़ रही हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--लेकिन वह आवश्यक इस वजह से हो गई है कि उसमें जो परिवर्तन हुए हैं उनमें यह सम्भव है कि और परिवर्तन हों, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा समिति भी बैठी हुई है। इसलिए उसमें देर होनी आवश्यक है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलाएंगे कि जब कि तीन संशोधित अध्याय छपने गये हैं तो बाकी दस अध्याय, जो संशोधित हो चुके हैं, वह छपने क्यों नहीं गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--वह इसलिये कि जो छपने भेजे गये हैं उन तीनों में संशोधन नहीं होंगे।

*३--श्री नारायण दत्त तिवारी--इस अधिकारी की क्या विशेष योग्यता है तथा उसका वेतन क्या है ?

डाक्टर सीताराम--ये बी० ए०, एल-एल० बी० हैं और इनको यू० पी० ई० एस० (जूनियर स्केल) वेतन--क्रम २५०--२५--४०० यो० प्र० ३०--७०० यो० प्र० ५०--८५० में ३५० रुपये मासिक वेतन मिलता है।

मेरठ की तहसील बागपत में भीषण वर्षा से हानि

*४--श्री रघुवीर सिंह (जिला मेरठ)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला मेरठ की तहसील बागपात में भीषण वर्षा के कारण कितने गांवों में नुकसान हुआ है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--जिला मेरठ की तहसील बागपत में भीषण वर्षा के कारण लगभग ८० गावों को क्षति पहुंची है।

श्री फतेह सिंह राणा (जिला मेरठ)--क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जिला मेरठ में बाढ़ सम्बन्धी कानून लागू कर दिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसकी तो सूचना नहीं है।

*५--श्री रघुवीर सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि भीषण वर्षा के कारण ग्राम डोला, भोतली, पड़ा वली टटीरी महन्वा, खट्टा, चोहलदा और पावला ग्रामों में अधिकांश मकान गिर गये हैं और फसल बरबाद हो गई है ? यदि हां, तो सरकार बेघर-बार लोगों को क्या सहायता कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इन ग्रामों में मकानों तथा फसलों को जो हानि पहुंची है उसके निश्चित आंकड़े तो अभी उपलब्ध नहीं हैं, पर हानि निस्सन्देह काफी हुई है।

बेघरबार हुये लोगों को सहायता के लिये सरकार ने जो कार्यवाही की है वह इस प्रकार है:-

(१) १० हजार रुपये अहेतुक सहायता में वितरण करने को स्वीकृत हुआ है ।

(२) लोगों को मकान के सामान के लिये परमिट दिया जायगा। आर्थिक सहायता के लिये तकावी भी दी जायेगी, इसके लिये ५०,००० रु० दिये जाने को निश्चय हुआ है।

(३) खाद्य तथा पूर्ति विभाग द्वारा मोटे अनाज का प्रबन्ध किया गया है जो लोगों को खुले बाजार के भावों पर दिया जाता है।

(४) औषधि तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुओं की सफाई तथा मलेरिया की औषधि के वितरण की व्यवस्था की गई है।

(५) फसल की हानि का ठीक अंदाजा हो जाने पर मालगुजारी में छूट, जो उचित होगी, दी जायेगी ।

श्री रघुवीर सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि १० हजार, जो सहायता के लिये दिया गया, वह वितरण हो चुका है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह वितरण हो रहा है।

श्री रघुवीर सिंह--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि यह रुपया जिन घरों को नुकसान हुआ है उनमें एक घर के लिये कितना दिया जा रहा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह तो नुकसान के अनुसार और आवश्यकतानुसार दिया जायगा ।

श्री हरखयाल सिंह (जिला मेरठ)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सवाल सं० ५ के उत्तर में जो सूची दी गयी है उसमें जो गांव हैं उनके अतिरिक्त भी तहसील के और गांवों में वर्षा से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इस वक्त ३७ गांवों की सूची हमारे पास है, लेकिन रिपोर्ट यह है कि लगभग ८० गांव में इस प्रकार नुकसान हुआ।

*६--**श्री रघुवीर सिंह**--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिन गावों में नुकसान हुआ है उन गांवों के किसानों को बीजादि की सहायता देने के सम्बन्ध में वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिलाधीश कृषि विभाग के बीज गोदामों से किसानों को अधिक से अधिक बीज दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बीज के लिये जिले भर के क्षति-ग्रस्त किसानों को एक लाख की तकावी का भी प्रबंध किया गया है ।

श्री फतेह सिंह राणा--क्या माननीय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन लोगों को तकावी दी जायगी वह जमीन के मालिक को ही दी जायगी या जो जमीन का मालिक नहीं है उसको भी दी जायगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मकान के लिये जो ५० हजार रुपया स्वीकृत हुआ है वह तो मकानों की क्षति को देखकर चाहे वह खेती वाले हों या नहीं, दी जायगी लेकिन तकावी का रुपया तो तकावी के कानून के मुताबिक दिया जायगा ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में जो बीज-वितरण किया जायगा वह अबतक कितना इकट्ठा कर लिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--रुपया निर्धारित किया गया है बीज कितना है उसकी सूचना नहीं है।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस बीज आदि के देने में केवल पटवारी का रिकार्ड ही सहायता देता है या उसको खेती को कितनी आवश्यकता है इससे अनुमान लगाया जाता है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--खेती भी देखी जाती है और पटवारी की रिपोर्ट भी देखी जाती है।

लगान वसूल करने के लिये नायब तहसीलदारों की भर्ती

*७--**श्री महाराज सिंह** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त लगान वसूल करने के लिये वह कितने नायब तहसीलदार रखने का विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जमींदारी उन्मूलन के सिलसिले में मालगुजारी वसूल करने के लिये सरकार का ८०० नायब तहसीलदार रखने का इरादा है। उनमें से २०० नायब तहसीलदार १२ महीने के लिये होंगे और ६०० हर साल ६ महीने के लिये रक्खे जायेंगे।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि छै सौ नियुक्तियां जो जिलाधीशों के द्वारा होने जा रही हैं वे कब तक हो जायंगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--वे गालिबन इसी अक्तूबर के अन्दर-अन्दर हो जायंगी।

*८--**श्री महाराज सिंह**--क्या ऐसे नायब तहसीलदारों को रखने के लिये सरकार ने समाचार-पत्रों में विज्ञापन छपाया है ? अगर हाँ, तो किन किन समाचार-पत्रों में किस किस तारीख में विज्ञापन छपा और उस विज्ञापन के आधार पर अंतिम तिथि तक कितनी दरख्वास्तें नायब तहसीलदारों के इच्छुकों की प्राप्त हुयीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार ने इनमें से सिर्फ ३० आदमियों की नियुक्ति के लिये समाचार-पत्रों में विज्ञापन छपाया था। जिन जिन तारीखों में और जिन जिन अखबारों में वह विज्ञापन छपा था उसकी फेहरिस्त जवाब के साथ नत्थी है। उम्मीदवारों की दरख्वास्तें साढ़े पाँच हजार से अधिक हैं उनको फेहरिस्त में दर्ज करने और (classify) करने का काम अभी तक जारी है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १८३ पर)

श्री महाराज सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब आठ सौ नायब तहसीलदारों की वृद्धि करनी है तब ३० ही नायब तहसीलदारों का विज्ञापन अखबार में क्यों निकाला गया और वह भी इतनी शार्ट नोटिस पर कि २५ तारीख लास्ट डेट थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इस आठ सौ में छै सौ की नियुक्ति जिला मैजिस्ट्रेटों को बाद में करनी है। दो सौ की नियुक्ति यहाँ से होगी जो बारह महीने के लिये होंगे। उन्हीं में से तीस का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। १७० ऐसे हैं जो कि कोर्ट आफ वार्ड्स या सप्लाई डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में से, जो अभी सर्विस में हैं चुनकर भर्ती किये जायेंगे। इस प्रकार तीस ही ऐसे हैं जो बाहर से लिये जायेंगे और उन्हीं का विज्ञापन किया गया है। जैसा सूची में दिया गया है वह विज्ञापन काफी अखबारों में प्रकाशित हुआ है और इसका इससे भी पता लग जाता है कि साढ़े पाँच हजार दरख्वास्तें तीस के लिये आई हैं। इसलिये यह कहना कि देर से विज्ञापन किया गया है कोई माने नहीं रखता है।

श्री महाराज सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तीस स्थानों के लिये, जो विज्ञापन छपा है उनमें से कितने बारह महीने के लिये और कितने छै महीने के लिये नियुक्त किये जायेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सब बारह महीने के लिये नियुक्त किये जायेंगे।

श्री महाराज सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १२ महीने की नियुक्ति के लिये जो विज्ञापन निकाला गया है वह पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से क्यों नहीं निकाला गया?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसके लिये सरकार ने एक कमेटी बना दी है, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के भी एक मेम्बर रहेंगे बकिया लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर हैं, डी० सी० लखनऊ हैं, कोर्ट आर्फ वार्ड्स के प्रेसीडेंट और सिविल सप्लाईज के फूड कमिश्नर हैं। इन पाँच आदमियों की कमेटी इस बात का फैसला करेगी कि कौन-कौन से लिये जायं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो कमेटी नियुक्त हुई है वह नायब तहसीलदारों को नियुक्त करते हुए पोलिटिकल सफरर्स को तरजीह देगी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--हाँ, कई हैं जैसे शेड्यूल कास्ट वगैरा, उसी तरह पोलिटिकल सफरर्स के लिये नियम में रख दिया गया है कि उनको भी तरजीह दी जायगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो तीस नायब तहसीलदार नियुक्त किये जा रहे हैं उनमें कितने हरिजन होंगे?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--१० परसेंट उनका जो रिजर्वेशन है उसका खयाल किया जायगा।

प्रदेशीय पटवारियों के एसोसियेशन की मांगें

*९--श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाल ही में उत्तर प्रदेशीय पटवरियों के एसोसियेशन ने अपनी कठिनाइयों व अधिकारों के संबंध में कुछ माँगे सरकार से की थीं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हाँ।

श्री खुशीराम--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन पटवारियों की क्या क्या माँगें थीं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--उनकी माँगें तो करीब ९ हैं जिनमें खास ये हैं कि उनको होल टाइम गवर्नमेंट सर्वेन्ट माना जाय, उनको और सरकारी नौकरों की तरह से भत्ता वगैरह दिया जाय और उनके तबादले वगैरह के मुताल्लिक जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिये कानून लागू हैं वही कानून लागू किया जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को मालूम है कि पहाड़ी प्रदेशों में जो पटवारी हैं उनको थानेदार की पावर्स दी हुई हैं?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--हाँ, उनको पुलिस पावर्स हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--तो क्या सरकार उनको, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि वह कहते हैं कि हमें परमानेंट नौकर माना जाय, परमानेंट नौकर नहीं मानती है?

श्री हुकुम सिंह--जो माँगें पेश हुई हैं वे प्लेन्स के पटवारियों की तरफ से पेश हुई हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि पटवारियों ने जो कुछ माँगें अपनी पेश की हैं उनमें तनख्वाह की वृद्धि का भी प्रश्न है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से जो ९ माँगें हैं मैं उनको पूरी पढ़ दूं।

अध्यक्ष--पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने संक्षेप में पूछा है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी अच्छा। वे कहते हैं कि हमारी तनख्वाह भी ६०-४-८०-५-१२० की जाय।

*१०--**श्री खुशीराम**--यदि हाँ, तो सरकार उनके संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार इन मांगों पर विचार कर रही है।

मिर्जापुर जिले में चील्ह घाट पर गंगा पर पुल की आवश्यकता

*११--**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)--क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के अन्तर्गत चील्ह घाट पर गंगाजी में पुल बनवाने की कोई योजना चल रही है ?

निर्माण उपमन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--जी नहीं।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर गंगा घाट पर प्रत्येक वर्ष पुल बनवाने में कितना रुपया खर्च किया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसमें सूचना की जरूरत है। कोई इत्तिला नहीं है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या माननीय मंत्री को यह भी पता है कि मिर्जापुर में पीतल का रोजगार अधिक होने के कारण कई जिलों के यात्री और व्यापारी उस सड़क से अधिकतर जाया करते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हाँ, बहुत से यात्री जाते हैं।

*१२--**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**--यदि हाँ, तो कब से ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

बाराबंकी जिले में नहर विभाग के विरुद्ध नाजायज कुलाबे लगाने की शिकायतें

*१--**श्री उमाशंकर मिश्र** (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार को मालूम है कि बाराबंकी जिले में नहर विभाग की नाजायज कुलाबे लगाने आदि भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं ?

सिंचाई उपमन्त्री (श्री राममूर्ति)--जी हाँ।

*२--**श्री उमाशंकर मिश्र**--क्या यह सही है कि अभी हाल में याकूतगंज ग्राम में इसी तरह का एक कुलाबा पकड़ा गया और एक पतरौल को मुअत्तल करने के बाद फिर उसे बहाल कर दिया गया ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं, ऐसा कोई कुलाबा तो नहीं पकड़ा गया बल्कि याकूतगंज ग्राम के पास पलरही और चौलंकी माईनर्स कई जगह कटे हुये पाये गये थे जिसके फलस्वरूप वहाँ के पतरौल को मुअत्तल कर दिया गया था। जाँच करने पर यह ज्ञात हुआ कि इस सारी गड़बड़ी के जिम्मेदार वहाँ के एक जमींदार थे। क्योंकि पतरौल ने समय पर रिपोर्ट नहीं की। उसे दंड दिया गया कि उसका वेतन २ रुपये महीने के दर से ६ मास के लिये घटा दिया गया और उसकी बदली एक ऐसे स्थान को कर दी गई है, जो महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री उमाशंकर मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि याकूतगंज के पास ही अंधौलिया ग्राम की नहर का गलत कुलाबा पकड़ा गया है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री उमाशंकर मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के ऐसे भी स्थान हैं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं ?

श्री राममूर्ति--स्थान के महत्वपूर्ण होने का मतलब इससे यह है कि जितना बाराबंकी महत्वपूर्ण स्थान है मुमकिन है दूसरा जिला इतना न हो।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पतरौल की जो शिकायत थी कि पहले इत्तिला न देने के लिये उसको सजा दी गयी थी लेकिन जो जमींदार ने गड़बड़ी की थी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राममूर्ति--इसके लिये रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को कर दी गयी थी और तमाम लोगों पर जमींदार सहित तावान डाल दिया गया।

बाराबंकी जिले की शारदा केनाल का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर

*३--श्री उमाशंकर मिश्र--बाराबंकी जिले के शारदा केनाल के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उस जिले में कब से हैं ?

श्री राम मूर्ति--२१ जुलाई १९४९ से ।

प्रदेश से बाहर प्रधान कार्यालय वाले व्यापारी तथा फर्मोंके हिसाब को सेल्स टैक्स विभाग द्वारा जांच

*४--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे बड़े व्यापारी तथा फर्म हैं, जिन्होंने इस बिना पर अपना खरीद, बिक्री तथा सप्लाई का रजिस्टर सेल्स टैक्स विभाग के सामने पेश नहीं किया कि उनके प्रधान कार्यालय दिल्ली, कलकत्ता या बम्बई में है और हिसाब किताब नहीं रखा जाता ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--नीचे दी हुई फर्मों ने जो कि उत्तर प्रदेश तथा उसके बाहर दूसरे राज्यों में कारबार करते हैं इस बिना पर अपना हिसाब पेश नहीं किया कि उनके हिसाब दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में रक्खे जाते हैं--

(१) सर्वश्री स्टैन्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी,

(२) सर्वश्री बर्मा शेल आयल स्टोरेज ऐन्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, और

(३) सर्वश्री सी० सी० वेकफील्ड ऐन्ड कम्पनी, लिमिटेड।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या मंत्री जी मेहरबानी करके फरमायेंगे कि स्टैन्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी, बर्मा शेल आइल स्टोरेज और सी० सी० वेकफील्ड के उत्तर प्रदेश में हिसाब किताब न रखने के कारण कितनी हानि हो रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह तो बड़ा मुश्किल मामला है। जवाब देना यकलख्त बहुत मुश्किल है।

*५--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या यह सत्य है कि इन फर्मों के हिसाब की जाँच के लिये सेल्स टैक्स के अफसर प्रदेश के बाहर भेजे गये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह सच है कि इन फर्मों के हिसाबों की जाँच करने के लिये सेल्स टैक्स अफसर उत्तर प्रदेश के बाहर भेजे गये थे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या माननीय मंत्री मेहरबानी करके बतलायेंगे कि हिसाब किताब की जाँच करने के लिये हर साल हमारे सेल्स टैक्स आफिसर बाहर जायेंगे या पारसाल ही भेजे गये थे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इसके मुताल्लिक कोई खास बात तय नहीं हुई है कि यहाँ से आदमी जाते रहें या कोई और तरीका अख्त्यार किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त हिसाब की जाँच का क्या परिणाम निकला ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इसके लिये तो नोटिस की जरूरत है। वहाँ डिपार्टमेंट में नतीजा निकला होगा, यहाँ तो नहीं है।

*६--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--प्रदेश के बाहर भेजे जाने वाले कर्मचारियों के खर्च के भार में व्यापारी फर्मों ने कुछ हाथ बटाया था अथवा नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--व्यापारी फर्मों के साथ यह तय हुआ था कि वे उन अफसरों को, जो उनके हिसाबों की जाँच करने के लिये उत्तर प्रदेश के बाहर भेजे जायेंगे, साधारण दर से यात्रिक भत्ता (ट्रैवलिंग एलाउन्स) देंगे।

आगरा जिले में सिंचित तथा असिंचित भूमि

*७--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में कितने एकड़ भूमि को आबपाशी प्राप्त है और कितनी एकड़ भूमि को प्राप्त नहीं है ?

श्री राममूर्ति--आगरा जिले में २,५६,१८४ एकड़ भूमि को आबपाशी प्राप्त है, जिसमें से १,४३,४१५ एकड़ नहरी सिंचाई का है और ६,०८,२३५ एकड़ भूमि को आबपाशी प्राप्त नहीं है, जिसमें ऐसी भूमि भी शामिल है जो बंजर कही जाती है।

श्री देवकीनन्दन विभव--माननीय मंत्री जी ने यह फरमाया कि २ लाख ५० हजार एकड़ जमीन को आबपाशी प्राप्त है और १ लाख ५३ हजार एकड़ भूमि बाकी बचती है तो बाकी भूमि की सिंचाई किस साधन से होती है ?

श्री राममूर्ति--बाकी जो जमीन है वह प्राइवेट कुओं व बंधियों के जरिये से सींची जाती है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री कृपा करके यह बतलायेंगे कि बाकी जो जमीन है दो-तिहाई जिसको आबपाशी प्राप्त नहीं है क्या माननीय मंत्री उस पर सिंचाई के कुछ साधन उपलब्ध करने की सोच रहे हैं ?

श्री राम मूर्ति--हमारे प्रदेश में जो छोटी-छोटी योजनायें सिंचाई की गवर्नमेंट के सामने हैं उनमें से कुछ आगरा जिले में भी लागू होंगी, जिनसे छोटी-छोटी बन्धियाँ बन जायं।

श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ लाख ८३ हजार एकड़ भूमि, जो नहर से सींची बतलायी जाती है वह कमाँड एरिया है और वास्तव में जो सिंचाई होती है वह ४० प्रतिशत है, क्या यह सच है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--यह संभवतः कमाँड एरिया है। लेकिन जो कमाँड एरिया होता है वह कभी न कभी किसी फसल में सींचा ही जाता है।

प्रदेश में शराब, अफीम, भंग और विदेशी शराब की खपत

*८--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या न्याय और मादककर मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में शराब, अफीम, भंग और विदेशी शराब की सन् १९४६ ई० से सन् १९५१ ई० तक क्रमशः कितनी खपत हुई है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--सन् १९४६ से सन् १९५१ ई० तक उत्तर प्रदेश में शराब, अफीम, भांग तथा विदेशी शराब की खपत की तफसील साथ नत्थी है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १८४ पर)

जौनपुर जिले में सिंचाई की व्यवस्था

*९--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में सिंचाई के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री राममूर्ति--इस जिले में शारदा नहर की एक शाखा बनाने की योजना स्वीकार हो चुकी है और लाइन लगाने का काम आरम्भ हो गया है, खुदाई का कार्य भी शीघ्र शुरू हो जायगा।

इसके अतिरिक्त इस जिले में ड्रेनेज की तीन पुरानी योजनाओं पर काम चालू है तथा पांच नई योजनायें बनायी गयीं हैं। इन आठों योजनाओं से ११,५०० एकड़ भूमि का लाभ होगा।

इस जिले में सरकारी सब्सिडी की सहायता से पक्के कुएं भी बनवाये जा रहे हैं। १९५२-५३ वर्ष में ५५० पक्के कुएं बनाने का लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त १९५२-५३ में सहकारी नलकूप योजना के अन्तर्गत जौनपुर में कुछ नलकूप बनाने की योजना भी विचाराधीन है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर की शाखा जौनपुर में कितने साल में पहुंच जावेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि आगामी दो वर्षों में।

*१०--श्री वीरेन्द्र वर्मा--(जिला मुजफ्फरनगर), (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ १३६ पर]

अलीगढ़ जिले की सासनी—विजयगढ़, हाथरस—जलेसर रोड तथा सासनी--जलेसर सड़कों का निर्माण

*११--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले की सासनी स्टेशन से विजयगढ़ तक की सड़क और हाथरस से जलेसर रोड तथा सासनी से जलेसर तक की सड़कों को पक्की कराने की योजना शीघ्र निर्माण योजना में स्वीकार कर ली गयी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं। इस सड़क को पक्का कराने की कोई योजना इस समय नहीं है।

*१२--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या यह सच है कि ईंटें, कंकर और पुलिया बनाने के लिये सीमेंट आदि भी उन सड़कों पर पहुंचाया गया था और वह फिर बेंच दिया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं। केवल विजयगढ़-सासनी सड़क पर पुलिया बनाने का सामान इकट्ठा किया गया था जोकि निर्धारित कार्यों में उपयोग में लाया जा चुका है।

*१३--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़कों के निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अभी कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१४--श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)--[६ अक्तूबर, १९५२ के लिये संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला अल्मोड़ा, तहसील पिथौरागढ़ की पट्टी रौल के गांवों में सिंचाई का प्रबंध

*१५--श्री खुशीराम--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिला अल्मोड़ा, तहसील पिथौरागढ़ के पट्टी रौल में ऊपर तौला, मटियाल, पालिया आदि गांवों में लगभग एक सौ परिवार हैं, जिनमें अधिकतर शिल्पकार लोग बसते हैं ?

श्री राममूर्ति--जी हां, उपरोक्त गांवों में लगभग १०० परिवार हैं, जिनमें से प्रायः ६० शिल्पकारों के हैं।

*१६--श्री खुशीराम--क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्रामों में जमीन अधिक होने पर भी सिंचाई के बिना बंजर है।

श्री राममूर्ति--जी हां, कुछ भूमि बंजर है।

*१७--श्री खुशीराम--क्या यह सही है कि करीब १० साल से ये ग्राम निवासी सिंचाई के लिये पानी का प्रबन्ध करवाने के संबंध में स्थानीय अधिकारियों, जिला विकास संघ, जिला बोर्ड तथा प्लानिंग विभागों से पत्र-व्यवहार करते आ रहे हैं परन्तु अभी तक कोई भी परिणाम नहीं निकला? सरकार इस संबंध में आगे क्या कदम उठाने का इरादा रखती है?

श्री राममूर्ति--संभव है इस प्रकार के आवेदन-पत्र स्थानीय अधिकारियों या जिला बोर्ड के पास आये हों। प्लानिंग विभाग तो केवल एक वर्ष से ही बना है।

पिछले वर्ष उपरोक्त ग्रामवासियों की तरफ से एक प्रार्थना-पत्र नियोजन विभाग को प्राप्त हुआ था। इस पर सिंचन विभाग ने इस क्षेत्र का एक सर्वे (Survey) किया जिससे विदित हुआ कि इस योजना का खर्चा अधिकृत सीमा से कहीं अधिक होगा। अतः इसे कार्यान्वित करने योग्य नहीं समझा गया है।

श्री खुशीराम--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि इससे कम खर्च में नजदीक के स्रोत से पानी लिया जाय और उसका एक हिस्सा गांव वाले देने के लिये तैयार हों तो दो हिस्से खर्चा सरकार देने के लिये तैयार है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--माननीय सदस्य महोदय यदि इस तरह का कोई सुझाव देंगे तो सरकार उस पर अवश्य विचार करेगी।

*१८-२०--श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)--[७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला शाहजहांपुर के गुरगिया ग्राम को नहर का पानी रुकने से हानि

*२१--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार को इस बात का पता है कि गुरगिया ग्राम, परगना व तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर के पूर्व से नहर निकालने से सारे इलाके का पानी इस गांव पर रुक जाता है?

श्री राममूर्ति--खुदागंज नहर गुरगिया ग्राम के पूर्व की ओर के क्षेत्र में से वाटर शेड (Water Shed) पर बहती है। इसलिये इससे आसपास के इलाके के पानी के बहाव में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न होती है और न हो सकती है। जब कभी भी जो कि वर्षा होती है पानी प्राकृतिक रूप से नीचे धान के खेतों में संग्रह हो जाता है, परन्तु इसके लिये नहर किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं है।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि इस नहर के बन जाने की वजह से पहले जो नदी का बहाव था वह रुक जाता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

*२२--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार को इस बात का पता है कि इस पानी के रुक जाने से सारे गांव के खेत डूब जाते हैं और कभी-कभी ज्यादा बारिश होने पर आबादी में भी पानी भर जाता है।

श्री राममूर्ति--अधिक वर्षा के कारण नीचे धान के खेतों में तो पानी अवश्य एकत्रित हो जाता है, परन्तु आबादी में पानी आ जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और न ही इसके कोई लक्षण नहर विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण के समय जो ६ सितम्बर, १९५२ को किया गया, आबादी में प्रतीत हुए।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि ६ सितम्बर को जो मौके पर हालत देखी गयी उससे क्या वह यह समझते हैं कि वहां की हालत जैसी बरसात में होती है वैसी ही हुई थी ?

श्री राममूर्ति--वहां पर जो इंजीनियर गये उनसे ऐसी कोई शिकायत नहीं की गयी और उन्होंने वहां कोई ऐसे लक्षण नहीं पाये।

*२३--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार को इस बात का पता है कि नहर निकलने से अब तक कई बार गांव को डूबने से बचाने के लिये नहर को काट कर पानी निकाला गया ?

श्री राममूर्ति--वर्षा के जल को निकालने के लिये नहर के किनारों को कभी भी नहीं काटा गया।

झांसी जिले के ललितपुर सब-डिवीजन में पिपरई डैम स्कीम

*२४--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के ललितपुर सब-डिवीजन में धौरी के निकट पिपरई डैम स्कीम का कार्य कब शुरू हुआ था ? क्या वह अब भी जारी है ?

श्री राममूर्ति--पिपरई डैम बनाने का कार्य सितम्बर, १९४८ ई० में शुरू हुआ था। यह कार्य अब जारी नहीं है।

श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त स्कीम बिल्कुल बन्द कर दी गयी है और अगर हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--यह स्कीम इसलिये बन्द कर दी गयी है कि इसके बराबर में माताटीला डैम बन रहा है जो उसके मुकाबिले में ज्यादा फायदेमन्द होगा। इसलिये इसका बन्द करना फिलहाल जरूरी समझा गया।

*२५--श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त कार्य में अभी तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री राममूर्ति--१३,३१,२०० रुपया खर्च हुआ था।

श्री शिव कुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस डैम के बनने से पहले इसकी इनवेस्टीगेशन नहीं की गयी थी ?

श्री राममूर्ति--अव्वल तो यह कहना गलत है कि ११ लाख रुपया नष्ट हो गया। उसमें से ५ लाख रुपये का सामान तो माताटीला स्कीम के लिये दे दिया गया है और बाकी सर्वे और फाउन्डेशन पर व्यय हुआ जो मौजूद है और सुभीता होगा तो वह फिर चालू किया जा सकता है। इसलिये वह वेस्ट नहीं हुआ।

*२६-२८--श्री सुलतान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--(अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ १३६ पर]

जायस नहर विस्तार योजना

*२९--श्री गुरुप्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)--क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जायस नहर विस्तार योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त नहर की शाखा सुल्तानपुर जिले में कितने मील तक जायगी और उससे किस-किस तहसील की कितनी एकड़ भूमि सिंचित होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जौनपुर (जायस) नहर की बड़ी व छोटी शाखाओं का विस्तार सुल्तानपुर जिले में ६० मील का होगा। इस नहर से मुसाफिर खाना तहसील में २,५०० एकड़, अमेठी तहसील में ५,००० एकड़ और सुल्तानपुर तहसील में ५,००० एकड़ प्रतिवर्ष सिंचाई होगी।

*३०--श्री गुरु प्रसाद सिंह--क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त नहर विस्तार का काम कब तक आरम्भ हो जायगा और उसके सिंचाई योग्य हो जाने में कितना समय लगेगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस नहर की लाइन लगाई जा रही है और खुदाई का काम शीघ्र ही आरम्भ होने वाला है। यह आशा की जाती है कि इस नहर से सन् १९५३--५४ की रबी में सिंचाई आरम्भ हो जायेगी।

श्री गुरु प्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जायस नहर के लिये अतिरिक्त पानी की कोई व्यवस्था की जा रही है और वह काम तक पूरी हो जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--शारदा नहर का डिस्चार्ज और कैपेसिटी बढ़ा दी गयी है और उससे पानी इसे भी मिल जायगा।

श्री गुरुप्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जायस जौनपुर नहर कितने फीट चौड़ाई में जा रही है और उसका काम ठेके से किया जायगा या दूसरे तरीके से ?

श्री राममूर्ति--इसके लिये नोटिस चाहिये।

रायबरेली-फैजाबाद रोड पर आमघाट (सुल्तानपुर) के पुल का निर्माण

*३१--श्री काशी प्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आमघाट (सुल्तानपुर) का पुल जो रायबरेली-फैजाबाद रोड पर बनाया जाने वाला था उसका बनाना किन कारणों से स्थगित कर दिया गया ? क्या उसके निमित्त प्रारंभिक कार्यवाही हो चुकी थी ? यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--(अ) पुल का निर्माण-कार्य आर्थिक कठिनाइयों के कारण स्थगित कर दिया गया था।

(ब) इस कार्य के लिए केवल २७ लाख ईंटें एकत्रित की जा चुकी थीं।

*३२--श्री काशी प्रसाद पांडेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आमघाट (सुल्तानपुर) के पुल के निमित्त जो ईंटें तैयार की गयी थीं उनमें से कुछ बेंच दी गईं और शेष को रोक दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस कार्य के लिये एकत्रित की गई ईंटों में से ४ लाख ईंटें एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, दरियाबाद कान्सट्रक्शन डिवीजन, बाराबंकी को पक्के कुएं बनाने के लिये दे दी गयी थीं तथा शेष ईंटें अभी मौके पर जमा हैं। निर्माण-कार्य फिर से आरम्भ होने की आशा में शेष ईंटें नहीं बेची गईं।

सुल्तानपुर--जौनपुर सड़क का निर्माण

*३३--श्री काशी प्रसाद पांडेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर-जौनपुर सड़क को राजकीय निर्माण विभाग द्वारा कब अपने अधिकार में लिया गया और उसका किस हद तक निर्माण-कार्य हो चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का किस सड़क से मतलब है। अगर उनका मतलब सुल्तानपुर-सिंगरामऊ-जौनपुर सड़क से है तो इस सड़क का सुल्तानपुर-सिंगरामऊ भाग सन् ४६ में और सिंगरामऊ-जौनपुर सड़क सन् १९४७ में निर्माण विभाग ने अपने हाथ में लिया था। सुल्तानपुर-सिंगरामऊ सड़क पर मिट्टी का काम पूर्ण हो गया है। एक बड़ा पुल और कुछ सिंचाई की गूलपुलियां बाकी हैं। सिंगरामऊ-जौनपुर सड़क इंटर कोट तक पूरी हो चुकी है।

*३४-३५--श्री मत्थू सिंह (जिला बरेली)--[७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला बनारस में पचोखर ताल पर अहरौरा बांध का प्रभाव

*३६--श्री उमाशंकर तिवारी (जिला बनारस)--क्या सरकार को मालूम है कि पचोखर की ताल में जो परगना धूम तहसील चन्दौली, जिला बनारस में है गड़ई नदी से पानी आकर इकट्ठा होता है जिससे कि उस क्षेत्र के बहुत से ग्रामों की फसलों की सिंचाई होती है ?

श्री राम मूर्ति--गड़ई नदी पर ग्राम पचोखर के पास एक सरकारी रेगुलेटर बना हुआ है जिससे आवश्यकतानुसार जल रोक कर आस-पास के ग्रामों में सिंचाई की जाती है ।

श्री उमाशंकर तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी ने बनारस जिलाधीश को आदेश दिया था कि वह पचोखर ताल के बाँध को जो गत कई वर्षों में बाढ़ से टूट गया था मरम्मत करें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह बाँध तो हर साल टूटता रहता है और हर साल उसकी मरम्मत का आदेश दिया जाता है ।

श्री उमाशंकर तिवारी--क्या आदेश के अनुसार इस वर्ष उसकी मरम्मत की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि इस साल उसका टुटाव इतना नहीं था जिससे उसकी बहुत ज्यादा मरम्मत की जरूरत पड़ती । जितनी जरूरत थी उतनी मरम्मत कर दी गयी है ।

*३७--श्री उमाशंकर तिवारी--क्या सरकार बतलायेगी कि गड़ई नदी पर अहरौरा में जो बाँध बाँधा जा रहा है उस बाँध के बाँधे जाने के बाद भी गड़ई नदी द्वारा उस ताल में पूर्ववत् सिंचाई के लिये पानी जाता रहेगा ? अगर नहीं, तो उस क्षेत्र की सिंचाई के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री राममूर्ति--अहरौरा पर जो बाँध बाँधा जा रहा है उसके पूरे बंध जाने के बाद भी गड़ई नदी में जल पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा तथा पचोखर बाँध में सिंचाई के लिये जल पहुंचता रहेगा । अहरौरा बाँध के बन जाने से गड़ई में जो भीषण बाढ़ आती रहती है और जिससे बहुत हानि होती रहती है वह सर्वदा के लिये रुक जावेगी ।

श्री रामकुमार शास्त्री--अहरौरा बाँध के बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अभी अहरौरा बाँध को बाँधने का काम शुरू ही हुआ है और जहाँ तक मुझे याद है शायद ६० लाख रुपया की वह स्कीम है और इस वर्ष बजट में उसके लिये १० लाख रुपया रखा गया है ।

रायबरेली जिले की सलोन तहसील में सई नदी पर पुल की आवश्यकता

*३८--श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)--क्या यह सही है कि रायबरेली जिले की सलोन तहसील सई नदी में पुल न होने के कारण दो हिस्सों में बंटी हुई है और जन-साधारण को आवागमन की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है ? क्या निकट भविष्य में सरकार की कोई योजना सई नदी पर पुल बनाने की है ? यदि है, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हाँ ।

जी नहीं । आगामी योजना में इस बात पर विचार किया जायगा ।

जगतपुर-ऊंचाहार सड़क को पक्की बनाना

*३९--श्री दलबहादुर सिंह--क्या यह सही है कि जगतपुर और ऊंचाहार के बीच सिर्फ ७ मील कच्ची सड़क है । क्या निकट भविष्य में सरकार का इरादा इस सड़क को पक्की बनाने का है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हाँ।

जी नहीं।

*४०---४२---श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---[१४ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४३---४५---श्री नारायणदत्त तिवारी--[१४ अक्तूबर, १९५२ के लिये संख्या ३९-४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४६---४८---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---[७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४९---५०---श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)---[९ अक्तूबर, १९५२ के लिये संख्या ८०-८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५१---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---[७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

जिले की अदालतों के अधिकारियों का आने-जाने का तथा लंच के लिये निश्चित समय

*५२---श्री धर्म सिंह--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिले की अदालतों में अधिकारियों के आने-जाने का क्या समय निश्चित है तथा लन्च का कितना समय निश्चित है?

श्री सैयद अली जहीर--जिले के फौजदारी व माल के न्याय अधिकारियों को अदालतों में ११ बजे तक आ जाना चाहिये और आम तौर से ५ बजे शाम के बाद अदालतों को बन्द हो जाना चाहिये। इन अधिकारियों को आध घंटे के लिये १ बजे से २ बजे के दरमियान लंच के लिये जाने की आज्ञा है। दीवानी अदालतों में न्याय अधिकारियों के मौजूद होने का समय १०-३० बजे सुबह से ४ बजे शाम तक है। लंच के लिये कोई समय मुकर्रर नहीं है, परन्तु अधिकारी आध घंटे लंच के लिये ले सकते हैं।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)---क्या सरकार ने इस बात का कोई प्रबंध किया है कि इस बात की जाँच करायी जाय कि अधिकारी अदालतों में ठीक समय पर आते हैं या नहीं?

श्री सैयद अली जहीर--जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो जिले के आला अफसरान हैं वे इस बात का लिहाज रखते हैं कि वहाँ के अफसरान टाइम की पाबन्दी करते हैं या नहीं।

श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)---क्या यही समय आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के लिये अदालतों में आने का है और क्या इसका पालन होता है?

श्री सैयद अली जहीर--आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की हालत तो जरा मुख्तलिफ है लेकिन फिर भी ख्याल यही किया जाता है कि जहाँ तक हो सके उन्हीं की पाबन्दी की जाय।

शारदा कैनाल के बाराबंकी डिवीजन में नहरों के कुलाबों के मुहड़ों को छोटा करना

*५३---श्री जगत नारायण (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शारदा कैनाल के बाराबंकी डिवीजन में नहरों के कुलाबों का मुहड़ा छोटा किया जा रहा है?

श्री राममूर्ति---जी हाँ, बाराबंकी डिवीजन में कुलाबों को सिंचाई के अधिकृत क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए तथा वैभागिक प्रचलित नियमों के अनुसार ठीक किया जा रहा है।

*५४--श्री जगत नारायण--क्या सरकार को यह विदित है कि बाराबंकी डिवीजन के प्रायः अधिकाश माइनरों के टेलों पर पर्याप्त पानी न पहुंचने की आम शिकायत है और रिमार्डलिंग द्वारा पानी कम किये जाने से और भी स्थिति में खराबी आ जाने की आशंका है ?

श्री राम मूर्ति--बाराबंकी डिवीजन के माइनरों के अंतिम भागों में जल न पहुंचने की जो शिकायत है उसका कारण यह है कि इन माइनरों में आवश्यकता से अधिक कुलाबे हैं। परन्तु अब रिमार्डलिंग द्वारा कुलाबे ठीक होते ही माइनरों के अंतिम भागों में पर्याप्त जल पहुंचेगा ।

*५५-५६--श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--[७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

दारुलशफा विधायक निवास के ब्लाक १ व २ की बिजली की लालटेनें

*५७--श्री कृष्णशरण आर्य--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दारुल शफा में सदस्यों के निवास-स्थान ब्लाक १ तथा २ में जो आठ नई बिजली की लालटेनें लगाई गई हैं वे किस कारखाने की बनी हुई हैं तथा कितनी शक्ति की हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बिजली की नई आठ लालटेनें जो दारुलशफा लेजिस्लेचर्स रेजीडेंस के ब्लाक १ व २ में लगाई गई हैं वे जी० ई० सी० इंडिया लिमिटेड की बनाई हुई हैं और हर एक की शक्ति २५० वाट है।

*५८--श्री कृष्णशरण आर्य--क्या निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त लालटेनें किन विक्रेता महोदय से तथा कितने मूल्य पर खरीदी गईं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह लालटेनें जनरल एलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया, कानपुर से फी लालटेन ४५० रुपये के हिसाब से खरीदी गई हैं।

*५९--श्री कृष्णशरण आर्य--क्या विभाग को उपरोक्त मूल्य के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यय भी इन लालटेनों की खरीदारी के संबंध में करना पड़ा। यदि हाँ, तो वह कितना ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं, सवाल का आखिरी हिस्सा पैदा नहीं होता।

*६०-६२--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--[३ नवम्बर १९५२, के लिये संख्या १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जिला नैनीताल में भतरौंजखान से बैताल घाट तक मोटर रोड के निर्माण की आवश्यकता

*६३--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिला नैनीताल की पट्टी मल्ला व तल्ला कोशियाँ में भतरौंजखान से लेकर बैताल घाट तक मोटर रोड निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह सड़क निर्माण विभाग की किसी योजना में नहीं है और इस कारण निर्माण विभाग की तरफ से इस सड़क पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भतरौंजखान से लेकर बैताल घाट तक मोटर रोड के बारे में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कुमायूं डिवीजन की ओर से यह कहा गया था कि अगर एक-तिहाई मोटर रोड जनता बनवा दे तो दो-तिहाई सड़क सरकार बना देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

जिला नैनीताल में दरमाने कचलांकोट मार्ग को चौड़ा करना तथा गोला पुल का निर्माण

*६४--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिला नैनीताल में पट्टी चौभैसी व पट्टी मल्लीरौ के हित में दरमाने कचलांकोट मार्ग को चौड़ा करने व बीच में गोला पुल बनाने के संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह सड़क या यह पुल निर्माण विभाग के किसी योजना में नहीं है और इस कारण कोई कार्यवाही इस समय नहीं हो रही है।

नैनीताल जिले में भौंरसा से रानीबाग जाने वाली घोड़ा सड़क का निर्माण

*६५--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार को मालूम है कि नैनीताल जिले की पट्टी पूर्वी छखाता में बानना, भौंरसा से रानीबाग जाने वाली घोड़ा सड़क अभी तक नहीं बन पायी है ? यदि हाँ, तो इस सड़क को मुकम्मिल करने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह सड़क भी निर्माण विभाग के अधिकार में नहीं है।

*६६-६८--श्री शिव स्वरूप सिंह (जिला मुरादाबाद)--[७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

रायबरेली के परगना सरेनी और खीरों आदि मुख्य स्थानों में सड़कों का निर्माण

*६९--श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली में जिन मुख्य स्थानों में सड़कें नहीं हैं जैसे परगना सरेनी और खीरों, वहाँ सड़कों का निर्माण कब कराने का इरादा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सड़कों के प्रोग्राम के पहले फेज में रायबरेली जिले के लगभग सभी मुख्य स्थानों को सड़कों द्वारा जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। परगना सरेनी तथा खीरों के क्षेत्र की पहले फेज में निम्नलिखित सड़कें शामिल की गयी हैं --

१--सिमरी-खीरों गुरुबक्स सिंह, ओ० डी० आर० .. .. १२ मील।
२--सिमरी-सरेनी, ओ० डी० आर० .. .. ९ मील।

श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सिमरी-खीरों गुरुबक्स सिंह, ओ० डी० आर० १२ मील, सरेनी-सिमरी, ओ० डी० आर० ९ मील, जिस पर मिट्टी पड़ गयी है, वह पंचवर्षीय योजना में रखी गयी है और यदि नहीं रखी गयी है, तो क्यों नहीं रखी गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह पंचवर्षीय योजना में नहीं है।

लालगंज-रायबरेली सड़क को टार्ड करना

*७०--श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लालगंज-रायबरेली सड़क टार्ड की जायगी या नहीं ? अगर हाँ, तो कब ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं।

प्रश्न का अंतिम भाग उठता ही नहीं।

सन १९३७ के मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत लालगंज-रालपुर सड़क का निर्माण

*७१--श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९३७ ई० की मिनिस्टरी द्वारा मंजूरशुदा सड़क लालगंज-रालपुर कब तक बनेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कांग्रेस मिनिस्ट्री के १९३७-३९ के सड़क प्रोग्राम में बछरावाँ-रायपुर नामक एक ३४ मील लम्बी सड़क शामिल की गयी थी। बछरावाँ-लालगंज, ओ० डी० आर० (२२ मील) जो कि उपरोक्त सड़क का एक भाग है, पहले फेज में शामिल की गयी तथा लगभग बन गयी थी। इसको रायपुर से जोड़ने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

घोसी-दाया-मधुबन-बिलथरा रोड का निर्माण

*७२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि घोसी-दाया-मधुबन-बिलथरा रोड का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ और कब तक पूरी होने की आशा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—घोसी मधुबन सड़क के टुकड़े का निर्माण कार्य फरवरी सन् १९४६ में आरम्भ हुआ था और अक्तूबर, १९५२ में पूर्ण होने की आशा की जाती है। मधुबन-बिलथरा सड़क के टुकड़े का निर्माण कार्य दिसम्बर, १९४७ में आरम्भ हुआ था और मार्च सन् १९५४ तक यह टुकड़ा तैयार हो सकेगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं कि मौके पर इस वक्त कोई काम सड़क का नहीं हो रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत होगी। लेकिन जहां तक मेरा खयाल है, काम उन जिलों में सभी सड़कों पर हो रहा है।

*७३—**श्री राम सुन्दर पांडेय**—क्या निर्माण मंत्री यह भी बतालायेंगे कि इस वर्ष के बजट में उस सड़क के लिये अनुदान क्यों नहीं दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस वर्ष के बजट में इन सड़कों के लिये अनुदान दिया गया है।

हाहा नाला, आजमगढ़ को बांधना

*७४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या निर्माण मंत्री यह भी बतलायेंगे कि हाहा नाला (आजमगढ़) बांधने का विचार किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—अभी तक हाहा नाला आजमगढ़ को सिंचाई के लिये बांधने का कोई निश्चय नहीं किया गया है पर आजमगढ़ जिले में जो सर्वे होने जा रहा है उसमें इस नाले की भी जांच-पड़ताल की जायगी।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं कि यह काम कब से शुरू होने वाला है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सर्वे काम तो बरसात खत्म होते ही शुरू होने जा रहा है।

गोरखपुर जिले की पक्की सड़कों पर पुल बनवाने की आवश्यकता

*७५—**श्री गौरी राम** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर के जिले में किन-किन तहसीलों में कितनी-कितनी मील पक्की सड़कें हैं और उन्हें सड़कों पर कहां-कहां पुल की आवश्यकता है और कब तक उन पुलों को सरकार बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गोरखपुर जिले की पक्की सड़कों की एक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है। जिन सड़कों के ऊपर पुल बनवाने की आवश्यकता है वह भी तालिका में दिखा दी गई है। इन पुलों और पुलियों के बनवाने की अभी कोई योजना नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १८५ पर)

आगरा जिले की किरावली और खैरागढ़ तहसीलों के पुराने बांधों की मरम्मत

*७६---**श्री रमेश वर्मा**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आगरा जिले की किरावली और खैरागढ़ तहसीलों के पुराने बांधों की मरम्मत और सुधार करवा कर सिंचाई कराने की कोई योजना उसके सामने प्रस्तुत है ? यदि हां, तो सरकार कब उस योजना को कार्यान्वित करना चाहती है ?

श्री राम मूर्ति---किरावली तहसील में केवल एक पुराना बांध तेरहमोरी है जिसकी मरम्मत या सुधार की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस से कोई सिंचाई नहीं की जाती है ।

खैरागढ़ तहसील में कुछ बांध सरकार के निरीक्षण में हैं वह ठीक हालत में हैं और इनसे सिंचाई होती है । इनमें अभी कोई सुधार की योजना नहीं है, परन्तु कुछ नये बांध बनने की योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री रमेश वर्मा---क्या तेरहमोरीवाले बांध से इस सूखे भू-भाग को पानी देकर या बरसात के दिनों में नहरों का फालतू पानी दे कर सिंचाई की कोई व्यवस्था की जायगी ?

श्री राममूर्ति---इस बांध का जो कैचमेंट एरिया है, वह राजस्थान में है और भरतपुर के पास चूंकि छोटे-छोटे बांध बांध दिये गये हैं इसलिये तालाब में पानी आता नहीं है । इसलिये यह तालाब सूखा रहता है । इस साल वर्षा बहुत अधिक हो गई, इसलिये इसमें पानी भर गया था लेकिन अमूमन वह खाली पड़ा रहता है ।

श्री रमेश वर्मा---क्या खैरागढ़ की नई बांध की योजना इस चालू वर्ष में शुरू हो जायगी और उससे कितने एकड़ की सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति---इसके बारे में सर्वे कराया जायगा । यहां पर तीन बांधों के बांधने की योजना और भी है ।

राजस्थान की सीमा के समीप आगरा जिले के भू-भाग पर जंगलात लगाने के लिये पानी की आवश्यकता

*७७---**श्री रमेश वर्मा**---क्या सरकार को पता है कि राजस्थान की सीमा से मिले हुये आगरा जिले के जिस भू-भाग पर सरकार जंगलात लगाने जा रही है, उस क्षेत्र में पानी का अभाव है ? क्या सरकार ने उस क्षेत्र को पानी देने की कोई तात्कालिक योजना बनाई है ?

श्री राममूर्ति---सरकार यह तो तै कर चुकी है कि जंगलात की एक पट्टी आगरा तथा मथुरा जिलों में उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा पर लगाई जाये, किन्तु इन जंगलात की पट्टी की ठीक-ठीक स्थिति अभी तय नहीं हुई है । चूंकि जंगलात की पट्टी राजस्थान की मरु भूमि को उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने से रोकने की गरज से लगाई जा रही है, यह स्पष्ट है कि जहां वह लगेगी, वहां पानी की कमी होगी ही, अतः यहां ऐसे वृक्षों को ही लगाया जायगा जिनको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं और जो ऐसी जलवायु में ठीक प्रकार से बढ़ सकें । इसलिये इस क्षेत्र को पानी देने की कोई तात्कालिक योजना नहीं है ।

श्री रमेश वर्मा---क्या सूचना मंत्री जी को विदित है कि गतवर्ष इस भू-भाग में पीपल के पेड़ों के बीज बोये गये थे और पानी के अभाव में वे बीज अब भी जमीन में दबे हुये पड़े हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सम्भव है ऐसा हुआ हो ।

आगरा जिले की किरावली तहसील के राजस्थान से मिले हुये भाग में सिंचाई का प्रबन्ध

*७८---**श्री रमेश वर्मा**---क्या यह सच है कि आगरा जिले की किरावली तहसील के राजस्थान से मिले हुये भाग में भरतपुर राज्य के बांधों से सिंचाई होती थी ? क्या सरकार राजस्थान सरकार से इस भाग के लिये पानी लेने का कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री राममूर्ति--जहां तक जांच से मालूम हुआ है, किरावली तहसील के राजस्थान से मिले हुये भाग में भरतपुर राज्य के बांधों से सिंचाई नहीं होती थी। राजस्थान सरकार से इस भाग को पानी देने की बातचीत करने का भी अभी कोई निर्णय सरकार ने नहीं किया है।

श्री रमेश वर्मा--क्या सूचना मंत्री जी को विदित है कि किरावली तहसील के इस भू-भाग से भरतपुर के अधिकारी अब भी आबपाशी वसूल कर रहे हैं और आबपाशी के वसूल न होने की शिकायत उन्होंने आगरे के अधिकारियों से की है ?

श्री राममूर्ति--हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य इसका कोई स्पैसिफिक इंस्टांस दें जहां से वसूल किया गया है तो सरकार उसकी जांच करेगी।

जिला बहराइच में बहराइच-भिनगा रोड का निर्माण

*७९--श्री शिवचरण लाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)-- क्या निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच में बहराइच भिनगा रोड के निर्माण में जब से वह पी० डब्ल्यू० डी० के अधीन हुई है, कितनी मील सड़क पुख्ता बनाई गई तथा उस पर कितना व्यय हुआ ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)--बहराइच-नेवरिया-भिनगा रोड का बहराइच से नेवरिया का भाग पक्का बनाने के लिये प्रोग्राम में था जिसका पहला तीन मील पक्का कर दिया गया है और पहले मील पर पेन्ट भी कर दिया गया है। बहराइच-भिनगा सड़क पर ६४,८०० रुपया खर्च हुआ।

नेवरिया से भिनगा का कच्चा भाग १ अगस्त, १९५२ ई० से जिला बोर्ड को रख-रखाव के लिये वापस कर दिया गया है।

*८०--श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव--क्या निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क कब तक बन जायगी ?

श्री गिरधारी लाल--यह ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता कि बहराइच नेवरिया भाग पर काम कब पूरा होगा क्योंकि यह भविष्य में आवश्यक धन प्राप्त होने पर निर्भर है।

पूर्वी जमुना नहर की शाखा मनेड़ा में पानी की अपर्याप्त मात्रा

*८१--श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या यह सच है कि पूर्वी जमुना नहर की शाखा मनेड़ा के अन्त के १० वर्षों से पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, जैसा कि माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी विवरण पत्रिका से स्पष्ट है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १८६-१८७ पर)

जिला बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद के पश्चिमी भाग की सिंचाई

*८२--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में तहसील सिकन्दराबाद के पश्चिमी भाग में सिंचाई के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

जौनपुर नगरपालिका में बिजली पर वार सरचार्ज

*८३--श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर नगरपालिका में बिजली पर वार सरचार्ज लिया जा रहा है ? यदि लिया जा रहा है, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जो हां, यह सरचार्ज कम्पनी को रख रखाव का सामान (maintenance material) ईंधन (fuel) अन्न की मंहगाई के भत्ते व मजदूरों के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिये १९४४ में सभी उपभोक्ताओं पर, जिसमें कि जौनपुर की नगरपालिका भी शामिल है, लगाया गया था।

यह सरचार्ज अब भी लागू है क्योंकि खर्च की हालत अब भी वैसी ही है।

दर्जी कुशा---मनकापुर सड़क को पक्की बनाना

*८४---श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दर्जीकुशा से मनकापुर तक जो सड़क जाती है उसको पक्की बनाने का विचार है ?

श्री गिरधारी लाल---इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

जिला गोंडा में सड़कों व इमारतों के निर्माण के बाद बचा हुआ सरकारी ईंटा

*८५---श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में पी० डब्ल्यू० डी० ने सन् १९४९-५०-और १९५०-५१ ई० में कितना ईंटा, सड़क व इमारत बनाने के लिए खरीदा था और कितनी मील लम्बी सड़क बनी और कितना ईंटा बचा ?

श्री गिरधारी लाल---३५,११,३७४ ईंटा खरीदा गया। २२ मील लम्बी सड़क पर सोलिंग कराया गया। २३,१५,२४९ ईंटा बचा।

जौनपुर जिले में पक्के कुएं व ट्यूब वेल बनाने की योजना

*८६---श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में चालू वर्ष में कितने ट्यूब वेल तथा कितने पक्के कुएं बनाने की योजना उसने बनायी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सदस्य महोदय को उनके एक प्रश्न के उत्तर में १५ जुलाई, १९५२ को यह बतलाया गया था कि जौनपुर जिले में १५ वर्षीय योजना के अन्तर्गत ४०५ राजकीय नलकूपों का निर्माण स्वीकृत है। यदि (supplementary plan) के लिये भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता मिल गई तो इनमें कुछ कुंओं का निर्माण प्रथम पांच साल में भी सम्भव हो सकेगा। चालू वर्ष में कोई भी राजकीय नलकूप लगाने का प्रयोजन नहीं है।

कृषि वर्ष १९५२--५३ में जौनपुर में ५५० पक्के कुयें तथा १० सहकारी नलकूप बनाने का लक्ष्य है।

राजबहा डोला, नहर जमन पूर्वी, डिवीजन मुजफ्फरनगर में पानी की कमी

*८७---श्री रघुवीर सिंह---क्या यह सच है कि राजबहा डोला, नहर जमन पूर्वी, डिवीजन मुजफ्फरनगर में दिसम्बर सन् १९५१ और जनवरी व फरवरी १९५२ में पानी की कमी की बहुत शिकायत आयी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस राजबहा में दिसम्बर १९५१ और जनवरी व फरवरी १९५२ में पानी की कुछ कमी रही और शिकायतें भी आईं। इस कमी का एक कारण यह था कि कुल कुलाबे राजबहा की तलों से भी नीचे लगे हुये और समय-समय पर काश्तकारान ने इन कुलाबों को नीचा कर लिया, टेढ़े लगा लिये और तलों को कुलाबों से निकाल-निकाल कर चोरी कर लिये।

*८८---श्री रघुवीर सिंह---क्या यह सच है कि माइनर पिलाना राजबहा डोला में सन् १९५१-५२ में पानी की कमी की बहुत शिकायत आयी थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस प्रकार की कुछ शिकायतें सन् ५१-५२ में आईं। क्यों कि यह माइनर राजबहा डोला से ३ मील ४ फर्लांग पर निकली है और राजबहा डोला में पानी की कमी है, अतः इस कमी का प्रभाव माइनर पर पड़ना आवश्यक है।

नहर जमन पूर्वी के राजबहों में छोटे कुलाबे लगवाना

*८९--श्री रघुवीर सिंह--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि नहर जमन पूर्वी के कई राजबहों में बड़े कुलाबे उखड़वा कर छोटे कुलाबे लगवा दिये गये है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--केवल वही बड़े कुलाबे उखड़वाकर जिनका वजन उनके क्षेत्र के हिसाब से बड़ा या छोटे कुलाबे लगवाये गये हैं जिससे राजबहा के अन्त पर पानी की कमी की पूर्ति हो सके ।

ग्राम बिजौली, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ का नलकूप

*९०--श्री श्रीनिवास (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बिजौली ग्राम, तहसील अतरौली, जिला गलीगढ़, में जो सरकारी ट्यूब वेल काफी अर्से से बना पड़ा हुआ है उसको सरकार कब से चलाने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस नलकूप को (Copper conductors) उपलब्ध न होने से बिजली नहीं दी जा सकती। यह सामान दूसरे देशों से मंगाया जाता है और इसके लिये आर्डर सन् १९५० और १९५१ में दिया था परन्तु अभी तक प्राप्त न हो सका।

सामान प्राप्त करने की वर्तमान स्थिति के अनुसार आशा है कि इस कुएं को माह अप्रैल १९५३ तक बिजली देने का कार्य आरम्भ होगा और बिजली प्राप्त होने पर कुआं चालू हो जायगा ।

*९१-९३--श्री नेकराम शर्मा--[७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गिये ।]

निर्माण विभाग द्वारा जिला बोर्ड, प्रतापगढ़ की पुनर्निर्माण तथा सुधार के लिये ली हुई सड़कें

*९४--श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जिले में लालगंज से अठेहा जाने वाली सड़क व प्रतापगढ़ से जाने वाली सड़क जो गड़वारा व पूरब गाँव साँगीपुर जाती है, वह प्रतापगढ़ जिला बोर्ड से कब और किन शर्तों पर ली गयी ।

श्री गिरधारीलाल--लालगंज-अठेहा व गड़वारा-साँगीपुर सड़कें १९४६ ई० में निर्माण विभाग द्वारा पुर्ननिर्माण तथा सुधार के लिये ली गयी थीं ? शर्त यह थी कि सड़कें जिस दशा में थीं उसी दशा में सरकार को बिना मूल्य सौंप दी जायं।

*९५--श्री राजाराम किसान--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उपर्युक्त सड़कों को लिया है तब से इन सड़कों की कोई मरम्मत हुई है या नहीं ? यदि हाँ, तो इन पर क्या व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल--उपरोक्त सड़कों पर किये गये कार्य तथा व्यय की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृ० १८८ पर)

*९६--श्री राजाराम किसान--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न ९५ में दी हुई कच्ची सड़कें कब तक पुख्ता की जावेंगी ?

श्री गिरधारीलाल--यह सड़कें १ अगस्त, १९५२ ई० से जिला बोर्ड को वापस कर दी गयी हैं, इसलिये इनको पक्का करने का कोई सवाल ही नहीं उठता ।

* * * *

मुजफ्फरनगर--शामली सड़क को चौड़ा करना

*१०--श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)--क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका मुजफ्फरनगर-शामली सड़कों को इस वर्ष ९ फिट से १२ फिट चौड़ी कराने का इरादा है ?

श्री गिरधारी लाल--जी नहीं। सड़क को चौड़ी करने का कोई विचार नहीं है।

* * * *

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से आय

*२६--श्री सुलतान आलम खां (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस प्रदेश में कुल कितने और क्या क्या डायरेक्ट टैक्सेज (direct taxes) और इन-डायरेक्ट टैक्सेज (indirect taxes) लगते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस राज्य में नीचे दिये हुए टैक्स लगाये गये हैं :--

१--एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स।

२--स्टेट एक्साइज ।

३--स्टाम्प ड्यूटीज ।

४--रजिस्ट्रेशन फीस ।

५--टैक्सेज आन मोटर वेहिकिल्स ।

६--इंटरटेनमेंट ऐन्ड बैटिंग टैक्सेज।

७--जनरल सेल्स टैक्स ।

८--शुगरकेन सेस।

९--सेल्स टैक्स आन मोटर स्प्रिट ।

इनमें से एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, स्टाम्प ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशन फीस और इन्टरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्सेज डाइरेक्ट टैक्स हैं। स्टेट एक्साइज और शूगर केन सेस इनडाइरेक्ट टैक्स हैं। जनरल सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स आन मोटर स्प्रिट और टैक्सेज आन मोटर वेहिकिल्स डाइरेक्ट और इन डाइरेक्ट दोनों तरह के टैक्स हैं। राज्य आलगुजारी भी वसूल करता है लेकिन उसे ऊपर की सूची में नहीं शामिल किया गया है क्योंकि वह खास तौर से लगान के तौर पर वसूल की जाती है।

*२७--श्री सुलतान आलम खां (अनुपस्थित)--सन् १९४६-४७ से सन् १९५२ तक कौन कौन से टैक्सेज इस प्रदेश में लगाये गये और किन किन टैक्सों की शरह में बढ़ती की गयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--१९४६-४७ से १९५२-५३ के अर्से में इस राज्य में सिर्फ दो टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स लगाये गये हैं। इस अर्से में स्टेट एक्साइज, रजिस्ट्रेशन फीस, इंटरटेनमेंट ऐन्ड बैटिंग टैक्सेज, जनरल सेल्स टैक्स और शूगर केन सेस की शरहें बढ़ाई गई हैं।

*२८--श्री सुलतान आलम खां (अनुपस्थित)--इन तमाम टैक्सों से सन् १९५१-५२ में अलग-अलग कितनी आमदनी हुई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उत्तर प्रदेश के एकाउन्टेन्ट जनरल की सूचना के मुताबिक १९५१-५२ में इन सब टैक्सों से नीचे दी हुई आमदनी हुई है :--

		रु०
१--एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स	..	१,००,१९,४३५
२--स्टेट इक्साइज ..	..	६,३१,९९,३९२
३--स्टाम्प ड्यूटीज ..	..	२,३२,७५,५२७
४--रजिस्ट्रेशन फीस ..	..	२३,२६,६८५
५--टैक्सेज आन मोटर वेहिकिल्स	..	५७,३१,४९७
६--(क) इंटरटेनमेंट टैक्स ..	..	८५,४६,७३२
(ख) बेटिंग टैक्सेज ..	..	८,४९,१४३
७--जनरल सेल्स टैक्स ..	..	४,८०,८०,९९८
८--शूगर केन सेस ..	..	३,२३,३६,५७०
९--सेल्स टैक्स आन मोटर स्प्रिट	..	२५,३९,१४२

अतारांकित प्रश्न

जौनपुर की सड़कों पर काम

१--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में किसी सड़क पर काम शुरू किया गया है ? यदि हाँ, तो किस सड़क पर ?

श्री गिरधारीलाल--बजट की स्वीकृति देर से मिलने के कारण व वर्षा ऋतु के आरम्भ हो जाने के कारण कोई कार्य शुरू नहीं किया जा सका यद्यपि टेन्डर इत्यादि माँगे गये हैं ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में सन् १९५१ ई० में किसी सड़क पर काम हुआ है ?

२--श्री गिरधारीलाल--जी हाँ। चार सड़कों पर, जिनके नाम नीचे दिये जाते हैं :--

(१) खांड की मंडी से जौनपुर नगर तक ।

(२) जौनपुर रेलवे स्टेशन सड़क से किदवई पार्क तक।

(३) सराय खेता--जैगहाँ दीदारगंज ।

(४) मछलीशहर जंघई।

आगरा सदर तहसील में सड़कों पर नहर पर पक्की पुलियों की आवश्यकता

३--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या सिंचाई मंत्री को मालूम है कि आगरा सदर तहसील में कई सड़कों पर नहर पर पक्की पुलिया नहीं हैं जिससे जनता को कष्ट होता है? क्या वहाँ सरकार का पुलिया बनाने का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आगरा जिले में कुल नहरों, रजबाहों और माइनरों पर नहर विभाग द्वारा पक्की सड़कों और मुख्य नगरों पर पक्के पुल बने हुए हैं। वर्तमान समय में वहाँ कोई नया पुल बनाने की योजना नहीं है। फिर भी. यदि किसी पुल के निर्माण के लिये आवश्यकता प्रकट की जायगी, तो सरकार उस पर ध्यान देगी।

विशेषाधिकार की अवहेलना के संबन्ध में शिकायत

श्री भारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दोपहर के बाद जब इस सदन में चरिटेबिल इन्डाउमेंट विधेयक के ऊपर विचार हो रहा था तो मुझे भी बोलने का मौका मिला। मैंने उसके विषय में अपने खयालात का इजहार किया था। पूरे वाद-विवाद का उत्तर देते हुये माननीय शिक्षा मन्त्री ने एक ऐसा आरोप मेरे ऊपर किया, जिसको मैं इस हाउस का मेम्बर होने के नाते ब्रीच आफ प्रिविलेज समझता हूं।

अध्यक्ष—इसकी शिकायत आपने मेरे पास नहीं भेजी। कल जो बातें हुई हैं, उसके बारे में शिकायत आप पहले मेरे पास भेज दें। मैं जब इजाजत दूं तब आप पेश कर सकते हैं।

चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२

*खन्ड २ (क्रमागत)

अध्यक्ष—अब चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार जारी रहेगा।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के अन्तर्गत चैरिटेबिल इंडाउमेंट्स ऐक्ट, १८९०, में प्रस्तावित धारा ६-ए की उप-धारा (१) की पंक्ति ६ में अंक "५" तथा शब्द " the " के बीच के शब्द " that " के स्थान पर अल्पविराम का चिन्ह " , " रख दिया जाय।

श्रीमान् जी, इस छठी पंक्ति में यह शब्द दैट का जो प्रयोग हुआ है वह अनावश्यक है और भ्रामक भी है। "दैट" के बाद

"The person or persons acting in the administration thereof are wasting or mal-administering the same....."

है। इसका संबंध दूसरी पंक्ति से है। वह इस तरह से है—

"If the State Government is satisfied upon representation made or otherwise that, ... that the person or persons acting in the administration thereof."

यहाँ दूसरी पंक्ति में एक बार जब दैट का प्रयोग हो चुका है तो छठवीं पंक्ति में दैट का प्रयोग दोबारा व्यर्थ में किया गया है और जिस तरह से इस दैट का प्रयोग हुआ है, उससे कुछ भ्रम भी पैदा होता है। वह भ्रम यह है कि मालूम होता है कि इस दैट का संबंध छठवीं पंक्ति के शब्दों से भी है यानी शब्द—

"under section 5 that the person or persons.....

इसलिए इसको स्पष्ट करने के लिए जरूरी है कि अंक '५' के बाद एक कामा लगा दिया जाय जिससे स्पष्ट हो जायगा कि इन शब्दों का संबंध दूसरी पंक्ति से है, छठवीं पंक्ति से नहीं। जो दैट का प्रयोग दूसरी पंक्ति में हुआ है वह अनावश्यक है और वह इस प्रकार भ्रम उत्पन्न करता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि यहाँ से दैट निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर अर्धविराम का चिन्ह रख दिया जाय।

मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

शिक्षा मन्त्री (श्री हर गोविन्द सिंह)—जिस प्रकार से यह इस सभा में पेश हुआ है वह ठीक है। इसमें इस परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है।

---

* २२ सितम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपी है।

श्री जयराम वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि इसकी आवश्यकता है। मैं आप से प्रार्थना करूंगा.....

"That the person or persons acting in the administration thereof are wasting or mal-administering the same....."

अध्यक्ष--मैं इस संशोधन को लेने को तैयार नहीं हूं, जब तक कि कोई मामूली शाब्दिक संशोधन न हो।

श्री जयराम वर्मा--वह शाब्दिक संशोधन ही है।

अध्यक्ष--तो माननीय सदस्य बाद में भेज देते। मैं देख लेता। यहाँ पेश होने के बाद मैं अपने ऊपर अधिकार लेने को तैयार नहीं हूं। आप अपना संशोधन वापस लेते हैं?

श्री जयराम वर्मा--जी हाँ, वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के अन्तर्गत चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स ऐक्ट, १८९०, में प्रस्तावित धारा ६-ए की उपधारा (१) की पंक्ति ८ में शब्द "the same" के बाद निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं--

"after making such enquiry as it may deem necessary"

अगर हम नई धारा ६-ए-की उपधारा (१) को देखें तो इसमें जो आठवीं पंक्ति है "That the person....."

तो इसके बाद "after making such enquiry as it may deem necessary." यह बढ़ाने की आवश्यकता इसलिये है कि मान लीजिये कि कोई व्यक्तिगत रंजिश के कारण या आपस की पार्टीबाजी के कारण खामख्वाह परेशान करने के लिये कोई भी आदमी किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई अर्जी सरकार के पास भेज दे तो जैसी वर्तमान धारा है उसके अनुसार सरकार सीधे नोटिस जारी कर देगी। इसलिये अगर हम इंक्वायरी का क्लाज नहीं रखते हैं तो उसका मिसयूज हो सकता है। जब तक अर्जी में कोई तत्व न हो या वह सत्य न हो उस पर ऐक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। उपधारा (३) में भी उसका जिक्र है कि 'ऐंड मेकिंग सच इंक्वायरी ऐज डीम्ड नेसेसरी' तो एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं, उसके बाद इंक्वायरी की गुंजाइश रखी गयी है, लेकिन पहले जब एप्लीकेशन मिलती है तो उसकी गुंजाइश नहीं रखी गयी। उपधारा (३) में तो है उपधारा (१) में नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिये मैं आवश्यक समझता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार होना चाहिए।

श्री हरगोविन्द सिंह--इस संशोधन की कोई आवश्यकता इस कारण नहीं है कि धारा ६ आरम्भ में ही कहती है कि "इफ दि स्टेट गवर्नमेंट इज सैटिस्फाईड" तो बहुत से तरीके हो सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट यह देखे कि आया जो दरख्वास्तें या रेप्रेजेन्टेशन हैं, उनमें कोई तत्व है या नहीं और उसके बाद ही गवर्नमेंट उनको नोटिस देगी। नोटिस देने के बाद उनका एक्सप्लेनेशन आ जाने के बाद ही इंक्वायरी का सवाल पैदा होता है और इसीलिये तीसरे खंड में इसका समुचित प्रबन्ध भी कर दिया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संशोधन मान लेने के बाद भी इंक्वायरीज हो जाती हैं, एक तो नोटिस देने के पहले और एक एक्सप्लेनेशन आने के बाद। तो यह एक बड़ी लम्बी-चौड़ी प्रोसीडिंग हो जायगी। इस कारण भी मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल से देख रहा हूं कि हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री जी कृपा करके यह कह देते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। उनकी मेरे संशोधन के विरोध में दलील यह है कि पहली लाइन में,'इफ दि स्टेट गवर्नमेंट इज सैटिसफाइड' है, इसलिये इंक्वायरी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उपधारा (३) में देखें तो "सैटिसफाइड" नहीं भी है और उसके बाद

"Where the person or persons served with the notice fail to show cause.....or the Government is satisfied after considering their explanation, if any, and making such enquiry as it may deem necessary....."

तो उप धारा ३ में आपने डबल "इंक्वायरी" रखी है। "सैटिसफाइड" भी होंगे और "इंक्वायरी" भी होगी तो जब आपने उप धारा (३) में रखा है तो उपधारा (१) में भी रखना चाहिए। अगर नहीं रखते हैं तो वह तारतम्य ही नहीं बैठता है। अगर आप उपधारा (३) में 'एन्ड' का वर्ड रखते हैं तो कोई कारण समझ में नहीं आता कि पहली उपधारा में उसको स्वीकार न करें। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता है और माननीय मन्त्री जी इसपर पुनः विचार करके ठीक कर लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह--कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के अन्तर्गत चैरिटेबिल एंडाउमेन्ट्स ऐक्ट १८९०, में प्रस्तावित धारा ६--ए की उपधारा (१) की पंक्ति ८ में शब्द "the same" के बाद निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं--

"after making such enquiry as it may deem necessary."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के अन्तर्गत चैरिटेबिल इन्डाउमेंट्स ऐक्ट, १८९०, में प्रस्तावित धारा ६--ए की उप धारा (१) की पंक्ति ९ में शब्द "may" के बाद निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं --

"In the meantime suspend such person or persons and vest the management in the District Magistrate or some other officer and also"

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन जो प्रस्तुत किया है इसका उद्देश्य केवल सम्पत्ति को दुरुपयोग से व शिक्षा संस्थाओं को कुप्रबन्ध से बचाना है।

अध्यक्ष--यह आपका संशोधन किस तरह रहेगा, यह जरा कृपा करके आप फिर से देख लीजिए।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--यह जो धारा ६ (ए) है उसकी पंक्ति ९ में मेरा संशोधन यह है कि जो शब्द "It may" है उसके बाद

"It may in the meantime suspend such person or persons and vest the management ....." जोड़ा जायगा।

अध्यक्ष--

"It may in the meantime suspend such person or persons, and vest the management in the District Magistrate or some other officer and also by notification . ...," यों होगा।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--जी हां।

अध्यक्ष--अच्छा कहिये।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--हमारे माननीय मन्त्री जी ने ही नहीं स्वीकार किया है, बल्कि हाउस के तीन सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों ने यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने भी इस विधेयक के उद्देश्यों को स्वीकार किया है, अगर हमारे अभाग्य से किसी ने इसका विरोध किया है तो हमारे तीन सदस्य हैं जिनमें एक ज्वाला-प्रसाद सिन्हा साहब भी हैं जो कि अपने को नैतिकता का स्तम्भ कहते हैं और जो गीता के पुजारी हैं उन जैसे व्यक्ति ने इसका विरोध किया है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को लाने में काफी देर हुई है, इसको पहले लाने की आवश्यकता थी, लेकिन अगर अब भी लाया गया है तो हमें इसका स्वागत करना है और इसके लिये माननीय मन्त्री जी को बधाई देना है। यह बात सभी को स्वीकार है कि हमारे स्कूल्स और कालेजेज में बड़ा कुप्रबन्ध चल रहा है जिसका एक उदाहरण कल हाउस के सामने लाया गया और वह बनारस की मिसाल है। एक ही जगह ऐसा नहीं है बल्कि हमारे प्रान्त में सेकेन्डरी हायर स्कूल्स और कालेजेज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत बुरा प्रबन्ध चल रहा है।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य आम बहस शुरू न करें। अपने संशोधन पर ही रहें।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--जो संशोधन मैंने भवन के सामने प्रस्तुत किया है उसका सारांश यह है कि आज गवर्नमेंट के सामने प्रार्थना पत्र आता है और आज ही गवर्नमेंट यह बात अनुभव करती है कि एक कालेज या स्कूल में कुप्रबन्ध चल रहा है और वहाँ पर संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, उसको किसी तरह से बचाया जावे तो गवर्नमेंट उस संबन्धित स्कूल या कालेज को नोटिस देगी कि जो योजना बनी हुई है उसमें परिवर्तन क्यों न कर दिया जाय या दूसरी योजना क्यों न बना दी जाय। इसके लिये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस देने में मैं समझता हूं काफी समय लगेगा उसके लाने में और उसकी तामील शुरू होने में डेढ़ दो महीने लग सकते हैं। उसके बाद संबन्धित स्कूल्स व कालेजेज या प्रबन्धक समिति या प्रबन्धक सामने अपना उत्तर देगा। इसमें तीन चार महीने लग सकते हैं। इस तरह से जो प्रोसीजर है इसमें मैं समझता हूं कि काफी समय लग जायगा। कल जब श्री वीरेन्द्र शाह जी का संशोधन यहाँ पर प्रस्तुत था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि एक कमेटी तीन या पाँच आदमियों की हो, जो शहादत लेकर मामले को निश्चय करेगी उस समय माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि इसमें काफी समय लगेगा और हमारे विधेयक का उद्देश्य यह है कि शीघ्र कदम उठाया जावे और इस कुप्रबन्ध को ठीक करना है। इस सम्बन्ध में भी मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इसमें भी काफी समय लगेगा। इसलिये जिस दिन से गवर्नमेंट को संतोष हो जाय कि फलाँ कालेज या स्कूल्स में प्रबन्ध ठीक नहीं है उसी दिन से कोई न कोई कदम सरकार को उठाना चाहिए। अगर सरकार के सामने किसी कालेज या स्कूल्स के खिलाफ एक प्राइमा फेसी केस आ जाता है तो उसी दिन से वहाँ की प्रबन्धक समिति को या प्रबन्धक को सस्पेन्ड कर देना चाहिए। सस्पेंड शब्द एक लम्बा चौड़ा शब्द है, अगर सस्पेंड न हो तो कम से कम सुपरसीड हो सकता है जैसा कि हमारी नगरपालिकाओं में है। मेरे इस संशोधन का मन्शा और सारांश यही है कि अगर गवर्नमेंट संतुष्ट होती है कि प्रबन्ध ठीक नही हो रहा है तो उसको उसी दिन से सस्पेंड कर देना चाहिए और उसका प्रबन्ध डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिप्टी डायरेक्टर आफ एजूकेशन या और जो उचित अधिकारी हों, उसके सुपुर्द कर देना चाहिए ताकि तामील होने में, जवाब आने में तथा निर्णय होने में जो डेढ़ साल का समय लग जाता है उसके बीच का कोई न कोई तरीक़ा निकल सके और वह तरीक़ा इसी तरह से निकाला जा सकता है, यदि उसी दिन से उस मैनेजमेंट को सस्पेंड या सुपरसीड कर दिया जाय। मेरे संशोधन का यही सारांश है जो मैंने इस भवन के सामने रक्खा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन पेश किया गया है उसका उद्देश्य यही मालूम पड़ता है कि जिनको नोटिस दी जाय उनको इतना मौक़ा न मिले कि वे आकर अपनी सफाई पेश करें और जो कुछ उनको कहना हो कहें और उसके

[श्री शिवनाथ काटजू]

पूर्व ही इन्तजाम उन लोगों से लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या और किसी कर्मचारी के सुपुर्द कर दिया जाय। मेरे विचार में यह कार्यक्रम उचित नहीं होगा, क्योंकि उद्देश्य जो नये खंड ६-ए का है वह यही है कि पहले उनको एक दफा मौक़ा दिया जाय, नोटिस दिया जाय और वे जब आयें तब उनसे पूछा जाय कि दूसरी स्कीम हम क्यों न जारी करें। तो इसके पूर्व ही अगर इन्तजाम उनके हाथ से लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सुपुर्द कर दिया जायगा तो एक प्रकार की इसमें जल्दबाजी हो रहेगी। मेरे विचार में जिस तरह से सरकार ने दफा ६-ए रखी है, वही उपयुक्त और मुनासिब है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस विचार से माननीय वीरेन्द्र पति यादव ने यह संशोधन रखा है वह वैसे तो बहुत उपयुक्त जान पड़ता है चूंकि उनका दृष्टिकोण यही है कि खराबी अगर कोई है तो उसको फौरन दूर किया जाय और उसको रोक दिया जाय। लेकिन जो संशोधन उन्होंने रक्खा है एक तो वह परस्पर विरोधी है और दूसरे अगर धारा ६-ए के बजाय यह होता कि स्कीम के अन्दर यह शामिल कर लिया जायगा तो कुछ माने रखता। लेकिन चूंकि यह मूल ऐक्ट के खिलाफ जाता है चूंकि मूल ऐक्ट में धारा ५ की उपधारा (५) जो है उसमें यह लिखा हुआ है कि:

"In the settlement of such a scheme effect shall be given to the wishes of the author of the Trust so far as they can be ascertained and in the opinion of the Local Government effect can be given to them."

तो जब तक मूल ऐक्ट में यह है तब तक इतना बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाना इस संशोधन के लिये मुश्किल होगा। अगर सिलेक्ट कमेटी में यह विधेयक जाता तो यहाँ यह प्रश्न यादव जी उठा सकते थे और उस समय सारा ऐक्ट विचार में आ सकता था, लेकिन इस संशोधन से मूल ऐक्ट की "स्पिरिट" को हम नहीं रोक सकते हैं। इसके अलावा इसमें पहले ही "सस्पेन्शन" हो जायगा। तो जब "सस्पेन्शन" हो जायगा फिर उसके बाद उनसे यह बात पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर यादव जी यह लिख देते कि सस्पेन्ड करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में वे "पावर्स वेस्ट" हो जायेंगी "फार दि टाइम बीइंग" तो भी कुछ हद तक ठीक हो सकता था लेकिन उसमें यह शब्द भी नहीं इस्तेमाल किये गये हैं। इससे तो पूरी तरह से उसमें "पावर्स वेस्ट" हो जायेंगी और उसके बाद जो सस्पेन्ड हो चुका है उसको नोटिस कैसे दी जाय? उनको हम फिर क्यों नोटिस दें कि साहब, आप कारण बतायें की स्कीम सब्स्टीट्यूट क्यों न की जाय? वह तो अगर उनके हाथ में अधिकार हो तो तब उनसे पूछा जा सकता है। लेकिन हम उनको पहले ही सस्पेन्ड कर चुके हैं। उसके बाद नोटिस देते हैं कि हम प्रबन्ध बदलते हैं। तो मैं यह समझता हूं कि यह उपधारा (१) के बजाय उपधारा (३) में होना चाहिए और वह भी दिक्कत न होती यदि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जाता है। तो जैसा विधेयक माननीय मन्त्री जी ने रखा है मैं तो यह समझता हूं कि यह संशोधन उसमें उतना ठीक नहीं बैठता जितना माननीय यादव जी सोचते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे जो संशोधन पेश किया गया है उसके आशय से तो कोई मुखालिफत नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि एक रिप्रेजेन्टेशन होने के बाद ही सरकार को यह अख्तियार दिया जाय कि वह ट्रस्ट प्रापर्टी का मैनेजमेंट किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या किसी नियुक्त अधिकारी के हाथ में दे दे, यदि सरकार इस निर्णय पर पहुंचे कि उनकी जायदाद का इन्तजाम नहीं हो रहा है तो उस हालत में फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ से लेकर उस मैनेजमेंट के हाथ में ट्रस्ट प्रापर्टी को देना कम से कम देने का एक परिणाम तो यह हो ही जायगा कि जो इंस्टीट्यूशन है उसको एक बड़ा धक्का पहुंच जायगा, उसकी ख्याति खत्म हो जायगी। इस कारण मैं समझता हूं कि यह अख्तियार इस ऐक्ट में सरकार को न दिया जाय। इस कारण मैं उम्मीद करता हूं कि यादव जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री विष्णु दयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं कि--

"खंड २ के अन्तर्गत चैरिटेबिल एन्डाउमेन्ट्स ऐक्ट, १८९०, में प्रस्तावित धारा ६ (ए) की उपधारा (१) की पंक्ति १०,११ व १२ के शब्द" "the scheme settled for administration be not modified or substituted by another scheme." के स्थान पर शब्द "they should not modify the scheme settled for administration or substitute another scheme in its stead," रख दिये जायं।

मेरा मन्शा यह है कि सरकार उनको एक बार मौक़ा दे कि वह लोग स्कीम को स्वयं बदलें या उसको मोडीफिकेशन करें क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट अननेसेसरिली उनके अधिकारों में दखल देना चाहती है और ऐसा करने से राज्य की ३-४ संस्थायें जो एन्डाउमेंट्स से ही चलती है उनकी उन्नति रुक जायेगी क्योंकि सरकार अभी इतनी समर्थ नहीं है कि उनका इन्तजाम अच्छी तरह से कर सके। कुछ जो पहले उन्होंने बेटर मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कोशिश की थी और तीन गवर्नमेंट नामिनी नियत किये थे लेकिन कुछ तरक्की नहीं हो सकी। यदि ऐसा इस बार भी हुआ तो राज्य की शिक्षा का लास होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसा संशोधन लाया जाय जिससे हमें मौक़ा मिले। वह उसमें तरमीम खुद करें या उसे बिलकुल बदल दें। आशा है शिक्षा मन्त्री महोदय उसे स्वीकार करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह--इस संशोधन की मैं मुखालिफत इस कारण से करता हूं कि इसमें पहली बात तो यह हो जाती है कि जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी है उनको एक दफा फिर मौक़ा देने की बात होती है और उसके बाद फिर २ खंड में जाकर इंक्वायरी करने की तथा एक्सप्लेनेशन लेने की आवश्यकता, अगर इस संशोधन को मान लें तो नहीं रह जायेगी। मैं तो समझता हूं कि अगर उनके खिलाफ शिकायतें हैं और जिन शिकायतों पर सरकार कार्यवाही करना चाहती है तो उनमें उनको इस बात का मौक़ा दिया तो जाता है कि वह इस बात को साबित करें और दिखावें कि सरकार को उनके प्रबन्ध में जो अर्पित सम्पत्ति है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की जा रही है और उसका प्रबन्ध ठीक चलाया जा रहा है। इसका अवसर उनको दिया जाता है लेकिन जिन लोगों के द्वारा प्रबन्ध ठीक न चलाया जाता हो या सम्पत्ति नष्ट की जाती हो, उनको एक मौक़ा और देकर उन्हीं के हाथ में सम्पत्ति को रखना ठीक न होगा। इस कारण मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के अन्तर्गत चैरेटेबिल एण्डाउमेंण्टस ऐक्ट, १८९०, में प्रस्तावित धारा ६-ए की उपधारा (१) की पंक्ति १०, ११ व १२ के शब्द "the scheme settled for administration be not modified or substituted by another scheme." के स्थान पर शब्द "they shoulld not modify the scheme settled for administration or substitute another scheme in its stead" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २ के अन्तर्गत चैरीटेबिल इन्डाउमेंट्स ऐक्ट, १८९०, में प्रस्तावित धारा ६-ए की उपधारा (१) की पंक्ति १०, ११ व १२ के शब्द " the scheme settled for

[राजा वीरेन्द्रशाह]

administration be not modified or substituted by another scheme" के स्थान पर शब्द "the administration should not be taken out of their hands and entrusted to such other person or persons as the Government may think fit" रख दिये जायं।

श्रीमान्, हमारा अभिप्राय इस संशोधन से यह है कि जिस उद्देश्य से ट्रस्ट्स को क़ायम किया गया है उस चीज के बदलने के लिये सरकार को अधिकार न देना चाहिये क्योंकि जो ट्रस्ट बनाये गये वे इसी बिना पर कि जिन्होंने रुपया दिया उनका कोई खास उद्देश्य था और उन्होंने उस खास उद्देश्य की वजह से अपनी जायदाद अपने खानदान वालों या अपने बच्चों को न देकर स्कूल्स या चैरिटेबिल इंस्टीटयूशंस में लगाया। जहाँ तक कुप्रबन्ध का सवाल है, वहाँ तो सरकार अधिकार ले और उसी उद्देश्य से यह बिल आया भी है और माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि सरकार की ओर से हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि उनके मूल सिद्धान्तों में कुछ गड़बड़ी हो। लेकिन मैं देखता हूं कि इस विधेयक में इस तरह से यह अधिकार रख दिया जायगा तो आगे चलकर उसका इंटरप्रिटेशन यह होगा कि पूरा नहीं तो धीरे-धीरे इन उद्देश्यों को बदलने की चेष्टा की जायगी। श्रीमान्, मैं तो एक मिसाल देना चाहता हूं कि किसी किसी ट्रस्ट में ऐसे नियम हैं कि उस ट्रस्ट के कार्यकर्त्ता या मैनेजिंग बाडी जो हो उसमें एक ही वर्ग के लोग काम करें। अब अगर सरकार की यह नीति होगी कि नहीं मौजूदा वर्ग के लोग ठीक काम नहीं करते तो दूसरे आदमी उसी वर्ग के आकर काम कर सकते हैं और सरकार के आदेशानुसार कार्य कर सकते हैं। लेकिन आप यह चाहेंगे कि इसमें डिप्टी डाइरेक्टर और फलां-फलां सरकारी आदमी लाये जायं तो आप इस तरह नियम का उल्लंघन करेंगे। सरकार और मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि बहुत से एंडाउमेंट्स में यह बात साफ तौर से लिखी है कि उसी वर्ग के लोग कार्य करेंगे और उसकी मैनेजिंग बाडी में कलेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर आफ स्कूल्स गवर्नमेंट की तरफ से रहें। अगर हम यह संशोधन मंजूर कर लेते हैं तो गवर्नमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है कि उसके इन्तजाम को संभाला जाय वह ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वह हमारा संशोधन नहीं मानते हैं तो आगे चलकर उसमें यह इन्टरप्रिटेशन होगा कि आप जो चाहते हैं कि लोग आवें और काम करें और उनके आने के बाद फिर आप यह कहेंगे कि ठीक नहीं है और इस तरह से उसका जो उद्देश्य है वह बदल जायगा, इस वजह से मैं आपके जरिये से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जहाँ तक यह उद्देश्य है कि उनका इन्तजाम संभाला जाय मैं इससे सहमत हूं और हर विरोधी पार्टी का सदस्य इससे सहमत है कि इन्तजाम संभाला जाय, लेकिन इसके साथ-साथ यह जरूर समझा जाय कि आइन्दा इन्डाउमेंट के लिये इस तरह करने की गुंजायश लोगों के अन्दर रहे और यह न हो कि लोग यह समझें कि अब ट्रस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आजकल देश में इस तरह की भावना फैली हुई है कि ऐसे कार्य नहीं करना चाहिये कि जो धर्म से ताल्लुक रखते हों जैसे कि कोई संस्था है या ट्रस्ट है। इसलिये मुझे यह भय है कि सरकार जो अपने हाथ में इस अधिकार को ले रही है उससे यह न हो कि बुरा असर जनता के ऊपर पड़े। मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। आजकल लोगों की यह मन्शा रहती है कि जो खास चीज हो तो उसको खत्म किया जाय और खासकर गवर्नमेंट सर्वेंट की यह कोशिश रहती है कि वह खास चीज को मिटाने के लिये कोशिश करते हैं। हमारी संस्कृति की जो पुरानी चीजें हैं, उनको मिटाने के लिये बहुत से लोग कोशिश करते हैं और उनको न रखने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। इस वजह से मैं माननीय मंत्री जी से बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि आप इसको देखिये और अगर आपका काम न चले तो आप आगे संशोधन ला सकते हैं और उसमें आप कर सकते हैं कि इस कारण संशोधन करने की जरूरत है। वह स्कीम ठीक नहीं है या उससे जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होता है तब आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। जैसा कि हमारे एक मित्र ने ओरिजिनल ऐक्ट को

पढ़कर बताया कि सरकार इस अधिकार को लेना चाहती है लेकिन उसके पास कोई कारण नहीं है कि क्यों इसको लिया जाता है। सरकार इन्क्वायरी के बजाय उस चीज को अपने हाथ में लेना चाहती है कि मूल सिद्धान्त के बदलने का अधिकार उसको मिल जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे उद्देश्य को समझेंगे और इस संशोधन का समर्थन करेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आज फिर मेरी खुशक़िस्मती है कि यहाँ पर जो संशोधन माननीय राजा साहब ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे माननीय मंत्री जी कल कुछ नाराज थे कि हमारी किसी तरह से गुटबन्दी इन लोगों से हो गई और उन्होंने कहा "Adversity makes strange bed fellows friends" (आपत्ति काल में अपरिचित मित्र बन जाते हैं।)

अगर मैं माननीय मंत्री जी से कहूं कि अगर वहाँ पर 'इन मद्रास' और लगा दिया जाय तो बड़ा अच्छा हो क्योंकि वहाँ पर मुसलिम लीग और काँग्रेस में समझौता हुआ है, म्युनिसिपल एलेक्शन को जीतने के लिये। जहाँ संशोधन में उनका साथ देने का प्रश्न है जो कोई भी संशोधन कहीं से आवे राजा साहब का आवे या और किसी का आवे जिसको हम ठीक समझते हैं उसका समर्थन हम अवश्य करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारे माननीय मंत्री जी की पार्टी का ताल्लुक़ है उसके लिये राजा साहब ने खुद कहा कि वह काँग्रेस को १० हजार वोट से हराकर आये हैं और वह भी एक बड़ी जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर किसी दूसरे दल में वह मिलते हैं तो उनसे कहा जाता है कि वह रिएक्शनरी हैं। जितने ऐसे लोग हैं जो विरोधी दल का साथ देते हैं सब रिएक्शनरी हो गये और सब अग्रगामी लोग सरकारी दल में हैं। अगर राजा साहब उधर चले जायं तो वही शायद दूध के धुले हो जायं लेकिन चूंकि वह इधर हैं इसलिये बुरे हैं। मैं आप से कहूंगा कि राजा साहब को भी जनता ही ने चुन कर भेजा है अगर वह कोई भला सा संशोधन लाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। उस दल में भी तो जो मोस्ट रिएक्शनरीज थे और हैं वह सब जमा हैं। जिनके यहाँ ऐसे लोग हों और उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं मुझे दुख होता है। इनको तो जनता ने चुन कर भेजा है मुमकिन है कि इन के बुजुर्गों ने लोगों को कभी तंग किया हो, लेकिन फिर भी वह दस हजार अधिक वोटों से छंट कर आये हैं। इसलिये यह कहना गलत है कि वह प्रोग्रेसिव नहीं हैं। खैर, यहाँ पर इस समय वह बातें अधिक नहीं कहना चाहिये, इसलिये मैं कहता हूं कि राजा साहब ने जो संशोधन पेश किया है....

श्री शिव कुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। माननीय उपाध्याय जी, राजा साहब के मुताल्लिक बात कह रहे हैं या इस बिल के अमेंडमेंट पर बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इस समय माननीय शिव-कुमार जी जरा चश्मा पहिन कर कहते तो उनका जरा ज्यादा रोब पड़ता। मैं राजा साहब की बात कह रहा था कि उन्होंने अपने संशोधन द्वारा एक सिद्धान्त की बात रखी है और एक आशय रखा है। माननीय मंत्री जी जो चाहते हैं वह भी रहने दें और जो राजा साहब कह रहे हैं उसको भी ऐड होने दें तो गलतफहमी दूर हो सकती है। मतलब यही है कि फर्ज कीजिये कि कोई जैनियों की संस्था है और वह चाहते हैं कि जैनी लोगों के ही द्वारा वह चलाई जाय और उसका कारोबार चले और अगर सरकार ने दूसरी जाति वालों को फर्ज कीजिये रख दिया तो इससे ट्रस्ट वालों की मंशा को ठेस लगेगी। इसलिये राजा साहब चाहते हैं कि इसको इस तरह से बदल दिया जाय। मुझे खुशी है कि राजा साहब ने यह संशोधन पेश किया, मैं इसका समर्थन करता हूं। अगर इधर से संशोधन पेश हो और उधर वाले ठीक समझें तो उसको स्वीकार करना चाहिये, यह नहीं होना चाहिये कि यह तो राजा साहब या लाल टोपी वालों की ओर से आया है, मंजूर नहीं हो सकता है। राजा साहब भी जनता

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]
के चुने हुये प्रतिनिधि हैं और मैं बड़ी प्रोग्रेसिव बातें इन से सुन रहा हूं और आशा करता हूं कि आगे वह और भी प्रोग्रेसिव होंगे। मुझे आशा है कि सरकार ने राजा साहब के उद्देश्य को समझा होगा और वह इस संशोधन को मान लेगी ताकि हम भी कह सकें कि हमारा संशोधन भी कभी माना गया।

श्री शिवनाथ काटजू--अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्याय जी ने जो संशोधन पेश किया है, उसका समर्थन तो बहुत कम किया है, लेकिन राजा साहब का समर्थन अधिक किया है। परन्तु फिर भी राजा साहब का जो संशोधन है वह मुझे देखने में तो बड़ा भला सा लगा, लेकिन जब मैंने उसको जरा गौर से पढ़ा तो उसमें काफ़ी पेचीदगी मालूम हुई। अगर उसको मान लिया जाय तो वह ऐसा गम्भीर है कि मूल ऐक्ट में जो संशोधन किया जा रहा है, उसका तत्व ही गायब हो जायगा। मूल ऐक्ट की स्कीम यही है कि पहले ट्रेजरर मुक़र्रर हो और उसके बाद जिस वक्त वह मुक़र्रर होने जा रहा हो, उसी दौरान में एक स्कीम बन सकती है और बनने पर उसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन उसका पूरा अधिकार सरकार को है। जो संशोधन राजा साहब ने रखा है उसका मतलब यह होता है कि सरकार के हाथ से संशोधन करने का अधिकार निकल जायगा और स्कीम को बदलने का अधिकार उन्हीं के हाथ में जायगा जो गड़बड़ी कर रहे हैं और जिनके इंतजाम से जनता को असन्तोष था, इंतजाम फिर उन्हीं के हाथ में रहेगा। मेरे खयाल से ऐसा करना बहुत ही नामुनासिब और अनुचित होगा। हाँ, जैसा कि ऐक्ट के अन्दर खुद है कि जिस समय लोग नोटिस देने के बाद आवेंगे, सरकार यह विचार करेगी कि या तो स्कीम माडीफाई की जाय या दूसरी स्कीम से उसे बदला जाय। इस माडीफिकेशन का कार्यक्रम में या बदलने में कोई अच्छी बात होगी या सरकार समझेगी कि जैसा पहले इन्तजाम हो रहा है उसमें कुछ संशोधन हो सकता है तो सरकार खुद करेगी, लेकिन उसे उन्हीं लोगों के हाथों में छोड़ना, जिनके कारण सारा प्रबन्ध खराब हो रहा है एक बहुत ही भीषण परिस्थिति को उत्पन्न कर देगा। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--मान्यवर, कल से लेकर आज तक इस चैरिटेबिल इंडाउमेंट बिल के सिलसिले में जो वादाविवाद हो रहा है, उसके सिलसिले में बहुत कुछ संशोधन तो उपस्थित हुये, किन्तु आज इस संशोधन के विषय में भी वही दुर्घटना हो गई है जो कल इस सभा भवन में अधिवेशन के समाप्त होने के समय हुई थी। श्रीमान्, संशोधन तो केवल इस सम्बन्ध में है कि जिस वर्ग विशेष के लोग किसी संस्था का संचालन करते हों, उनके हाथ से वह संस्था न ली जाय, मैंने राजा साहेब का यही उद्देश्य समझा। लेकिन इसके साथ ही साथ कल की बात को लेकर और चुनाव की बात को लेकर एक विभिन्न गठबन्धन कर लिया गया है। मुझे यदि आप अनुमति दें तो मैं एक-दो बात इस विषय में आपके सामने रखना चाहता हूं। न हमारा दल और न समाजवादी दल इस बात को मानता है कि किसी दल में शामिल होने के बाद व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि वह तो उस दल के सिद्धांतों से बंधा हुआ होता है। जिस तरह से बहुत से सेठ-साहूकार समाजवादी दल में आये हैं तो हम यह नहीं कहते कि वे ग़लत रास्ते पर हैं, उसी प्रकार हम समझते हैं कि हमारे दल में शामिल होने के बाद राजाओं का व्यक्तिगत महत्व नहीं रह जाता है। काँग्रेस और समाजवादी दल में जो कुछ मतभेद है, मैं समझता हूं कि वह इतना थोड़ा है कि आज उच्च कोटि के समाजवादी नेता और उच्चकोटि के काँग्रेसी नेता यह समझते हैं कि यदि कभी भी एक प्लैटफार्म पर बैठने की बात हो सकती है तो समाजवादी दल और काँग्रेस में ही हो सकती है। जिस परिस्थिति में राजा साहब काँग्रेस को हराकर यहाँ आये हैं, वह काँग्रेस के लिये ही शोभा की बात हो सकती है, राजा साहेब के लिये नहीं। किन्तु मुझे आश्चर्य होता है कि कल से राजा साहब बराबर इस बात को कह रहे हैं और आज उपाध्याय जी ने भी कहा कि १० हजार वोटों से काँग्रेस को हराकर राजा साहब यहाँ आये।

अध्यक्ष--उन्होंने राजा साहेब के साथ संशोधन को भी लिया था। आपने संशोधन का कोई जिक्र नहीं किया है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--मैं उस पर भी आ रहा हूं। राजा साहेब ने जो कुछ कहा, वह शिक्षा के विचार से भी बड़ी प्रतिक्रियावादी बात है। आज शिक्षा के बारे में भारत में ही नहीं, वरन् संसार के हरएक कोने में, यह बात मानी गई है कि शिक्षा किसी वर्ग विशेष की चीज नहीं है। एक संस्था का मैं भी ट्रस्टी हूं। उसमें यह नियम था कि एक वर्गविशेष का मेम्बर ही उसका ट्रस्टी हो सकता था, किन्तु उस संस्था के लोगों ने बहुत सोच समझ कर यह माना कि यदि संस्था को उन्नति देना है तो ऐसी चीज को हटाना चाहिये। यह एक प्रगतिशील नियम है कि जिस संस्था में किसी वर्ग विशेष के ही लोगों के रहने की बात हो उसे सरकार द्वारा कोई सहायता न दी जाय। हमारे मित्रगण यदि किसी वर्ग विशेष के लोगों के ही होने की बात का समर्थन करते हैं तो मुझे दुख होता है और आश्चर्य होता है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बातों के कहने से और साथ ही साथ चुनाव की बात मिलाने से उनकी शोभा घटती है। राजा साहेब की शोभा तो पहले ही घट चुकी है, जब वे राजा साहेब हैं और राजा महाराजाओं के हिमायती हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इसके पहिले कि मैं इस संशोधन पर कुछ कहूं मैं एक ग़लतफहमी दूर कर देना चाहता हूं जैसा कि कल भी मैंने कहा था। मैंने कभी भी यह नहीं कहा कि राजा साहब प्रतिक्रियावादी हैं। मैंने कल यह कहा था कि जो संशोधन आया है, वह प्रथम श्रेणी का प्रतिक्रियावादी है। अगर इससे उपाध्याय जी और राजा साहब यह समझे कि मैं उनको प्रतिक्रियावादी कह रहा हूं तो मैं उनको क्या समझूं इसका मुझे अफ़सोस है। जहाँ तक इस संशोधन का प्रश्न है, संशोधन यह है कि जो प्रथम नोटिस दिया जाय, उसमें यह न कहा जाय कि हम उस प्रबंध में संशोधन करना चाहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या उसके बजाय कोई दूसरी योजना कार्यान्वित करना चाहते हैं, बल्कि संशोधन का अर्थ यह है कि हम नोटिस में यह लिखें कि क्यों न तुम्हारे हाथ से प्रबंध लिया जाकर किसी दूसरे के हाथ में दिया जाय। खंड ३ में जो योजना है, वह यह है कि जो स्कीम उस समय चालू हो, सरकार उसमें संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या और कोई दूसरी स्कीम लागू कर सकती है। फिर यह कैसे हो सकता है कि नोटिस में तो यह कहा जाय कि वजह दिखलाओ कि क्यों नहीं तुम्हारे हाथ से प्रबंध लिया जाकर दूसरे के हाथ में दिया जाय और अंतिम निर्णय हम यह दें कि स्कीम को मोडीफाई की जाय या उसके बजाय दूसरी स्कीम रख दी जाय? नोटिस उन्हीं बातों का दिया जा सकता है जो अंतिम निर्णय हुआ करता है, लेकिन दो असंगत बातें एक साथ नहीं हो सकतीं। यदि राजा साहब को यह भय है कि सरकार किसी संस्था का प्रबंध अपने हाथ में लेने के लिये उत्सुक है तो मैं उन्हें और इस भवन को यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि सरकार बिलकुल ही उत्सुक नहीं है। जितना कार्यभार सरकार के ऊपर है अर्थ की कमी के कारण वही इतना गरू हो रहा है कि सरकार को उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। इसलिये यह चीज हम किसी भी संस्था को अपने हाथ में लेने के लिये नहीं कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि दो एक कालेजेज, जो सरकार ने ले लिये हैं, सरकार उनको देने के लिये उत्सुक है। बलिया कालेज को एक मिसाल हमारे सामने है। कल एक बलिया वाले साहब मुझसे मिले थे, मैंने उनसे कहा कि इतने दिनों तक सरकार ने इसका प्रबंध चलाया, अब आप चलाइये, लेकिन सुचारुरूप से चलाइये। अगर आपका यह संशोधन मान लिया जाता है तो सरकार के हाथ थोड़ी देर के लिये बंध जाते हैं कि सरकार केवल इतना ही नोटिस दे कि "आपके हाथ से प्रबंध निकाल कर दूसरों के हाथ में दे दिया जायगा।" इसके उपरान्त अगर आप और कोई अधिकार सरकार को नहीं देना चाहते हैं तो यह प्रश्न हो सकता है कि यदि कोई प्रबंध लेने के लिये तैयार न हो तो क्या होगा।

सरकार का हाथ तो आपने बाँध दिया कि सरकार केवल इतना ही नोटिस दे सकती है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकती है, प्रबन्ध भी नहीं ले सकती है। तो अगर कोई प्रबन्ध लेने के लिये तैयार न हो तो इस बीच में क्या होगा? इन कारणों से जो यह

[श्री हरगोविन्द सिंह]

संशोधन ऐक्ट है, इसको अगर आप देखेंगे तो पायेंगे कि स्कोप इतना लम्बा चौड़ा है कि आप इसका प्रबन्ध भी ले सकते हैं और उन्हीं के हाथों में प्रबन्ध देकर इस स्कीमों को मोडिफाईज भी कर सकते हैं, उसे बदल भी सकते हैं। तो इस कारण जो इसका विस्तृत रूप है, उसे संकीर्ण करना और संकुचित करना, मेरी समझ में इस विधेयक की जान को निकाल देना है। तो इसलिये मैं समझता हूं कि राजा साहब ने भी केवल इस प्रेरणा से ही यह संशोधन पेश किया है जिसमें सुचारुरूप से इन संस्थाओं का प्रबन्ध हो सके, तो मैं समझता हूं कि वे इसको वापस ले लेंगे और यदि वे इसे वापस न लेंगे तो मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सुन कर बहुत आश्चर्य हुआ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की दृष्टि में यह संशोधन जो माननीय वीरेन्द्र शाह ने प्रस्तुत किया है वह इस विधेयक की जान को ले लेता है। मैं तो यह समझता हूं कि बहुत कुछ हद तक यह इसको अधिक अनुप्राणित करता है न कि इसकी जान को ले लेता है। इसके ऊपर माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो पहिली दलील दी, वह यह थी कि पहले तो हम नोटिस केवल इतने ही के लिये दें कि आपके हाथों से शासन प्रबन्ध हटा कर क्यों न दूसरे व्यक्तियों के हाथों में दे दिया जाय। उसके बाद तीसरी उपधारा में हम उनको कहें कि हम इस स्कीम को बदल सकते हैं। तो यह बात असंगत है। ऐसा मंत्री जी ने कहा, लेकिन अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो इतना नोटिस देना पर्याप्त होगा। चूंकि उसके बाद 'इंक्वायरी' होगी उसका 'एक्सप्लेनेशन' होगा और 'एक्सप्लेनेशन' के बाद यह बात साबित हो जाय "that the property is being wasted or being mal-administered" तब उस स्कीम को 'मेडिफाई' करना और 'सब्स्टीचूट' करना ठीक होगा। तो यह कहना कि पहले से अगर नोटिस नहीं है तो आप नहीं कह सकते, यह धारा के अन्दर पहले से प्रोवाइड कर दिया गया है तो फिर कोई रोक नहीं है। इसके साथ ही साथ यह क्रान्तिकारी संशोधन इसलिये है कि मान लीजिये कि हमने इस स्कीम को मोडिफाई भी कर दिया या सब्स्टीटयूट भी कर दिया और प्रबन्धक वे ही लोग रहे, जिनके ऊपर कि गड़बड़ी का आक्षेप लगा हुआ है तो फिर इससे क्या फायदा होगा? इसलिये स्कीम में 'मोडिफिकेशन' और 'सब्स्टीचूशन' करना आवश्यक है ताकि प्रबन्ध बदलें। लेकिन अगर यह संशोधन स्वीकार हो जाता है तो इस बात को मान लिया जाता है कि प्रबन्धक से यह जवाब तलब किया जाय कि आपकी गलतियों से प्रबन्ध में गड़बड़ी हो रही है, इसलिये क्यों न प्रबन्धक बदल दिया जाय। तो इस माने में राजा साहब का जो वर्तमान संशोधन है, वह विधेयक को उसी रूप में रखता है।

एक बात मैं और आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि माननीय शिवनाथ काटजू जी ने कहा, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ, कि हम प्रबन्ध उन्हीं लोगों के हाथों में देंगे जिनके हाथों में पहले से प्रबन्ध है। अगर माननीय शिवनाथ काटजू साहब इसको ठीक से पढ़े होते तो शायद उनको इतनी गलतफहमी नहीं होती। संशोधन इस प्रकार है :--

"The administration should not be taken out of their hands and entrusted to such other person or persons as the Government may think fit"

यानी सरकार उन व्यक्तियों के हाथों में प्रबन्ध दे दे जो ठीक से शासन व्यवस्था कर सकें। माननीय काटजू साहब को गलतफहमी है। अगर वे संशोधन ठीक देखें तो मालूम होगा कि वे गवर्नमेंट के हाथों में और ताकत दे रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी समझते हैं कि माननीय वीरेन्द्र शाह को डर है कि गवर्नमेंट अपने हाथों में ताकत ले रही है लेकिन उनको डर है बल्कि माननीय वीरेन्द्र शाह तो गवर्नमेंट के हाथों में ताकत दे रहे हैं। आपने इसका बिलकुल उल्टा अर्थ लगाया है। इसका अर्थ यह है कि गवर्नमेंट को इसलिये ताकत दे रहे हैं कि सरकार जो खराब प्रबन्धक हो उसे हटा कर नये प्रबन्धक

के हाथ में जिसे वह समुचित समझे उसका प्रबन्ध दे और जब नये प्रबन्धक रखे जायेंगे तो वह स्कीम तो माडीफाइड करके ही रखी जायगी या सब्स्टीटयूट करके ही रखी जायगी और इस तरह से अगर माडीफिकेशन और सब्स्टीटयूशन मौजूद है तब तो विधेयक को मैं सही माने में क्रान्तिकारी कह सकता हूं और इसीलिये वह उसकी जान को नहीं खत्म करता है बल्कि उसको अनुप्राणित करता है ।

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन पर माननीय सदस्यों और माननीय मन्त्री जी के जो भाषण उत्तर में हुये बड़ी गम्भीरतापूर्वक मैंने उन्हें सुना । मुझे बड़ा दुख है कि माननीय मन्त्री जी अब कहते हैं कि उन्होंने मेरे लिये प्रतिक्रियावादी नहीं कहा था, बल्कि मेरे संशोधन के वास्ते कहा था, लेकिन क्या उन्होंने यह साफ साफ नहीं कहा था कि चूंकि राजा साहब प्रस्ताव लाये हैं इसलिये यह माना जा सकता है कि ऐसा प्रतिक्रियावादी प्रस्ताव आवे ? अब प्रस्ताव प्रतिक्रियावादी है या दोनों यह साफ साफ समझा जा सकता है ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---कब कहा था, आज ही, कि साल दो साल पहले ?

राजा वीरेन्द्र शाह---कल ही कहा था ।

श्री रामनरेश शुक्ल---कल की बात तो कल खत्म हो गई अब आज की कहिये ।

अध्यक्ष---नहीं, कल के विषय में आज ही उन्होंने कहा था । माननीय मन्त्री जी ने आज ही कहा था ।

राजा वीरेन्द्र शाह---मुझे बड़ा दुख है कि खामखा के लिये मेरे सम्बन्ध में लोगों को यह कहने का कष्ट उठाना पड़ा है । हमारे माननीय परिपूर्णानन्द जी ने तो यहाँ तक कह डाला था कि ये राजा लोग ऐसे हैं और ऐसे ऐसे कर्म करते हैं । मैं भी कहता हूं कि कर्म से आदमी की उपयोगिता और अनुपयोगिता जानी जाती है । आज हम कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं, उसके सिद्धान्त को नहीं मानते हैं इसलिये हमारे कर्म को वह खराब समझते हैं । हम छोटी सी पार्टी की ओर से चुनकर आये हैं, इसलिये उनको इससे दुख होता है हालाँकि बहुत से और भी मेरे ऐसे सदस्य उधर बैठे हुये हैं । उनसे भी आगे बढ़े हुये सोशलिस्ट सदस्य, हालाँ कि यह मानते हैं कि अगर कोई जनता की सेवा के नाम से काम करता है तो उसको बुरा नहीं कहना चाहिये । जाति और व्यक्तित्व से कोई व्यक्ति बुरा भला नहीं होता बल्कि कर्म से होता है । श्रीमान्, मैं बतलाना चाहता हूं कि हम प्रजापार्टी की तरफ से अपने से चुनाव में जीतकर यहाँ आये हैं ।

अब मैं अपने संशोधन के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे काटजू साहब ने कहा कि यह संशोधन आगे चल कर सरकार के हाथ बाँध देगा यह बात नहीं है । मुझे भय था कि यह सरकार विदेशी तो है नहीं जो न धर्म की बातों को जानने की कोशिश करती थी और न जानती ही थी । लेकिन यह सरकार कहने के लिये सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा यदि मैं कहूं कि सरकार के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस तरह के धार्मिक ट्रस्टों पर भी हाथ उठाया जाय । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो संस्थायें सुचारुरूप से चल रही हैं, उनके लिये क्या आवश्यकता आ गई है कि उनको अपने हाथ में लिया जाय और जिसके लिये हमारे माननीय मन्त्री जी इतने बड़े इन्टरनेशनल बनना चाहते हैं । हमारे मन्त्री जी स्वयं कहते हैं कि सरकार में क्षमता नहीं है, सरकार उनको नहीं संभाल सकती है तो फिर उनको किसलिये दुख पहुंचाया जा रहा है ? करने के लिये हम बातें करें सातवें आसमान की और इंतिजाम करने के लिये पैसा पास नहीं है यह तो हालत है । हम पूछते हैं उन संस्थाओं का क्या अपराध है, सरकार से पैसा नहीं माँगती, उससे अधिक सहायता भी नहीं माँगती, लेकिन सरकार के कर्मचारी कोई उसकी नेकनामी अपने लिये लेना चाहते हों, बस ऐसा कर लिया जाय । हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि आप इतने अच्छे सुधार न करें । हम नहीं चाहते हैं कि हमारे संशोधनों के कारण सिद्धान्त बिगड़ जाय । इसमें आगे चल कर

[राजा वीरेन्द्र शाह]

एक संशोधन सिद्धान्त पर आया है और चूंकि माननीय मन्त्री जी ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि आगे चल कर वह इसको अच्छा कर देंगे तो इस आश्वासन के बाद मैं इस संशोधन वापस लेने के लिये तैयार हूं और आगे जहाँ सिद्धान्त वाला प्रश्न है वहाँ हम आशा करेंगे कि मन्त्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड २ के अन्तर्गत चैरिटेबिल इंडाउमेंट्स ऐक्ट, १८९० में प्रस्तावित धारा ६-ए की उपधारा (३) की पंक्ति १० में शब्द " settled " के बाद शब्द " modified or substituted " तथा उपधारा के अन्त के शब्द " by another scheme " के बाद शब्द " again " बढ़ा दिये जायं, प्रस्तावित करता हूं ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल जब मैंने उपधारा (१) में इस प्रकार का संशोधन "माडीफाइड आर सब्सटीट्यूटेड" का रखा था तो माननीय मंत्री जी ने इसको अनावश्यक बतलाया था । कहा था कि इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । उसके बाद वह चुप रह गये । लेकिन माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि क्या सरकार की यह इच्छा है कि जब-जब अलग-अलग कालेजों के केस आते रहेंगे तब-तब संशोधन विधेयक उपस्थित होते रहेंगे । जब कायस्थ पाठशाला का केस आया तो . . . .।

श्री हरगोविन्द सिंह--प्वाइंट आफ आर्डर । यह तो संशोधन कल ही वोट डाउन हो गया था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--कल का तो दूसरा है । यह छपने में गलती हो गयी है । यह उपधारा (३) के लिए है ।

अध्यक्ष--आप ६-ए की उपधारा (३) में संशोधन चाहते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--जी हाँ ।

अध्यक्ष--कल वाला क्या संशोधन था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--कल उपधारा (१) में रखा था ।

अध्यक्ष--तो पहले माननीय श्रीचन्द जी अपना संशोधन पेश करेंगे ।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस प्रकार से संशोधन पेश करना चाहता हूं । खंड २ के अन्तर्गत चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स ऐक्ट, १८९० में प्रस्तावित धारा ६-ए की उपधारा (३) की पंक्ति २ में शब्द "the time allowed" के स्थान पर शब्द "a month" रख दिये जायं ।

श्रीमान् जी, यह विधेयक मंत्रीजी ने जो इस सदन के सामने उपस्थित किया है यह अत्यन्त उपयुक्त था और समयानुकूल इसकी आवश्यकता थी । जो मंत्री जी के विचार हैं वैसे ही मेरे भी विचार हैं । इसके साथ में यह चाहता हूं कि जो कार्य इस संबंध में हो वह एक नियमपूर्वक और समय की पाबन्दी लिये हो ।

इस विधेयक में जो "दी टाइम अलाउड" शब्द रक्खे हैं, मैं समझता हूं कि ट्रेजरर जब प्रबन्धकर्ता को नोटिस देगा तो उसका समय इसमें निर्धारित नहीं है । इसमें काफी समय लिया जा सकता है और अधिक समय के लगने से उसका अधिक से अधिक दुरुपयोग होता रहेगा । यही कारण है कि समय का निर्धारित होना अत्यन्त आवश्यक है । जब कोई विधेयक धारा सभा के सामने पेश किया जाता है तो यह देखने की आवश्यकता होती है कि उसको चलाने वाला न्यायालय और दूसरे व्यक्ति, जिन पर यह लागू किया जाता है, उनपर क्या प्रभाव पड़ेगा । इस लिये इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि कोई अधिकार किसी न्यायालय का या जिन पर लागू किया जाता है, ऐसा न हो कि उनकी इच्छा के अनुसार छोड़

दिया जाय, बल्कि एक समय नियुक्त होना चाहिये और उस समय के अन्दर पूर्ण कार्यवाही हो जानी चाहिये । यही कारण है कि न्यायालयों में बहुत से वाद (झगड़े) बहुत दिनों तक चलते रहते हैं। जिस कार्य को बहुत ही थोड़े समय में समाप्त कर देने की आवश्यकता होती है उसमें ढेर का ढेर समय लग जाता है । मैं देखता हूं कि यदि किसी न्यायालय में कोई आवेदन-पत्र किसी की ओर से पेश किया जाता है तो देखने की आवश्यकता यह होती है कि उस आवेदन-पत्र में क्या शिकायत उस प्रार्थी की है और दूसरी ओर कर्मचारियों के भाव और विचार देखने के प्रयत्न करते हैं कि क्या त्रुटि आवेदनपत्र में ऐसी है जिसको देखकर आपत्ति की जाय। इस प्रकार से भ्रष्टाचार अधिक फैलता जा रहा है । मैं समझता हूं कि किसी समय के अवधारित करने में ऐसा न हो कि किसी को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाय कि वह उसके अन्दर समय का दुरुपयोग करें। इसलिये समय निर्धारित होना अत्यन्त आवश्यक है। और "दि टाइम अलाउड" के स्थान पर "ए मंथ" शब्द रख दिये जायं। मैं समझता हूं यह पर्याप्त मात्रा समय की है और इसके अन्दर यदि कोई प्रबन्धकर्त्ता अपने काम में अवहेलना कर रहा हो और किसी प्रकार उस समय का सदुपयोग न कर सके तो पूर्णतया उसका उत्तर देना उसके लिये उचित होगा।

श्री हरगोविन्द सिंह--मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री श्रीचन्द--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मेरे विचार से तो समय निर्धारित किया जाना आवश्यक था, परन्तु जैसा कि आप फरमाते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री विष्णुदयाल वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं। खंड २ के अन्तर्गत चैरिटेबिल इंडाउमेंट्स ऐक्ट, १८९० में प्रस्तावित धारा ६-ए की उपधारा (३) के अन्तिम शब्द "place" के पश्चात् के पूर्णविराम के स्थान पर अल्पविराम का चिन्ह रख दिया जाय और उसके उपरान्त निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं --

"With the concurrence of the person or persons, acting in the administration of the property and the Vice-Chancellor of the nearest University."

श्रीमान् जी, मूल अधिनियम में प्रस्तावित नयी धारा का मंशा यह मालूम पड़ता है कि जितनी शिक्षा संस्थाओं में प्रापर्टी है वह गवर्नमेंट अपने हाथ में ले करके खुद एक ऐसा प्रबन्ध स्थापित करना चाहती है, जो बिलकुल पेट हो, लेकिन मुझे डर है कि इस तरह का जो प्रबन्ध बनेगा वह अच्छी तरह से नहीं चल सकेगा। गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले गवर्नमेंट के तीन नामिनी उनके मैनेजमेंट में रखने के लिये कहा था, लेकिन वह अब तक नहीं पूरा किया गया। ऐसी समस्या यहाँ पर भी उपस्थित हो सकती है यदि गवर्नमेंट ने उनको अपने हाथ में ले लिया और नई स्कीम चालू कर दी। ऐसी स्थिति में शिक्षा संस्थाओं का इन्तजाम बरबाद हो जायगा और उनमें जो शिक्षा हो रही होगी उसको हानि पहुंचेगी। मैं यह चाहता हूं कि उसके स्थान पर यह मेरा संशोधन रखा जाय जिससे जो पहले से प्रबन्ध में हैं उनकी राय से और पास की युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिल करके गवर्नमेंट पूरी तरह से विचार करके कोई स्कीम बनाये। इस तरह से विचार करके जो स्कीम बनेगी उसमें कोई कमी नहीं रह जायगी। मैं यह चाहता हूं कि यह जो स्कीम बने, यह तीनों की मदद से बने। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमारे माननीय सदस्यों को यह डर है कि सरकार इनकी सम्पत्ति अपने हाथ में लेना चाहती है। हम भी चाहते हैं कि जितनी प्राइवेट संस्थायें हैं, उन सब को सरकार अपने हाथ में ले ले और उनको अपने खर्च से चलावे, परन्तु गवर्नमेंट के पास अभी इतने आर्थिक साधन ही नहीं हैं। इसके अलावा जो सरकारी शिक्षा संस्थायें हैं उनमें बहुत कम विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। लगभग तीन चौथाई विद्यार्थी प्राइवेट संस्थाओं

[श्री विष्णुदयाल वर्मा]

में शिक्षा पाते हैं। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को मान ले।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे मित्र श्री विष्णुदयाल वर्मा जी ने पेश किया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। जैसा कि जब मैंने अपना संशोधन पेश किया था उस समय मैंने कहा था कि यदि सरकार यह मानती है कि जिन दान-दाताओं ने जिन उद्देश्यों से ट्रस्ट बनाया है उन उद्देश्यों को क़ायम रखने के लिये सरकार कार्य करेगी तो यह जो संशोधन है, उसमें यह लिखा हुआ है कि---

"With the concurrence of the person or persons, acting in the administration of the property."

ऐसे आदमी जो उसके इन्तज़ामकारों में हैं, ऐसे नहीं, जिन्होंने बदइन्तज़ामी की हो, वह इसकी राय दें कि सरकार कोई दूसरी स्कीम या उसमें कोई परिवर्तन करना चाहे तो उद्देश्यों में परिवर्तन कर सके। तो अगर सरकार इस बात को मानती है जैसा कि मंत्री जी ने अपने भाषण में बतलाया कि सरकार का उद्देश्य यह नहीं है कि दान-दाताओं के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन किया जाय तो इस संशोधन को मान लेने में भी कोई भय नहीं होना चाहिये। क्योंकि वे लोग सिर्फ उन्हीं मूल सिद्धान्तों के ऊपर अपनी राय सरकार के साथ नहीं देंगे, बाकी इन्तज़ाम के मामलों में तो वे सरकार का साथ देंगे ही और देना चाहिये, ताकि इन्तज़ाम ठीक रहे। लेकिन जो मूल सिद्धान्त हैं, उनको न बदलने पाये इसके लिये अगर सरकार उनकी राय ले लेगी तो हमको भय नहीं रहेगा। तो मंत्री जी यह समझेंगे कि उनके उद्देश्य में कोई कमी नहीं आती है और साथ ही साथ हम लोगों का जो भय है वह दूर हो जाता है। इसलिये इस संशोधन को मानने में कोई हर्ज नहीं है और मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन पेश किया गया है, यह जो बिल हमारे सामने पेश है असल में इसकी स्पिरिट के बिलकुल खिलाफ है। हमारे उद्देश्य में यह कहा गया है कि हम कोई संशोधन स्कीम में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो लोग मुन्तज़िम हैं, उनकी हमको रजामन्दी चाहिये और उनकी तरफ से दरख्वास्त चाहिये। यही चीज बिल में कही गयी है और इसी दिक्कत की वजह से यह बिल लाया गया। अब वही चीज उलट करके फिर इसमें रखी जा रही है कि जो मुन्तज़िम हैं उनकी रजामन्दी चाहिये और उनकी रजामन्दी ही से उस स्कीम में कोई संशोधन हो सकता है, तो मैं यह कहूंगा कि यह संशोधन बिलकुल असंगत है। और इस बिल में यह संशोधन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो नियरेस्ट यूनीवर्सिटी हो रख दिया गया है। मैंने प्वाइंट आफ आर्डर शुरू में रेज नहीं किया था, वर्ना यह निगेटिव वोट हो जाता और रूल ८२ के अनुसार यह गलत हो जाता, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि यह असंगत है।

श्री हरगोविन्द सिंह--जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा है, उसके कहने के बाद कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कि मैं भी उसमें कुछ कहूं। मैं यह जानता हूं कि यह प्रस्ताव वापस नहीं लिया जायगा, क्योंकि राजा साहब उद्देश्य को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। वह चाहते हैं कि इसका उद्देश्य बिगड़ने न पाये। इसलिये वह इसको वापस नहीं लेंगे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उग्रसेन सिंह (जिला गोंडा)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का जो उद्देश्य है, वह इसके उद्देश्य और कारणों के पढ़ने से मालूम होता है। उद्देश्य में हमला इसके ऊपर है कि प्रापर्टी का इंतज़ाम ठीक तरह से नहीं हो रहा है, मगर जो बिल उन्होंने रखा है वह तो

स्कीम को ही बदलने के लिये रखा है। बेहतर तो यह होगा कि अगर गवर्नमेंट को शुबहात हैं कि जिन लोगों के हाथ में इंतजाम है वह ठीक तरह से इंतजाम नहीं करते हैं, त उनको बदल दिया जाय और इंतजाम अच्छे लोगों के सुपुर्द किया जाय और यह बेहतर होता कि जो अच्छे लोग चुने जांय उसमें उनकी भी आवाज हो जिन्होंने यह रुपया पैसा देकर चैरिटेबिल इंडाउमेंटस ट्रस्टस क़ायम किये हैं। बिल के उद्देश्य के पढ़ने से तो मालूम होता है कि वह कुप्रबंध को रोकना चाहते हैं, मगर विधेयक सारी स्कीम को बदलना चाहता है। जिन्होंने अपना ११-१२ लाख रुपया इन चैरिटेबिल ट्रस्ट्स को दे दिया है और यह चाहा है कि इस तरह से इसका इंतजाम हो तो यह उस तरीक़े को बदलना चाहते हैं। फर्ज़ कीजिये कि कायस्थ पाठशाला है या उदयपुर क्षत्रिय कालेज है या और कोई संस्था है। इनको जिन्होंने इतना रुपया दिया तो उनके दिमाग में था कि इनका इस तरह से इंतजाम किया जाय। गवर्नमेंट अगर कहती है कि इसका कुप्रबंध रोका जाय या इन्तजाम ठीक किया जाय तो इसमें तो सभी सहमत हैं, मगर उसकी स्कीम को बदलने की जो मंशा है वह उद्देश्य के विरुद्ध है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन ठीक है और इसमें कहा गया है कि जिसके हाथ में इंतजाम है उसकी भी आवाज सुनी जाय, गवर्नमेंट के बहुत से डिपार्टमेंटस हैं, जिनका इंतजाम भी अच्छा नहीं है और पब्लिक की राय है कि गवर्नमेंट जिन डिपार्टमेंट्स का इंतजाम कर रही है उनका इंतजाम बहुत खराब है और पब्लिक के हाथ में जो इंतजाम है वह बनिस्बत गवर्नमेंट के कहीं अच्छा है। यानी गवर्नमेंट में करप्शन हैं, निपोटिज्म है। लिहाजा जिन्होंने रुपया दिया है और वह मर चुके हैं तो उनकी रूह इससे खुश नहीं होगी।

श्री शिवनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मित्र ने जो अमेंडमेंट यहाँ पेश किया है उसमें लिखा हुआ है ---

"with the concurrence of the person, persons, acting in the administration of the property and the Vice-Chancellor of the nearest University."

तो यह गवर्नमेंट ज्यादा रिस्पांसिबिल है या वाइस चांसलर ज्यादा रिस्पांसिबिल है। गवर्नमेंट होलसोल रिस्पांसिबिल है, लेकिन आप यह रिस्पांसिबिलिटी एक थर्ड पर्सन को सौंप देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट जिसे मुनासिब समझेगी उसे नामिनेट करेगी और वही बेस्ट होगा। जो यह संशोधन आया है वह अधूरा है। मेरे चन्द दोस्त जो उधर बैठे हैं सुबह से वे आज इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की पालिसी तो साफ और खुली हुई है। गवर्नमेंट किसी भी आर्गनाइजेशन को अच्छी तरह से चलाने के लिये जिसे भी मुनासिब समझेगी उसके कमांड में देगी। अगर उन्हीं पुराने एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में सौंप देगी तो लूपहोल रहेगा। अच्छा यही है कि जो गवर्नमेंट मुनासिब समझे वही करे। हम ब्रिटिशर्स नहीं हैं, अब हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का हर आफिसर रिस्पांसिबिल है और गवर्नमेंट जिसको सौंपेगी वही अत्यन्त उत्तम होगा। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं, क्योंकि यह संशोधन बिलकुल व्यर्थ है और कूड़े-करकट की टोकरी में फेंक देने के काबिल है।

श्री विष्णुदयाल वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवनारायण जी ने अभी कहा कि वाइस चांसलर इतना रिस्पांसिबिल नहीं है, जितनी कि गवर्नमेंट है। मैं भी इसे मानता हूं, लेकिन अच्छा होता हमारे शिवनारायण जी की गवर्नमेंट होती . . . .

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)---मेरी ही गवर्नमेंट इस वक्त है।

श्री विष्णुदयाल वर्मा---हमारे मंत्री जी ने बतलाया है कि इस बिल का जो उद्देश्य है कि संस्थाओं में जो गड़बड़ियां हैं वे दूर हो जायं और जो प्रापर्टी नष्ट की जा रही है वह नष्ट न होने पाये और जो पहले स्कीम बदलने में मैनेजमेंट में जो आदमी होते थे उनकी दरख्वास्त का होना जरूरी था तो मैं यह कहता हूं कि मेरे संशोधन के आने से इसमें कोई खलल नहीं पड़ता है। उस दरख्वास्त की आवश्यकता हो या न हो लेकिन जो बात मैंने इस संशोधन

[श्री विष्णुदयाल वर्मा]

में रक्खी है उसके विषय में मैं श्रीमान् मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (५) में जो लिखा हुआ है कि जो भी स्कीम बनाई जाय उसमें जो धनदाता है उसकी इच्छाओं का ध्यान रक्खा जाय, लेकिन इसमें जो प्रस्ताव किया गया है उसमें इन धाराओं पर बिलकुल विचार नहीं किया गया। इसमें यह लिखा हुआ है कि ५, ६ धाराओं में कुछ भी होते हुए यह स्कीम बनाई जा सकती है और अगर इस तरह यह स्कीम बन सकेगी तो मुमकिन है जो धनदाता है उसकी इच्छा के विरुद्ध वह बने और जिस परपज से प्रापर्टी लगाई गई थीं उसका अच्छी तरह से प्रयोग न हो सके। इसलिये मैंने इस संशोधन को यहां रखना उचित समझा और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल सिद्धान्त इस बिल के पीछे है निस्सन्देह इस संशोधन के मान लेने से खत्म हो जाता है। यह विधेयक इस भवन के सामने लाने की आवश्यकता सिर्फ इस कारण से हुई कि जिन लोगों के हाथ में इस समय इन्तजाम है बिला उनकी सम्मति के सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। तो दो रोज की बहस के बाद अगर यह संशोधन मान लिया जाय कि बिला उनकी सम्मति के कोई संशोधन उस योजना में या उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता तो मैं समझता हूं कि यह बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं थी और यह बिल अनावश्यक था। इस कारण से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के अन्तर्गत चैरिटेबिल एन्डाउमेंट्स ऐक्ट, १८९० में प्रस्तावित धारा ६--ए की उपधारा (३) के अन्तिम शब्द "plan" के पश्चात् के पूर्णविराम के स्थान पर अल्पविराम का चिन्ह रख दिया जाय और उसके उपरान्त निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं---

"With the concurrence of the person or persons, acting in the administration of the property, and the Vice-Chancellor of the nearest University."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

१८९० का ऐक्ट २

चैरिटेबिल एण्डाउमेण्ट्स ऐक्ट, १८९०, में, उसकी उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधन करने के निमित्त

विधेयक

भूमिका

चैरिटेबिल एण्डाउमेण्ट्स ऐक्ट, १८९०, में उसकी उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो आगे चलकर प्रतीत होंगे, संशोधन करना आवश्यक है,

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है---

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम चैरिटेबिल एण्डाउमेण्ट्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) अधिनियम, १९५२, कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविन्द सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि चैरिटेबिल एन्डाउमेंट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पारित किया जाय।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि चैरिटेबिल एण्डाउमेंट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक पर प्रवर समिति के पूर्व उपस्थापित प्रतिवेदन का प्रतिस्थापन

उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि कल उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक पर प्रवर समिति की हिन्दी रिपोर्ट, जो छपकर आई थी, वह प्रस्तुत की जा चुकी है। परन्तु अब सरकार ने सूचित किया है कि इस रिपोर्ट में कुछ अशुद्धियां हैं। अब सरकार ने उन अशुद्धियों को ठीक कराकर दूसरी रिपोर्ट अभी कुछ देर पहले आप सज्जनों के सामने रख दी है। मैं समझता हूं कि वह सबको प्राप्त हो गई होगी।

उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, * १९५२

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाब स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि किराये की वसूली और बेदखली विधेयक, १९५२ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

इस बिल को जब मैंने पहले इस ऐवान के सामने पेश किया था उस वक्त तफसील के साथ यह बतला दिया गया था कि इस बिल में क्या-क्या है। उसके बाद यह बिल इस ऐवान की मंजूरी से सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया था और सेलेक्ट कमेटी ने इसमें अपने इत्तफ़ाक़ के साथ ४ जगह तब्दीलियां की हैं। उनमें से पहली तब्दीली खंड ३ में है कि जिसके जरिये से काम्पिटेंट अथारिटी को एलाटमेंट के कैंसिलेशन का अधिकार दिया था, उसमें सेलेक्ट कमेटी ने चाहा कि उसको इस अधिकार के साथ कारण का लिखना भी जरूरी कर दिया जायट। इसलिये यह चीज भी दफ़ा ३ में बढ़ा दी गई है, इसके बाद नम्बर ५ में एक और संशोधन उसने किया है, जिसमें कि यह था कि अगर वह आदमी जिसको नोटिस दिया गया न वह अपनी जिम्मेदारी से और उस किराये के वाजिब होने से इनकार करता है तो वह उस किराये को बतौर प्रोटेस्ट के जमा कर दे और उसके बाद उसको नालिश करने का अदालत में अधिकार रहेगा यह साबित करने के लिये कि उसके ऊपर कोई रक़म वाजिब नहीं है। इस सिलसिले में सेलेक्ट कमेटी ने इस खंड में यह तब्दीली की है कि अपान पेमेंट आफ दि सेम बतौर प्रोटेस्ट के उस रक़म को जमा करे। तीसरी तब्दीली उन्होंने यह की है कि खंड ७ के क में, क्लाज बी में १५ दिन के बजाय ३० दिन करना मंजूर किया है और इसका जो खंड १२ है उसके उपखंड ३ में जो बहुत सी इबारत लिखी है मेम्बरान पढ़ेंगे वह सब वहां से तब्दील हो गई है। उसका मक़सद यह है कि हर्जे की वसूली के मुताल्लिक़ जो रखा गया था उसके मुताबिक़ क़ानून में यह अख्तियार नहीं था। अब यह अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो अपने डेमेजेज बतौर प्रोटेस्ट जमा करने के बाद उनकी नालिश अदालत में दायर कर दे यह साबित करने के लिये कि वह उस पर वाजिब नहीं हैं और लिमिटेशन ऐक्ट में मियाद के बढ़ाने के मुताल्लिक़ जो दफा लिखी है वह भी उसके मुताबिक़ हो जायेंगी जिसका हक़ ऐक्ट में दिया है। यह तब्दीलियां सेलेक्ट कमेटी की तजवीजों के जरिये से हुई हैं और कमेटी ने उनको अपने इत्तफ़ाक़

---

†प्रतिवेदन शुद्ध रूप में २२ सितम्बर, ११५२ ई० को कार्यवाही में छपा है।

* ९ सितम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

से किया है। इस पर मैं समझता हूं मुझे इस वक्त ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क़ानून के प्रिन्सिपिल को यह ऐवान पहले ही तसलीम कर चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन संशोधनों को जो सेलेक्ट कमेटी ने किये हैं यह ऐवान मंजूर करेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह आशा थी कि प्रवर समिति में विचार होने के बाद यह उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि किराये की वसूली और बेदखली विधेयक शायद इस रूप में हमारे सामने आ सके जिससे कि इसके कटुपूर्ण अंश दूर हो सकें और हम उसे स्वीकार कर सकें। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना विचार होने के बाद भी और प्रवर समिति की मेहनत के बाद भी, मैं इसे उतना उचित नहीं समझता जितना कि माननीय वित्त मंत्री जी समझते हैं। उस दिन जबकि पुराने विधेयक पर बातचीत हो रही थी तो मैंने पुराने बिल के उद्देश्य और कारण को पढ़ा था और यह दरशाया था कि हमारे पुरुषार्थी भाइयों से किराया वसूल करने के लिये या उन पर पाबन्दी लगाने के लिये यह विधेयक बनाया जा रहा है। मेरा वह भय आज भी बना हुआ है। इसके कारण हैं। जब मैं इस विधेयक की धारा ३ को देखता हूं तो उसमें केवल इतना ही लिखा गया है कि समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुये भी, समर्थ अधिकारी किसी ऐसे प्रवेशन को कारण लिखकर निरस्त कर सकता है जिसके अधीन कोई सरकारी भू-गृहादि किसी व्यक्ति के अधिकार या अधिवास में हो। मैंने उस दिन भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि यह कितना महत्वपूर्ण अधिकार हम समर्थ अधिकारी को देने जा रहे हैं। इसमें कोई बात नहीं है कि किसी ने किराया दिया या नहीं। वह यह भी कह सकते हैं कि आपने आज्ञा का ठीक पालन नहीं किया, या सफेदी नहीं कराई, या संख्या ज्यादा बढ़ा दी। यह भी नहीं है कि १५ दिन का नोटिस तो हो या एक्सटेंशन मांगा जायगा या कोई अपील होगी। कुछ नहीं। सिर्फ कारण लिख कर वह दे देंगे। कोई समय भी निर्धारित नहीं है कि इतने दिनों में वह खाली कर दे। हम यह इतना बड़ा और कुठाराघात कर सकनेवाला अधिकार देने जा रहे हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी हाल में हमने रेंट कंट्रोल ऐंड इविक्शन ऐक्ट का एक संशोधक विधेयक पास किया था जिसके द्वारा हमने निजी हाउस ओनर्स के जो किरायेदार हैं उनको सहूलियतें प्रदान की हैं। हमने उन्हें इस बात का मौका दिया है कि जब मकान मालिक दावा करे तो पहले ऐक्ट में यह होता था कि जितना रीजनेबिल रेंट का दावा करे तो वह रुपया पहले कोर्ट में जमा करना होता था और उसके बाद कोई एतराज हो सकता था। तो हमने इसमें संशोधन यह किया था कि जो जमानत कोर्ट कहे उसे देने पर टेनेंट आब्जक्शन कर सकता था। लेकिन इस बिल में हम लिखते हैं कि टेनेंट को पूरी की पूरी रक़म देनी होगी और तब कोई अपील हो सकती है। रेंट कंट्रोल में हमने टेनेंट को ज्यादा छूट मुक़द्दमे में देने की कोशिश की। तो क्या आज इस विधेयक के द्वारा जिन लोगों की यह बदकिस्मती है कि वह सरकारी मकानों में रहें या सरकारी दूकानों में व्यवस्था करें उन लोगों को हम ज्यादा परेशान करने जा रहे हैं बनिस्बत उन टेनेंट्स के जो प्राइवेट लोगों के किरायेदार हैं? यह कितना सुन्दर वैषम्य है। सुन्दर है या असुन्दर, यह तो हाउस ही तय करेगा। लेकिन यदि एक तरफ हम सरकारी टेनेंट्स को लें और दूसरी तरफ गैरसरकारी टेनेंट्स को लें, तो कितनी बड़ी खाई है।

मैं तो यह कहूंगा कि यह दुबारा सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। सेलेक्ट कमेटी को रिकमेंड किया जाय और उससे कहा जाय कि इस में जो ऐसी फंडामेंटल धारायें हैं उनको हटा कर किरायेदारों के लिये वही सुविधायें दी जायं जो जुगल किशोर इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार प्राइवेट मकान मालिकों के किरायेदारों को दी गई हैं।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारा उत्तर प्रदेश नेतृत्व करता है। हमारा उत्तर प्रदेश नेतृत्व करे, यह प्रसन्नता की बात है, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश जनता के सुभीते के लिये नेतृत्व करे, न कि जनता की परेशानी को बढ़ाने के लिये। अगर आप रेंट कंट्रोल एंड

एविक्शन ऐक्ट में किरायेदारों की सुविधा के लिये नेतृत्व करते हैं तब तो वह आपका नेतृत्व ग्राह्य है लेकिन आपका वह नेतृत्व अनुकरणीय नहीं हो सकता जो जनता के कष्टों को बढ़ाने वाला हो।

मैंने तमाम लाइब्रेरी में इस बात को जानने की निष्फल कोशिश की कि क्या किसी प्रदेश की सरकार के सरकारी प्रिमिसेज़ के बारे में ऐसी कोई पाबंदी लगाई है? आखिर उत्तर प्रदेश से ज्यादा शरणार्थी बंगाल और पंजाब में आये हुए हैं। लाखों शरणार्थी बंगाल और पंजाब में बसे हैं, उत्तर प्रदेश से अधिक उनको इस समस्या का मुक़ाबला करना पड़ा है। भारतीय सरकार और प्रान्तीय सरकार ने करोड़ों रुपया मकानों में वहां खर्च किया है और उनको लाखों दूकानों और मकानों में बसाया गया है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वे हमें बतलायें कि पंजाब की सरकार भी तो कांग्रेस मिनिस्ट्री है, तो क्या पंजाब की कांग्रेस गवर्नमेंट को सरकारी मकानों से, सरकारी भवनों से, सरकारी दूकानों से निष्कासन के लिये, सरकारी किरायेदारों की बेदखली के लिये उनको अपने सदनों से अधिकार लेने की आवश्यकता पड़ी। वहां की समस्या यहां से अधिक गंभीर है। वहां सरकारी भवनों में, सरकारी क्वार्टरों में, सरकारी दूकानों में ज्यादा लोग व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन पंजाब और बंगाल में ऐसा ऐक्ट नहीं बना। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि हमारा उत्तर प्रदेश इस क़ानून को लाकर उनको रास्ता दिखा रहा है कि ऐसा ऐक्ट वह भी पास कर दें और हमारी देखादेखी शरणार्थियों को परेशान करना शुरू कर दें। शरणार्थियों को, जैसा कि मैंने कहा, वही सुविधायें दी जानी चाहिये जो कि जुगल किशोर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्राइवेट मकान मालिकों के किरायेदारों को दी गई हैं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि टेनेंट्स की असुविधाओं को दूर करने के लिये इसको फिर सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

दीन दयालु शर्मा जी की एक टिप्पणी इसके ऊपर थी कि धारा ४ (१) की तीसरी पंक्ति में ३० दिन के बजाय ३ महीने रख दिया जाय। यह एक महत्वपूर्ण संशोधन था। लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। हम कहते हैं कि कोई भी किरायेदार, जो सरकारी मकान में रहता है, अगर ३० दिन के अंदर किराया जमा नहीं करता है तो उस पर नोटिस सर्व कर दिया जायगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मान लीजिये कि किसी गरीब शरणार्थी को ३० दिन में तनख्वाह नहीं मिलती है जिससे वह उस महीने का किराया उसी महीने में दे दे तो उसके लिये यह कैसा अमानवोचित सिद्धान्त होगा कि अगर वह ३० दिन के अन्दर किराया जमा नहीं करता है तो उसे नोटिस दे दिया जाय और समय लेकर उससे कह दिया जाय कि तुमको क्यों न निकाल दिया जाय। मैं समझता हूं कि दीन दयालु शर्मा जी की यह राय मान लेनी चाहिये थी कि अगर वह तीन महीने में किराया दे दे तो उसे नोटिस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद इतनी सी बात भी सरकार को स्वीकृत नहीं हुई, कमेटी को स्वीकृत नहीं हुई, मुझे इस बात का दुःख है। और इसके साथ साथ एक और महत्व की बात माननीय सदस्य देखेंगे जो इस विधेयक में नहीं आयी है और जिसे आनी चाहिये। श्रीमान्, सेलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके पहले पेज के पैराग्राफ ६ में लिखा हुआ है कि सेलेक्ट कमेटी ने कहा और समिति का यह मत था कि खंड ८ में यह संशोधन कर दिया जाय कि जज को स्वविवेक होगा, डिस्क्रिशन होगा कि अगर किसी उचित कारण से वह उपयुक्त समझे तो अवधि समाप्त हो जाने पर भी अपील ग्राह्य कर ले। समिति की एक मत से यह राय थी कि खंड ८ में संशोधन किया जाय, लेकिन माननीय सदस्य देखेंगे कि खंड ८ बिलकुल वैसे का वैसा ही रहा जैसा कि पहले था। समिति की यह राय कि खंड ८ में संशोधन किया जाय ताकि जज को यह अधिकार रहे लेकिन उसमें कोई प्राविजो नहीं है, किसी प्रकार का प्राविजन नहीं है जबकि सेलेक्ट कमेटी की राय थी कि खंड ८ में संशोधन किया जाय। इस तरह से समिति की राय को भी ठुकराया गया है। इसलिये आवश्यक है कि उसे दोबारा सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण खंड ८ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज की अनुमति की बात

[श्रीनारायण दत्त तिवारी]

न मानी जाती तो कम से कम सेलेक्ट कमेटी की राय तो इस ऐक्ट के अन्दर रहती। इन कारणों से मैं आवश्यक समझता हूं और मुझे विश्वास है कि इस भवन के माननीय सदस्य मेरे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे कि यह जो बिल है उसे फिर सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय जिस पर वह फिर दोबारा विचार करे।

श्री शिवनाथ काटजू--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसका उद्देश्य बहुत सूक्ष्म रूप से पहले से ही बतला दिया गया है। उद्देश्य यही है कि जिससे बकाया की वसूली हो और जो लोग बेजाब्ता तौर पर सरकारी मकानों पर काबिज हैं वे बेदखल किये जा सकें। यह विधेयक केवल उन बिल्डिंग्स और इमारतों के लिये हैं जो कि सरकार लेती है या जो सरकार की निजी संपत्ति है और वे दूसरों को किराये पर दी जाती हैं। इस विधेयक में उन सिद्धांतों को लाना, जो कि रेंट कंट्रोल एविक्शन ऐक्ट में है, मेरे विचार में उचित नहीं होगा। हमारे विरोधी दल के नेता माननीय मित्र ने यह कहा कि इस विधेयक की जो दफा ३ है वह बहुत ही कड़ी है। उनका तो तात्पर्य यह है कि इस विधेयक में भी वे ही सिद्धांत रखे जायं जैसा कि रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन ऐक्ट में है। अगर आप देखेंगे कि रेंट कंट्रोल ऐक्ट के क्या सिद्धांत हैं तो आपको यह मालूम होगा कि उस विधेयक का उद्देश्य यही है कि आजकल मकानों की कमी है और जो लोग कि किरायेदार हैं, जिन्होंने मकानों को किराये पर लिया है, उनको कष्ट न हो और मकान मालिक किराया बढ़ाने के उद्देश्य से उनको बेदखल न करें और अनुचित रूप से उन पर दबाव न डालें। उस विधेयक की धारा ३ के अनुसार विशेष परिस्थिति में ही बेदखली का दावा दायर किया जा सकता है। धारा ३ में उनकी कुछ शर्तें भी आती हैं। उसके अतिरिक्त अगर दावा करना है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती है। आप चाहते हैं कि क्या वे ही सिद्धांत उन बिल्डिंग्स और इमारतों पर लागू किये जायें जो कि सरकारी हैं? ये जो सरकारी भवन हैं या सरकार ने जो बिल्डिंग्स ली हैं और जो किराये पर उठायी गयी हैं वे एक दूसरे उद्देश्य से ली गयी हैं। उनका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति सरकारी काम पर या सरकारी काम से आता है और उन मकानों में रहता है वही उनमें रहे और उससे लाभ उठावे। अगर वह लोग अनुचित रीति से जितने समय तक सरकारी काम के लिये जरूरी है उससे अधिक रहना चाहें तो सरकार को पूरा अख्तियार होना चाहिये कि सरकार उनको बेदखल कर सके या उनसे किराया वसूल करे या जो उन्होंने उन मकानों में रहकर उनका नुकसान किया उसका हरजाना वसूल करे। अगर आप देखें तो इस विधेयक में इन तीन बातों पर ध्यान रखा गया है और उसी के साथ साथ उन किरायेदारों को पूरा मौका दिया है कि अगर उनको कोई एतराज हो या अगर वह समझते हैं कि बेजा तौर पर उनसे कहा जाता है कि मकान खाली करो तो वह अपना एतराज कर सकते हैं। उनको यह भी मौका दिया गया है कि अगर वह समझते हैं कि उनसे बेजा तौर पर किराया माँगा जाता है तो उसके लिये भी वह एतराज कर सकते हैं, यह मौका उनको दिया गया है। अब इससे ज्यादा कहना कि सरकार और कुछ करे और जो चीज सामान्य जनता के लिये है और जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अन्दर है वही सिद्धांत इस विधेयक में रखना मेरे ख्याल में बहुत नामुनासिब होगा। मेरे माननीय मित्र ने दफा ३ की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। दफा ३ के अन्दर सामान्य अधिकार अधिकारियों को दिया है कि अगर वह उचित समझे तो किरायेदार की किरायेदारी समाप्त कर दें लेकिन उसी के साथ दफा ७ भी है और अगर मेरे मित्र उसे देखेंगे तो उनको यह ज्ञात होजायगा कि जो कुछ कार्यवाही हो उसमें एतराज हो सकता है और अगर वह नामुनासिब कार्यवाही करें तो उसके बारे में भी एतराज हो सकता है। ऐसी स्थिति में दफा तीन को तो एक सामान्य अधिकार समझना पड़ेगा और वह बातें अगर दफा ७ में नहीं आती हैं तो वह दफा तीन में आ जायं। यह एक इस प्रकार का विधेयक है जो सरकारी बिल्डिंग्स के लिये लागू किया गया है। मेरे मित्र यह समझेंगे कि यह सरकार जनता की सरकार है और जो बिल्डिंग्स सरकारी हैं वह टैक्सपेयर की संपत्ति हैं तो टैक्सपेयर की संपत्ति पर भी वही सिद्धांत लागू करना जो सर्वसाधारण लोगों की संपत्ति पर है या जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत

आती है वह किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा। सरकार का कर्त्तव्य है कि वह सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखे और जिस उद्देश्य के लिये वह संपत्ति ली गयी है या यह मकान लिया गया है उन्हीं उद्देश्यों के लिये किरायेदार उनमें रहें और अगर वह उनका ठीक उपयोग नहीं कर रहा है तो सरकार को पूरे अख्तियारात अपने हाथ में लेने चाहिये कि वह उन किरायेदारों को वहाँ से हटाय और अगर किराया बाकी है तो वह शीघ्र से शीघ्र उनसे वसूल करे।

(इस समय ३ बजे अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस स्थिति में यह आशा करना कि यहाँ भी वैसा ही कानून रखा जाय जैसा रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अन्दर है और लोगों को यह मौका दिया जाय कि वह कचहरी में लम्बी-लम्बी कार्यवाही करें तो यह जनता के हित में नहीं होगा। मेरे ख्याल में इसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सब यह स्वीकार करेंगे कि इस विधेयक का होना उचित है। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं विधेयक के समर्थन में उपस्थित हुआ हूं। हमारे माननीय मित्र श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने अभी जो बातें सदन के सामने उपस्थित की हैं उनको सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ।

जहां तक श्री दीनदयालु जी की बात का उल्लेख किया गया इस संबंध में प्रवर समिति में श्री दीनदयालु जी ने अपना मत प्रकट किया था कि कुछ अवधि बढ़ायी जाय। परन्तु निश्चित राय उन्होंने नहीं दी थी। सम्भवतः वित्त मंत्री जी इस संबंध में पुनः विचार करेंगे।

जहां तक दफा ८ के संशोधन की बात कही गयी है मैं उन का ध्यान दफा १२ (ए) की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें वह बात रखी गयी है कि जज महोदय को अधिकार होगा कि यदि निश्चित अवधि के बाद में कोई व्यक्ति प्रार्थनापत्र दे तो दफा ५ लिमिटेशन ऐक्ट उपबन्धों के अनुसार स्वीकार कर सकते हैं। इस तरह से जो उनकी मूल आपत्तियां हैं उन सब का इस विधेयक में निराकरण हो गया है और इस विधेयक को प्रवर-समिति में पुनः भेजना न केवल समय को नष्ट करना होगा वरन् नितान्त अनावश्यक है।

जहाँ तक इस बिल के सिद्धान्तों का संबंध है माननीय वित्त मंत्री जी ने और माननीय श्री शिवनाथ काटजू जी ने उन का भली भांति संपादन कर दिया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे मित्र इस का समर्थन करें और उसी प्रकार सर्वसम्मति से स्वीकार करें जिस प्रकार यह प्रवर समिति में स्वीकार हुआ था।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जैसे भूख का प्रश्न है और जीवन की समस्याओं का प्रश्न है वैसे ही अकोमोडेशन का प्रश्न बड़ा विकराल और विकट हो गया है। मैं सरकार को इसके लिए बड़ी बधाई और धन्यवाद देता हूं कि थोड़े शब्दों में बिलकुल स्पष्ट एक कानून इस सम्बन्ध में एक कानून सामने उपस्थि किया है। मैं समझता हूं कि इस कानून के संबंध में जो विरोध उपस्थित हुआ है वह केवल विरोध के नाते ही उपस्थित किया गया है और शायद इस नाते कि जो भी बात सरकार की ओर से रखी जाय उस पर कुछ न कुछ कहना चाहिए अन्यथा इसमें कोई धारा नहीं है जो अस्पष्ट हो या कि किसी के लिए कोई दिक्कत पेश करती हो। जो भी इस विधेयक से प्रभावित होते हैं उन को ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उनको ऐसा अवसर दिया गया है कि वे कम खर्च में बड़ी आसानी से निबटा सकते हैं। इस सदन के सभी माननीय सदस्य और बाहर भी लोग जानते हैं कि अकोमोडेशन का एक ऐसा प्रश्न है जो शीघ्र हल होना चाहिये और सरकार द्वारा कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए इस बिल में वही व्यवस्था की गयी है। जैसा कि मैंने कहा है इस बिल में बहुत स्पष्टता है और बहुत कम खर्चे की बात रखी गयी है।

[श्री पद्मनाथ सिंह]

जो और बातें विरोधी पक्ष की ओर से कही गयी हैं उस संबंध में मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वैसे तो कोई बात ऐसी नहीं कही जा सकती जिस को अंतिम शब्द कहा जा सके। कुछ न कुछ आपत्तियां, दिक्कतें और सुझाव हर समय उपस्थित किये जा सकते हैं। लेकिन जितने बिल आये हैं मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि उन सब में यह बिल एक ऐसा बिल है जिसमें कम से कम आपत्तियां उपस्थित की जा सकती हैं और कम से कम ऐसी बातें हैं जो कठिनाइयां उपस्थित करती हैं।

इसलिये मैं इस बिल का हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं कि इतने स्पष्ट शब्दों में इतनी कम दिक्कतों के साथ जो इस से प्रभावित होने वाले हैं उसके लिए कम खर्चे के साथ इस बिल को उपस्थित किया है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस बिल का विरोध जिन शब्दों में किया गया है आपने सब नहीं सुना। इसके पहले भी माननीय श्री नारायण दत्त ने अपने विचारों को व्यक्त किया था। बहुत सोचने और विचारने के बाद उन की राय यह हुई है कि इससे शरणार्थियों के मकान खाली कराने का विचार है यही लुब्बे लबाब है कि हम उनको मकानों से अलग न कर दें, इसलिये इसको प्रवर समिति में फिर भेज दिया जाय। अफसोस है कि वह यहां नहीं हैं। मैं समझता हूं कि स्पष्ट कहना ज्यादा अच्छा होता। अगर यह कहते 'कि मैं नहीं चाहता कि सरकार के हाथ में शक्ति दी जाय, क्योंकि वे विरोधी हैं सरकार के, और सरकार के हाथ में जितनी शक्ति कम जाय उतना ही फायदा है और सरकार के हाथ में जितनी अधिक शक्ति जाती है उसमें उनका उतना ही नुकसान होता है इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। दिल में यह कि शक्ति नहीं जानी चाहिये और जबान पर यह कि शरणार्थियों को परेशान करने के लिये यह बिल है। एक देहाती मसल है तेली खरीदेगा सरसों मगर तलाश करता है भेली।

अध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं या मुआफिकत कर रहे हैं?

श्री सीताराम शुक्ल--उनके विरोध का विरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष--उन्होंने रिकमिटल (recommittal) के लिये प्रस्ताव पेश किया है।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं उसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष--तो आप संक्षिप्त में कहें।

श्री सीताराम शुक्ल--जी हां, बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूं। तो जिन शब्दों में शरणार्थी भाइयों की बात कही गयी उससे मालूम होता था कि उनके दिल में ही बस शरणार्थियों के लिये जगह है दूसरों के दिल में कतई जगह नहीं है। उन्हें वाजह होना चाहिये कि शरणार्थियों ने वह करके दिखाया है जो किताबों में पढ़ा करते थे। धर्म नहीं छोड़ेंगे चाहे जान चली जाय। जो उन्होंने किया है उससे हमारा सर ऊंचा होता है। हिन्दुओं के साथ साथ मुसलमानों तक ने कहा कि शरणार्थियों की हेल्प की जाय। फिर अपनी सरकार जो पब्लिक की सरकार है जिसको हर आदमी को आराम देने का खयाल है वह इस कानून का शरणार्थियों के प्रतिकूल उसका दुरुपयोग करेगी? सवाल क्या है जवाब क्या है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि ताकत को सरकार के हाथ में नहीं जाने देना चाहते। मेरी प्रार्थना है कि अगर आप अपने भाषण को स्पष्ट रखें तो ज्यादा अच्छा हो। खामख्वाह के लिये अच्छे काम के लिए भी सरकार को शिकायत मत कीजिए।

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

मेरी प्रार्थना है कि आप घबराइये नहीं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि शरणार्थियों के लिये जितना दर्द आप के दिल में है उससे कम हमारे दिल में नहीं है। उनको कभी कष्ट नहीं होगा फायदा ही पहुंचेगा। इसलिये कृपया संशोधन वापस लीजिये।

(इस प्रक्रम पर अध्यक्ष ने वित्त मंत्री को भाषण देने के लिये कहा।)

अध्यक्ष--मैं एक रूल पढ़े देता हूं कि क्यों मैंने माननीय वित्त मंत्री को एकदम बुला लिया उसका कारण यह है कि रूल १०६ में लिखा है कि :

"प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर विवाद की सीमा

इस प्रक्रम पर किसी भी प्रस्ताव या संशोधन पर वादविवाद न होगा अतिरिक्त इसके कि प्रस्तावक या संशोधन प्रस्तुत करने वाले और उसका विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और तदनन्तर प्रश्न यथास्थिति उपस्थित किया जायगा या किये जायेंगे।"

इसका मतलब यह है, अंग्रेजी में भी सुनाये देता हूं जिससे बहुत से लोग इसको स्पष्ट रूप से समझ सकें।

"There shall be no debate on any motion or amendment on that stage except that the member making the motion or moving the amendment and the member opposing the motion may be allowed to make brief statement and then the question or the questions, as the case may be, shall be put."

माननीय नारायण जी ने अमेंडमेंट मूव कर दिया रिकमिटल के लिये, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, इतना काफी था। जितना डिबेट बाद में हुआ मैं समझता हूं कि इस नियम को सामने न रखते हुये हो गया। इस लिये बीच में मैंने रोक दिया। अब माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर दें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--श्री नारायण दत्त जी ने कोई अमेंडमेंट नहीं रखा है।

अध्यक्ष--वे मुझे अपना अमेंडमेंट दे गये हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब वाला, मैंने जब यह मोशन किया तो उस वक्त एक एक बात गिनाई कि सिलेक्ट कमेटी ने यह चीजें कीं और वह सब तजवीजें इसमें इनकार्पोरेट कर दी गयी हैं और सब मौजूद हैं मगर मेरे इधर से जो तकरीर हुई उसमें अलावा कई बातों के जो मेरे नजदीक मुताल्लिक नहीं थीं यह सुना कि सिलेक्ट कमेटी ने यह तजवीज की थी कि छः महीने के नौ महीने हो जायंगे। वह इसमें नहीं हुआ और नीचे एक नोट आफ डिसेंट का हवाला है कि एक मेम्बर साहब जो कांग्रेस पार्टी के हैं उन्होंने एक चीज में तीन महीने के लिये लिखा, तो जहां तक नोट आफ डिसेंट का ताल्लुक है वह तो जाहिर है कि वह कमेटी की तजवीज नहीं है। कमेटी की तजवीज तो वह है जो मेजारिटी ने किया था। अगर उससे किसी एक आदमी ने एख्तिलाफ किया है तो उसने अपना एख्तिलाफ लिखा दिया है। उसको बिल में जो बदलाव करेंगे उस बदलाव में कैसे शामिल किया जा सकता था। बाकी जितनी बातें सिलेक्ट कमेटी ने की थीं वह सब इसमें इनकार्पोरेट हो गयी हैं जैसा कि अभी एक मेम्बर साहब ने बता भी दिया था। तो मैं अब उन बातों का जवाब देना नहीं चाहता। सिर्फ इतना ही हाउस के सामने अर्ज करता हूं कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी की तजवीज के मुताबिक है और इस वजह से इस काबिल है कि इसको मंजूर किया जाय।

अध्यक्ष--मैं माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन को पहले लेता हूं। उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक को एक प्रवर समिति के सम्मुख पुनरायुक्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२ ई० पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

परिभाषा

२--इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरित न होने पर :-

(क) "प्रदेशन" (allotment) का तात्पर्य किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किसी सरकारी भूगृहादि के उपयोग (use) और अधिवास (occupation) के अधिकार दिये जाने से है, किन्तु इसके अंतर्गत पट्टे द्वारा अधिकार का दिया जाना नहीं है।

(ख) "समर्थ अधिकारी" (competent authority) का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन समर्थ अधिकारी के कार्यों का सम्पादन करने के लिये अधिकृत कर दिया हो।

(ग) "सरकारी भूगृहादि" (government permises) का तात्पर्य ऐसे भूगृहादि से है जो राज्य सरकार का हो या जिसे राज्य सरकार ने पट्टे पर लिया हो अथवा अधिगृहीत (requisition) किया हो।

(घ) "भूगृहादि" (permises) का तात्पर्य किसी इमारत या इमारत के भाग से है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :--

(१) ऐसे उद्यान, भूमि या बाह्य गृह (out houses), जिनका अधिसम्बन्ध (appertaining) उक्त इमारत या इमारत के भाग से हो ;

(२) ऐसे उपस्कर (furniture) जिसको भूस्वामी (land lord) ने उक्त इमारत या इमारत के भाग में उपयोग के लिये दिया हो, और

(३) ऐसा सामान (fiting) जो उक्त इमारत या उसके भाग में इस प्रयोजन से स्थिर रूप से लगा दिया गया हो कि उक्त इमारत या उसके भाग का अधिक सुखप्रद उपभोग (more beneficial enjoyment) हो सके।

(ङ) "नियत" (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है।

(च) "किराया" का वही अर्थ होगा जो उसका ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ में किया गया है और उसके अन्तर्गत ऐसी धनराशि भी होगी जो भूगृहादि के उपभोग और अधिवास के लिए उस व्यक्ति द्वारा देय हो कि जिसके लिए प्रदेशन किया गया है।

(छ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है, और

(ज) ऐसे शब्द और पदों का अर्थ जिनका इस अधिनियम में उपयोग किया गया है किन्तु जिनकी परिभाषा नहीं की गयी है, वही होगा जो उनका ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ में किया गया है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के सिद्धान्तों से बिलकुल सहमत हूं लेकिन इसमें कुछ भाषा और कांस्ट्रक्शन के सम्बन्ध में ऐसी गलतियां हैं जिनसे कोई भी इंटरप्रीटेशन हो सकता है। तो इसमें मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) की पंक्ति २ से शब्द "विज्ञप्ति में" निकाल दिये जायं।

यह "विज्ञप्ति में" विनिर्दिष्ट क्षेत्र में जो है इससे दो इंटर प्रिटेशन हो सकते हैं। यह हो सकता है कि कोई दो विज्ञप्ति हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि "विज्ञप्ति में" ये शब्द निकाल दिये जायं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कुछ एतराज तो है नहीं, निकाल दिये जायं ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) की पंक्ति २ से शब्द "विज्ञप्ति में" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री देवकीनन्दन विभव—यह बहुत साधारण-सा संशोधन है कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति २ में अन्तिम शब्द "है" के स्थान पर शब्द "हैं" रख दिया जाय । जो अभी है उससे यह मालूम होता है कि कुछ चीजों के लिये नहीं है केवल एक चीज के लिये है, लेकिन चूंकि चीजें हैं, इसलिये "हैं" होना चाहिये ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुझे कोई एतराज नहीं है ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति २ में अन्तिम शब्द "है" के स्थान पर शब्द "हैं" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २, जैसा कि वह संशोधित हुआ है, इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

प्रदेशन का निरसन

३—(१) समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुए भी, समर्थ अधिकारी किसी ऐसे प्रदेशन को कारण लिखकर निरस्त (cancel) कर सकता जिसके अधीन कोई सरकारी भूगृहादि किसी व्यक्ति के अधिकार या अधिवास में हो ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन की गई किसी कार्यवाही से किसी व्यक्ति को किसी सरकारी भू-गृहादि में रहने का अधिकार समाप्त हो गया हो तो उसके विषय में इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये यह समझा जायगा कि उक्त सरकारी भू-गृहादि में उसका अधिवास अनधिकृत (unauthorized) है ।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विरोध करता हूं कि खंड ३ निकाल दिया जाय । जहां तक खंड ३ का संबंध है, मैं आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष इसे पढ़ देना चाहता हूं—

"३—(१) समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुए भी, समर्थ अधिकारी किसी ऐसे प्रदेशन को कारण लिख कर निरस्त (cancel) कर सकता है जिसके अधीन कोई सरकारी भू-गृहादि किसी व्यक्ति के अधिकार या अधिवास में हो ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही से किसी व्यक्ति को किसी सरकारी भू-गृहादि में रहने का अधिकार समाप्त हो गया हो, तो उसके विषय में इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये यह समझा जायगा कि उक्त सरकारी भू-गृहादि में उसका अधिवास अनधिकृत (unauthorized) है ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक धारा ३ की उपधारा (१) का संबंध है, इस नियम के द्वारा एक सरकारी कर्मचारी यानी समर्थ अधिकारी को इतना ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है कि वह किसी भी प्रदेशन को निरस्त कर सकता है । मैं समझता हूं कि आज तक इस प्रजातांत्रिक युग में जबकि हम यहां पर असेम्बली में बैठ कर जनता का लाखों रुपया खर्च करते हैं और एक-एक कानून पर बहुत बहस-मुबाहिसा करते हैं, बहुत ही ठंडे दिल से हर बात सोचते हैं और उसके बाद किसी कानून को अमली जामा पहनाया जाता है, ऐसी सूरत

[श्री गजेन्द्र सिंह]
में जबकि लाखों रुपया इस जनतांत्रिक युग में जनता का खर्च किया जा रहा हो, उस वक्त किसी भी एक समर्थ अधिकारी या सरकारी कर्मचारी को इतना बड़ा अधिकार दे देना कि वह किसी भी समय उसको प्रदेशन से निरस्त कर दे मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं है और इससे लोगों के हकों पर कुठाराघात होता है। लिहाजा मैं इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसको निकाल दिया जाय।

श्री शिव नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बतला देना चाहता हूं और विरोधी भाई को भी बतलाना चाहता कि जिस समय यह विधेयक सदन में उपस्थित हुआ था तो दोनों पक्षों का यानी मालिक और किरायेदार का विचार रखते हुए यह रखा गया था और हमारे मंत्री महोदय ने बहुत सोच समझकर इस बिल को रखा था। बहुत विवाद हो चुका है। मैं उनकी बात का खंडन करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि यह बिल पास किया जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मुझे बहुत छोटी-सी बात कहनी है, इसलिये कि मैं पहली दफा शायद यह बात सुन रहा हूं जो इसमें कही गई है। कम से कम जिस शख्स को हुक्म देने का हक होता है उसको उस हुक्म के तरमीम करने और मंसूख करने का हक जरूर होता है। एलाटमेंट करने का हक या अख्तियार जिसको हम देते हैं और यों कहें कि उसको मंसूख करने का हक नहीं हो सकता है तो यह बात किसी तरीके से भी बिलकुल सही नहीं हो सकती है। इस बिल की जो आखिरी शक्ल रखी हुई है वह सिलेक्ट कमेटी की है। मैं सिलेक्ट कमेटी की प्रोसीडिंग्स को तो यहां पर रिफर नहीं करूंगा लेकिन इतना कह सकता हूं कि यह बात आब्वियस है। इस सवाल का सिलेक्ट कमेटी ने गौर कर के नतीजा निकाला है और उसको इस शक्ल में रख दिया है जो शक्ल कि हमारे सामने है। इसलिये मेरे नजदीक कोई माकूल वजह नहीं है कि इस क्लाज को इसके अन्दर से निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

न दिये गये किराये की मांग की सूचना

४--(१) यदि सरकारी भू-गृहादि में अधिवास के लिये किसी व्यक्ति द्वारा देय किराया बाकी रह जाय, तो समर्थ अधिकारी उस दिनांक से जिस पर किराया देय हुआ हो, तीस दिन के बाद, किसी समय उक्त व्यक्ति पर मांग का नोटिस तामील करेगा, या करायेगा जिसमें उक्त व्यक्ति का नाम, उसके द्वारा देय धनराशि तथा सरकारी भू-गृहादि, जिसके संबंध में किराया देय हो, उल्लिखित होंगे।

(२) मांग के नोटिस पर समर्थ अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

(३) मांग के प्रत्येक ऐसे नोटिस के लिये जिसे समर्थ अधिकारी उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति पर तामील करे या कराये उक्त व्यक्ति द्वारा, ऐसा शुल्क जो एक रुपया से अधिक न होगा और जिसको मात्रा समर्थ अधिकारी प्रत्येक प्रकरण में निश्चित करेगा, देय होगा और यह शुल्क वसूली के व्यय का भाग होगा।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

किराया देने के दायित्व के विरोध में वाद

५--(१) यदि धारा ४ के अधीन किसी व्यक्ति पर मांग के नोटिस की तामील हो गयी हो, और उक्त व्यक्ति उक्त धनराशि या उसके किसी भाग के देने का दायित्व अस्वीकृत करे, तो लिखित विरोध (protest) के साथ ऐसी धनराशि देकर इस प्रकार दी हुई धनराशि या उसके भाग की वसूली के लिये वाद (suit) प्रस्तुत कर सकता है।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित वाद, धनराशि के देने के दिनांक से नौ महीने के भीतर अधिकार-प्राप्त न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है किन्तु उक्त वाद के परिणाम के अधीन मांग का नोटिस उक्त नोटिस में लिखित किराये के बकाये का निश्चायक प्रमाण होगा।

श्री देवकीनन्दन विभव--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "तो" और शब्द "लिखित" के बीच शब्द "वह" बढ़ा दिया जाय।

मैंने ऐसा संशोधन उपस्थित किया है, क्योंकि इससे पता नहीं चलता है कि इसमें लिखा है "प्रस्तुत कर सकता है" तो कौन प्रस्तुत कर सकता है जब तक शब्द "तो" और शब्द "लिखित" के बीच शब्द "वह" नहीं रखा जाता है तब तक मतलब साफ नहीं होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह शब्द रख दिया जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "तो" और शब्द "लिखित" के बीच शब्द "वह" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ व ५ में शब्द "के साथ ऐसी धनराशि दे कर इस प्रकार दी हुई धनराशियां उसके भाग की वसूली के लिये" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं--

> "पंद्रह दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है लिखित विरोध प्राप्त होने पर समर्थ अधिकारी अपनी मांग की नोटिस तथा विरोध की अपनी रिपोर्ट के साथ जिला जज के यहां भेज देगा। जिला जज दोनों पक्षों को सुनकर पन्द्रह दिन के अन्दर अपना फैसला देगा। जज द्वारा निश्चित रकम को या उसके किसी भाग को देने के दायित्व को भी यदि उक्त व्यक्ति अस्वीकृत कर तो लिखित विरोध के अधीन ऐसी धनराशि देकर इस प्रकार दी हुई धनराशि या उसके भाग की वसूली के लिये।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक धारा ५ की उपधारा १ का संबंध है वह इस प्रकार है-- यदि (इससे ठीक पहले वाली) धारा ४ के अधीन किसी व्यक्ति पर मांग के नोटिस की तामील हो गई हो और उक्त व्यक्ति उक्त धनराशि या उसके किसी भाग के देने का दायित्व अस्वीकृत करे तो लिखित विरोध (protest) के अधीन के साथ ऐसी धनराशि दे कर इस प्रकार दी हुई धनराशि या उसके भाग की वसूली के दाद (suit) प्रस्तुत कर सकता है। इसमें लाइन ४ और ५ में "के साथ ऐसी धनराशि देकर इस प्रकार दी हुई धनराशि या उसके भाग की वसूली के लिये" इसको निकालने के बाद जब मैं अपना संशोधन पढ़ता हूं तो यह इस प्रकार हो जाता है-- "यदि इससे ठीक पहले वाली धारा ४ के अधीन किसी व्यक्ति पर मांग के नोटिस की तामील हो गई हो, और उक्त व्यक्ति उक्त धनराशि या उसके किसी भाग के देने का दायित्व अस्वीकृत करे तो लिखित विरोध (protest) के अधीन पन्द्रह दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है, लिखित विरोध प्राप्त होने पर समर्थ अधिकारी अपनी मांग की नोटिस तथा विरोध की अपनी रिपोर्ट के साथ जिला जज के यहां भेज देगा। जिला जज दोनों पक्षों को सुनकर पन्द्रह दिन के अन्दर अपना फैसला देगा। जज द्वारा निश्चित रकम को या उसके किसी भाग को देने के दायित्व को भी यदि उक्त व्यक्ति अस्वीकृत करे तो लिखित विरोध के अधीन ऐसी धनराशि दे कर इस प्रकार दी हुई धनराशि या उसके भाग की वसूली के लिये दाद प्रस्तुत कर सकता है।

[श्री गजेन्द्र सिंह]

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सचिव द्वारा जो नियम ५ उपधारा (१) सदन के सामने रक्खो गयो है ? अगर इसको मान लिया जाय और मेरे संशोधन को न माना जाय तो उसके द्वारा समर्थ अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि समर्थ अधिकारी अपनी मांग का नोटिस किरायेदार के पास भेजेगा और किरायेदार को उस नोटिस के मुताबिक जितने रुपये समर्थ अधिकारी बतलायेगा, पूरा का पूरा रुपया पहले समर्थ अधिकारी के पास जमा करना पड़ेगा और इसके बाद जब वह रुपया जमा कर देगा उसके बाद जाकर उसका वाद प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। इस तरह का अधिकार देना न्याय-संगत नहीं है उन लोगों के साथ जो किरायेदार हैं, जो सरकारी मकानों में रहते हैं, उनके साथ यह बड़ा अन्याय किया जा रहा है। जहां तक समर्थ अधिकारी का ताल्लुक है और उन व्यक्तियों का ताल्लुक है, जो सरकारी मकानों में रहते हैं या उनमें किसी मामले पर झगड़ा हो सकता है, किरायेदार को समर्थ अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार नहीं दिया जाता है तो यह न्याय के साथ कुठाराघात किया जाता है। जिस मंशा को ले कर यह विधेयक इस सदन में रखा गया है, उसमें सरकार की मंशा यह है कि जैसा कि माननीय सचिव ने अपने भाषण के दौरान में कहा था कि लाखों रुपया शरणार्थियों पर बकाया है, उस रुपये को वसूल करने के लिये इस किस्म का कानून सदन में पास करवाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इससे शरणार्थियों के साथ बड़ा भारी अन्याय होगा। एक तो वैसे ही वे सताये हुए हैं। कांग्रेसी सरकार की निकम्मी नीति के कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और परेशानी की हालत में हम लोगों के बीच में पड़े हुए हैं, इसके बावजूद यह कानून बनाया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है, यह मानवता के साथ कुठाराघात है। हमारी सरकार पेवोदगियों के साथ जनता की आंखों में धूल झोंक कर शरणार्थियों को परेशान करना चाहती है। मैं माननीय सचिव से पूछना चाहूंगा कि जिनके ऊपर लाखों रुपया बकाया हो रहा है, वे किराया नहीं दे सकते, अभी तक अपने को स्थापित नहीं कर पाये हैं, उनका कारोबार अभी तक नहीं चल पाया है और इतनी ही कितनी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से उन्होंने पैसा नहीं दिया है तो पैसा उगाहने में हमको लिनियन्सी से काम लेना चाहिये, कठोरता न बरतनी चाहिये। अगर इस उपनियम को मान लेते हैं तो फौरन जिनके ऊपर रुपया वाजिब होता है उन लाखों शरणार्थियों को रुपया इकट्ठा करके समर्थ अधिकारी के पास जमा करना होगा और इसके बाद कोर्ट में जाकर अपना वाद प्रस्तुत करना होगा। लेकिन अगर इस संशोधन को मान लिया जाता है जो मैंने प्रस्तुत किया है तो उनको एक मौका मिलता है कि पहले समर्थ अधिकारी अपनी मांग का नोटिस उनको देगा और उस नोटिस के मिलने पर वह अपना लिखित विरोध समर्थ अधिकारी के पास भेज देगा और उसके बाद समर्थ अधिकारी उसके मामले को जज के पास भेज देगा। जज के यहां वह वजूहात बतलायेगा कि इस-इस वजह से उसके पास पैसा नहीं है, या जो वजूहात हों उनको वह जज के सामने रक्खेगा। जज उनको देखकर अपना निर्णय करेगा। अगर जज खिलाफ निर्णय करता है तो हमारे संशोधन के द्वारा उसको यह अधिकार होगा कि उन लोगों का रुपया समर्थ अधिकारी के पास जमा हो जाय और उस निर्णय के बाद वह ऊंची अदालत में जाकर अपने फैसले के लिये अपील कर सकता है। इस तरह से अगर हमारा संशोधन माना जाता है तो इससे हजारों शरणार्थियों को रिलीफ मिलेगी और जो सरकार का बाकी रुपया है वह धीरे-धीरे उनको देने का अवसर मिलेगा। अगर यह संशोधन नहीं माना जाता है और ऐसा ही यह ५ (१) खंड रहता है तो मैं समझता हूं कि इसके द्वारा बहुत से शरणार्थियों को आपत्ति पैदा हो जायगी और वह अदालत में लड़ने के लिये कहां से रुपया लायेंगे और कोर्ट में जाने के लिये उनके पास पैसा नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय सचिव महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमारे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें और उन लोगों को मौका दें

ताकि उनको भी जज की अदालत में जाने का मौका मिल जाय। जब वहां से उनको फैसला मिल जायगा तो वह रुपया जमा कर देंगे और उस जज के हुक्म के खिलाफ ऊंची अदालत में जाने का उसको मौका मिल सकेगा।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल--श्रीमान, मैं श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का विरोध करने के लिये सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। यह संशोधन, इस विधेयक का जो उद्देश्य है उसका प्रत्यक्षरूप से हनन करता है। विधेयक केवल इसीलिये लाया गया है कि अदालत की कार्यवाहियों में जो विलम्ब होता है उसको बचाया जाय और किराये की वसूली के लिये कोई शीघ्रकारी विधान बनाया जाय। जहां तक इस विधेयक का संबंध है यह शरणार्थियों को कष्ट नहीं पहुंचाता है बल्कि उनकी जो शरारत होती है उसको बचाता है। यदि संशोधन माना जाय तो उन्हें १ के बजाय २ मुकदमा लड़ना पड़ेगा। पहली बार जब वह आपत्ति करेंगे तो जज के सामने रिपोर्ट जायगी। उसमें आप यह कहते हैं कि जिला जज दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला केवल १५ दिन के अन्दर देंगे। जो अदालत का अनुभव नहीं रखते हैं। वही सज्जन इस प्रकार संशोधन इस विधेयक में ला सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जिला जज जो होते हैं वह कोई एक्जिक्यूटिव आफिसर नहीं होते हैं। जो भी वह आज्ञा देते हैं वह दोनों पक्षों की बात सुनने के अपना निर्णय देते हैं। वह एक बार निर्णय देंगे फिर उसके बाद भी संबंधित व्यक्ति वही विरोध करे और धनराशि जमा करके वाद लावे और वही अदालत उस पर फिर निर्णय दे। यह बात कोई तर्क संगत नहीं है। हमारे मित्र को यह मालूम होना चाहिये कि इस प्रकार जमा की हुई धनराशि को प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत वादों की सुनवाई उन्हीं अदालतों में होगी जिनको उस धनराशि के वाद पर विचार एवं निर्णय का अधिकार (jurisdiction) प्राप्त है। हो सकता है कि धनराशि इतनी कम हो कि वह जिला जज के मातहत मुन्सिफ या खफीफा में उसको जाना पड़े। जब जिला जज अपना निर्णय एक बार दे चुकेगा उसी पर पुनः उनके मातहत अदालत में विचार करने के लिये कैसे वह मुकदमा जायेगा? यह किस प्रकार से उचित हो सकता है, माननीय सदस्य स्वयं इस पर विचार कर सकते हैं।

जहां तक इस संशोधन का संबंध है जिस उद्देश्य से इस संशोधन को लाया गया है वह उसी को हनन करता है। इसका उद्देश्य यह है कि जज जिला जज एक बार निर्णय कर दे तो फिर उसके बाद हाईकोर्ट में उसकी अपील हो, परन्तु इस संशोधन में यह बात नहीं है। जब जज ने एक बार निर्णय कर दिया तो उसके विरोध में वह ऊंची अदालत में ही जा सकता है, परन्तु जमा की गयी धनराशि को प्राप्त करने के लिये वाद तो मातहत अदालत में ही आ सकती है इसलिये यह संशोधन स्वयं ही उस उद्देश्य का हनन करता है जो इसका मन्तव्य है। इस कारण यह संशोधन अमान्य है और इसको स्वीकार नहीं होना चाहिये।

मैं समझता हूं कि जो दूसरा आशय इस संशोधन में कहा गया है वह शरणार्थियों के लिये कहा गया है। मैं माननीय मित्र से यह निवेदन करता हूं कि इस सदन के हर एक माननीय सदस्य शरणार्थियों से उतनी ही सहानुभूति रखते हैं जितनी कि हमारे मित्र ने प्रदर्शित की है किन्तु साथ ही में यह भी कहना चाहता हूं कि समर्थ अधिकारी के प्रति आप जो आशंका प्रकट करते हैं वह कदापि उचित नहीं है। आप इस बात को भूल जाते हैं कि इस प्रदेश में और इस देश में। प्रजातन्त्र राज्य है और उस प्रजातन्त्र राज्य के एक-एक कर्मचारी उस प्रकार के नहीं है जिस प्रकार के ब्यूरोक्रेसी और निरंकुश सरकार के कर्मचारी हुआ करते हैं। बल्कि जनता के सच्चे सेवक हैं। वह अपना उत्तरदायित्व समझते हैं और यदि कोई ऐसा नहीं समझता है तो वह हमारा कर्मचारी नहीं रह सकता है। इसलिये वह जो भी निर्णय करेंगे वह सब अपनी जिम्मेदारी से सोच समझकर करेंगे यदि कहीं कोई कर्मचारी ऐसी भूल करता है तो इस समय यहां जनतंत्र सरकार है और वह इस तरह की

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

गलतियों को माफ नहीं कर सकती। अगर किसी को ऐसी भूल साबित होगी कि उसने द्वेष और ईर्ष्या से काम किया है तो वह इस सरकार का कर्मचारी नहीं रह सकता। इस तरह की आपत्तियां अगर की जाती हैं तो वह भूल से की जाती हैं क्योंकि आज की इस सरकार का कर्मचारी जनता का सेवक है और वह अपना उत्तरदायित्व समझता है। वह इस प्रकार का काम नहीं कर सकता। ऐसा संभव नहीं कि वह कोई काम जनता को कष्ट पहुंचाने के लिये करे। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इसको अस्वीकार करे।

श्री रामनरेश शुक्ल--अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में उस तरफ से कहा गया कि शरणार्थियों के ऊपर सारी मुसीबतें आयीं और आईं कांग्रेस सरकार के द्वारा। मैं बड़े आदर से अपने साथी को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर उनकी मंशा शरणार्थियों के ऊपर मुसीबत आने से, उस फैसले से है जिसके कारण शरणार्थियों को अपने घरों को छोड़कर यहां आना पड़ा तो अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि उस फैसले में कम से कम जब फैसला हो रहा था तो .....

अध्यक्ष--माननीय सदस्य स्वयं कल्पना करके उत्तर न दें। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की चर्चा न होकर संशोधन पर ही वादविवाद हो।

श्री रामनरेश शुक्ल--बहरहाल मुझे भ्रम हो गया होगा लेकिन कुछ याद पड़ रहा है। कुछ इतना जो जरूर कहा गया था कि हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने किसी भाषण में कहा बहुत सा किराया शरणार्थियों पर अभी बाकी है। मुझे जहां तक याद पड़ रहा है मंत्री जी ने अपने भाषण में कहीं कोई ऐसी बात नहीं कही और मैं समझता हूं कि कल्पना का सहारा ले कर और शरणार्थियों के नाम को इस सदन में लाकर बाहर की दुनिया में प्रचार करने की सी चीज है। अगर इस कानून को ध्यान से पढ़ा जाय और उस पर सोचा जाय तो उसमें कोई भी अक्षर ऐसा नहीं मिलता है कि जहां शरणार्थियों का नाम आया हो। तो जहां तक मैंने समझा प्रस्ताव की मंशा को, वह यह है कि शरणार्थियों का बहाना ले कर कुछ कहने सुनने का मौका मिले। जहां तक संशोधन का संबंध है जो हमारे मित्र ने रखा है उस पर फैसला करने से पहले हमें यह निश्चय करना जरूरी है कि आया जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनके साथ टालमटोल की नीति बरती जाय या सख्ती के साथ बर्ताव किया जाय। यह मुख्य प्रश्न है इसमें कोई शरणार्थियों का या किसी का प्रश्न नहीं है। जो लोग सरकारी मकानों में किरायेदार की हैसियत से रहते हैं और किराया नहीं देते तो उनके किराये को टालमटोल करके बढ़ते रहने देना है या यह भी सोचा जा सकता है कि तमाम किराये को छोड़ दिया जाय और सब को मुफ्त रहने की इजाजत दे दी जाय। मैं तो आदतन सख्ती को पसन्द करता हूं और किसी सरकार में यदि शक्ति और ताकत होती है तो वह सख्ती के साथ अपना कार्य करना चाहती है और विशेष रूप से इसलिये और भी सख्ती को इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है कि कई लाख रुपया सरकारी मकानों के किराये का बाकी पड़ा है इसलिये जब इस पूरे सदन की यह निश्चित राय है कि वह किराया वसूल करना है और उसे छोड़ना नहीं है और टालमटोल नहीं करना है और अगर यह चीज निश्चित है तो हम इसी फैसले पर आते हैं कि हमारे सामने कोई टालमटोल की नीति नहीं रहनी चाहिये। उधर के मित्र तो अक्सर हमारे ऊपर यह दोष लगाया करते हैं कि यह सरकार टालमटोल और ढीलमढाल की नीति पसन्द करती है तो कम से कम जब हम कड़ाई बरतने जा रहे हैं तो तब तो उन्हें हमारा साथ देना चाहिये। इस संशोधन में कुछ नहीं सिवाय इसके कि एक जज के पास जाय वहां किराये का फैसला हो और फिर उसके बाद अपील हो। इस तरह से न कभी किराया मिलेगा और न मकान ही खाली होगा। इसके अलावा संशोधन में और कुछ नहीं है और इसका इन शब्दों के साथ विरोध करता हूं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय श्री गजेन्द्र सिंह जी ने पेश किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। मुझे उनका भाषण सुनकर बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ। बार बार शरणार्थियों का नाम केवल प्रोपेगैन्डा मात्र के लिये लिया जाता है। मैंने इस विधेयक को पढ़ा, मुझे इसमें कहीं भी शरणार्थी का शब्द नहीं दिखाई पड़ा और माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने भी पढ़ा होगा। आपने अपने भाषण में यह दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस हुकूमत शरणार्थियों को तंग करना चाहती है और उन पर आफत का पहाड़ ढाना चाहती है। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या कहीं इस विधेयक में यह ध्वनि निकलती है ? बात तो यह है कि जब वोट का जमाना आवेगा तो शरणार्थियों से कह सकते हैं कि हमने आपके लिये बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया और कांग्रेस वाले आपके राइट्स को कुचलना चाहते हैं। क्या मेरे मित्र यह चाहते हैं, जैसा कि काटजू साहेब ने कहा कि सरकारी मकानों में और प्राइवेट मकानों में कोई फर्क न हो ? मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य इसे पसन्द नहीं करेगा। इन मकानों का एलाटमेंट और किराये की वसूली में कुछ न कुछ फर्क अवश्य रखना होगा। उलटे हम तो यह कहने के लिये तैयार हैं कि यह विधेयक शरणार्थियों की मदद के लिये प्रस्तुत किया गया है जो व्यक्ति सरकारी मकानों में आनन्द कर रहे हैं और किराया भी नहीं देते और न खाली करते हैं उन्हें निकाल कर शरणार्थी लोगों को वहां बसाया जायगा, जिन्हें मकानों की अधिक आवश्यकता है। हमारा यह दावा भी सत्य माना जायगा।

अभी शुक्ल जी ने कहा कि हम एक आदमी को नियुक्त करते हैं, वह उसी काम के लिये नियुक्त किया जाता है। वह जल्दी से जल्दी मुकद्दमें का फैसला करेगा। लेकिन आप कहते हैं कि जज मुनासिब बातों की जानकारी के बाद १५ दिन के अन्दर अपना फैसला करेगा, यह कैसे होगा। १५ दिन में तो नोटिस की तामील भी न होगी और बिला वजह टाइम बढ़ता चला जायगा। इससे विधेयक का जो उद्देश्य है वही समाप्त हो जायगा। मैं गजेन्द्र सिंह जी से कहूंगा कि उनका मतलब तो हल हो ही गया। अखबारों में अब यह तो निकल ही जायगा कि शरणार्थियों के लिये उनकी कितनी हमदर्दी है, इसलिये आपको अपना प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--मैंने सरकारी वक्ताओं के दो तीन भाषण सुने। उनकी अब यह तो आदत सी ही हो गई है कि सर्व प्रथम आश्चर्य प्रकट कर देना और फिर अफसोस जाहिर करना। उनकी ओर से कहा गया कि जज की कोई आवश्यकता नहीं है। समर्थ अधिकारी ही सब कुछ कर देगा और उसका फैसला ठीक होगा। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि फिर आपके के यहाँ जज, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यह सब किस लिये हैं। इनकी फिर क्या आवश्यकता है जब कि हमारे देश और प्रदेश में बहुत से आफीसर मौजूद ही थे। समर्थ अधिकारी या तो सप्लाई आफीसर होंगे, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे या और कोई सरकारी अधिकारी होगा। उनके लिये यह कहना कि वे सब काम कर सकते हैं और प्रजातांत्रिक प्रणाली से कर सकते हैं तो फिर इन तमाम जुडीशियरी की क्या आवश्यकता थी ? जो संशोधन माननीय गजेन्द्रसिंह जी ने पेश किया है वह इसीलिये किया गया है अगर किसी सरकारी आफीसर से भूल हो जाय तो उसको ठीक करा दिया जाय और उससे भूल होने की संभावना भी बहुत है क्योंकि वह तो एक्जीक्यूटिव लाइन का होगा और उसे माननीय मंत्री से सर्टिफिकेट पाकर अपनी तरक्की की लालसा होगी और वित्त मंत्री जी की राय में वही समर्थ अधिकारी योग्य होगा जो सरकारी मकानों को जल्दी से जल्दी खाली करा सके। समर्थ अधिकारी की एक घटना इसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं जब कि कौंसिलर्स रेजीडेंस में एक दिन पुलिस भेज दी गयी और वहाँ जो एम० एल० एज० थे वे सब आतंकित हो गये। अखबारों में भी इस बात का चैलेंज किया गया कि क्या कोई समर्थ अधिकारी किसी को किसी कानून के तहत इस प्रकार से बाहर निकाल सकता है। इन्हीं सब कामों के लिये, इसी परपज के लिये, डिक्टेटरशिप के अस्तिया-

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

रात देने के लिये यह बिल यहाँ लाया गया है। अगर कोई समर्थ अधिकारी गलती करता है और जज उसको ठीक कर देता है तो यह प्रजातंत्र प्रणाली के अनुकूल है। इस सरकार की दिल्ली में भी हुकूमत है और इस प्रदेश में भी हुकूमत है और आये दिन नाना प्रकार के टैक्ससेज लगाये जाते हैं मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार के घरों में जो लोग रहते हैं वे कौन लोग हैं? उनमें सरकारी कर्मचारी रहते हैं या कोई ट्रैसपासर घुस आया आया होगा? अगर कोई ट्रैसपासर घुस आया तो यह उसकी कमजोरी है, सरकार की अयोग्यता है। अगर सरकारी अधिकारी रहते हैं तो वे जिम्मेदार लोग हैं, उनकी तनख्वाह से आप काट सकते हैं। इसके अलावा शरणार्थी भी होंगे। मैं सरकारी पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर मैं इस चीज को गलत समझ रहा हूं तो इसके साथ एक स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय कि यह विधेयक शरणार्थियों पर लागू नहीं होगा। उनको इससे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। वित्त मंत्री जी एक स्पष्टीकरण इसके साथ जोड़ दें कि इससे किसी भी शरणार्थी को कोई नुकसान न होगा तो दूसरी तरफ मकान मालिकों को जिन्हें मकान का किराया नहीं मिलता है उनके लिये तो आप तमाम जुडिशियरी और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के अधिकार दिये हैं और दूसरी तरफ जो सरकारी मकान हैं उनके किराये की वसूली के लिये इस तरह का विधेयक लाकर और उससे डिक्टेटोरिअल पावर लेकर मकान के किराये की वसूली के लिये और उनको मकान से निकालने के लिये इस तरह का सख्त क़ानून बनाना कम से कम जो प्रथम वक्ता थे उनकी प्रजातन्त्र-वादी प्रणाली की सरकार के लिये तो शोभा की बात नहीं हो सकती। इसलिये हमारे माननीय सदस्य श्री गजेन्द्र सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है कि जुडिशियल जज को अधिकार हो, तो केवल जुडिशियल अधिकारी ही भूल नहीं करते हैं बल्कि सभी भूल करते हैं और दुनिया के तथा देश-प्रदेश के जितने अधिकारी हैं सभी भूलें करते हैं। फिर भी एक्जीक्यूटिव से जुडिशियरी की सभी ज्यादा इज्जत करते हैं। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह आशा करता हूं कि यह विरोधी पक्ष की ही बात नहीं है बल्कि अगर एक माकूल संशोधन किसी तरफ से आता है जो एक्जीक्यूटिव पर जुडिशियरी को तरजीह देता है तो उसे उनको मान लेना चाहिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, जिस रोज पहली दफा इस ऐवान में इस क़ानून पर बहस हुई तो यह इल्जाम उस रोज सुर्ख पोशों की जानिब से लगाया गया कि यह क़ानून शरणार्थियों को परेशान करने के लिये लाया गया है। तो उस वक्त मैंने यह किताब क़ानून की जो मेरे पास रखी हुई थी, जब मैंने जवाब दिया तो इस ऐवान में मैंने वह क़ानून की किताब दिखलाई और उसमें से एक सेक्शन मैंने पढ़ कर सुनाया जिसका मतलब यह था कि शरणार्थियों के ऊपर जो रुपया वगैरह गवर्नमेंट का वाजिब होगा सरकार बतौर मालगुजारी के वसूल करेगी। उस वक्त मैंने उनकी इत्तला के लिये यह पढ़ कर अर्ज किया कि यह क़ानून जो इस वक्त इस ऐवान के सामने है, इस क़ानून से गवर्नमेंट को शरणार्थियों से कोई रुपया वसूल करने की, किराये के मुताल्लिक़ जरूरत है नहीं। अगरचे हमने उस क़ानून को भी जो पहले से मौजूद है उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया उस अख्तियार का, आज तक कोई भी मिसाल बतलायी नहीं जा सकती है जिसमें शरणार्थियों के साथ इस क़िस्म का बर्ताव किया गया हो। तो आज हम शरणार्थियों से किराया वसूल करने के मक़सद से इस क़ानून को लाये हैं, यह कोई माकूल बात नहीं हो सकती और यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता। उसी के साथ मैंने अपनी तक़रीर में मिसालें लखनऊ के सरकारी मकानों की और उनके क़ब्जे की दीं।

एक शुबहा यह भी जाहिर किया गया है कि शायद यह मेम्बरों के मुताल्लिक़ है। उसको भी मैंने तरदीद कर दी थी और उस वक्त ये मिसालें मैंने बयान कर दी थीं कि यह तजुर्बे मुझे जाती तौर पर मकानों के खाली कराने और सरकारी मकानों के रुपये वसूल करने की बाबत हुए। इसलिए इस बात की जरूरत महसूस हुई कि गवर्नमेंट को इस परेशानी से निकाला जाय।

इस क़ानून के ज़रिये जो कुछ किया गया वह सिर्फ यह कि किरायेदार और मकान मालिक के दर्मियान कुछ सिविल हुकूक हैं और किरायेदार को अदालत दीवानी में जाने का हक़ है, अपने उन हक़ूक़ को हासिल करने के लिये मकान मालिक को भी हक़ है। तो जहां तक किरायेदार के उन हक़ूक़ का ताल्लुक़ है किराये की अदायगी और सरकारी मकानों के बेदखली को, उसमें अगरचे यह बात ज़रूर है कि कम्पीटेंट अथारिटी हो और कम्पीटेंट अथारिटी को यह अख्तियार इस क़ानून में दिया जा रहा है लेकिन साथ ही साथ उस मौक़े पर यह कहा था कि कम्पीटेंट अथारिटी की तजवीज के खिलाफ उस किरायेदार को यह हक़ होगा कि वह अपने किराये की रक़म और उसकी बेदखली दोनों की बाबत अदालत दीवानी में जा सकता है और वहां जाकर नालिश करदे गवर्नमेंट के खिलाफ और तजवीज गवर्नमेंट के खिलाफ हो गयी तो जो रुपया उससे वापस लिया गया है वह रुपया उसे मिल जायगा और यह फैसला जो उसके खिलाफ हो चुका है वह फैसला मंजूर हो जायगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इंडीविजुअल्स के मुक़ाबिले में गवर्नमेंट को यह हक़ दिया जाय तो उसकी निस्बत मैंने यह अर्ज किया था कि बहुत मुमकिन है कि मैं बहुत दक़ियानूसी जमाने का आदमी हूं और शायद उस जमाने का आदमी इस बात को पसन्द नहीं करता लेकिन सुर्ख टोपी वाले भाइयों से मुझे ताज्जुब है कि जो गवर्नमेंट को जो सोसाइटी को रिप्रेजेन्ट करती है उसके ज़रिये से सुधार का काम हो जो मुल्क की हिफाजत का काम हो उसमें उसको हक़ देने में वह इंडीविजुअल्स के मुक़ाबिले में एतराज करें और फिर यह कहा जाय डिक्टेटरी करने के लिये यह सब करते हो। यह सब मैं पहले अर्ज कर चुका हूं और अब जनाब से माफी चाहता हूं कि कहे हुये को मैंने दोहराया है। लेकिन क्या करूं मैंने सुना था कि पब्लिक की मेमोरी शार्ट होती है लेकिन यह नहीं सुना कि पब्लिक के नुमाइन्दे की मेमोरी भी शार्ट होती है। तो जहां तक इस क़िस्से का ताल्लुक़ है कि शरणार्थियों की खिलाफत करने के लिये लाया गया है उसमें ज्यादा कहना मेरे लिये हिमाक़त होगी और मेरे समझाने का मतलब वही है जो समझना नहीं चाहता उसको समझाता जाऊं।

जहां तक इस वक्त की तरमीम का ताल्लुक़ है, उसकी बाबत जरा सी बात अर्ज किया चाहता हूं कि इसमें से एक बात निकाल दी जाय तो मैं उसे मंजूर कर लूंगा और वह यह है कि जज के यहां मुक़दमा गया और जो उसने फैसला दिया उसके फैसले के बाद भी उस आदमी को अख्तियार रहे कि अदालते दीवानी में जाय। यह तो अदालत दीवानी का अख्तियार इसलिये रखा गया है कि मुमकिन है कि जो काम्पीटेंट अथारटी हो वह कोई मुन्सिफ या जज न हो, तो ऐसी हालत में वह आदमी जो अदालत से फ़ायदा उठा सकता है उससे उसको महरूम न किया जाय लेकिन डबल मुक़दमेबाजी का फायदा उठाना एक मरतबे जज से तय करा लेने के बाद सिविल सूट दायर करा कर फिर से दोबारा लड़वाना उसका भी पैसा ख़राब कराना है, उसका वक्त भी खराब करना है और गवर्नमेंट के पैसे को भी बरबाद करना है। मुझे इसमें कोई विजडम नहीं महसूस हुई कि यह किस अक्लमंदी पर मबनी है। इससे ज्यादा मैं इसके मुताल्लिक़ और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे संशोधन का संबंध था मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी माननीय सदस्यों ने इस संशोधन का विरोध किया है मुझे दुख है कि उन्होंने इसके भाव को या इसकी भाषा को अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया। अगर उन्होंने किया होता और उसकी गहराई तक पहुंचते तो वह अनुभव करते कि मैंने इस बात पर जोर दिया है कि समर्थ अधिकारी को अधिकार दिया जाता है कि मांगपत्र के साथ साथ जितना रुपया समर्थ अधिकारी बतलायेगा उतना उसके पास जमा करना पड़ेगा और उसके बाद न्यायालय जाना होगा। जहां तक इस अधिकार का ताल्लुक़ है और उसके रुपये जमा करने का ताल्लुक़ है मैं नहीं समझा कि यह न्याय कहां का न्याय है। यह इसी सरकार का न्याय हो सकता है। न्याय तो यह है कि मांगपत्र उस पर जारी किया जाय और जितना रुपया कहा गया है उसको देने के पहले ही वह उसके लिये अदालत में जाय। अगर यह चीज होती तो न्याय की बात होती।

[श्री गजेन्द्र सिंह]

लेकिन यह न्याय नहीं समझा जा सकता है कि जितना समर्थ अधिकारी बताये उतना रुपया जमा करना पड़ेगा। इस बात पर किसी भी माननीय सदस्य ने जोर नहीं दिया और तरह तरह की बातों को ले कर माननीय सदस्यों ने तर्क उपस्थित किये।

जहां तक माननीय महावीर प्रसाद शुक्ल का सम्बन्ध है कि जिन लोगों को अदालतों का अनुभव नहीं होता है वे लोग इस क़िस्म के संशोधन लाते हैं। यह हो सकता है कि मुझे अदालत का अनुभव न हो। लेकिन मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि केवल मुझे ही नहीं बल्कि इस सदन के शायद तीन चौथाई सदस्यों को जो नये आये होंगे उन्हें विधान बनाने का अनुभव न होगा। तो जहां तक अदालतों के अनुभव का प्रश्न है अगर वह यही समझते हैं तो अपनी केन्द्रीय सरकार से निवेदन करके विधान में संशोधन करवा लें कि जो वकील या क़ानून के विशेषज्ञ हों केवल वही विधान सभाओं में चुन कर आ सकें और दूसरे न आ सकें। उन्होंने यह भी कहा कि अगर धनराशि कम है तो उससे ज्यादा उसको मुक़द्दमे में खर्च करना पड़ेगा। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो संशोधन है वह उस व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य नहीं करता कि अगर धनराशि कम है तो भी अदालत में जाय। उसे अधिकार है कि वह धनराशि समर्थ अधिकारी के पास जमा कर दे और अदालत में न जाय। कोई जरूरी नहीं है कि अदालत में जाय। लेकिन इस के विपरीत जिसकी धनराशि ज्यादा है, और जो रुपया वह दे चुका है वह मुजरा नहीं किया जा रहा है, उसके पास रसीदें भी हैं, उसके लिए मैंने यह संशोधन पेश किया था।

माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने कहा जो पैसा नहीं देता है उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने हमारे संशोधन को पढ़ने और समझने की कोशिश नहीं की। वह तो हमेशा प्रचार के लिए असेम्बली में भाषण दिया करते हैं उसी टोन में आये थे लेकिन माननीय मंत्री ने टोक दिया। जहां तक पैसा देने का संबंध है मैंने अपने संशोधन में कहीं भी इस बात पर वजन नहीं डाला है कि सरकार का रुपया न वसूल हो। मेरी विरोध करने का जो मंशा है वह यह है कि समर्थ अधिकारी के पास पूरा रुपया जमा करने के बाद ही वह अदालत में जा सकता है, मुझको इसी का विरोध करना है। अगर समर्थ अधिकारी उसके पास मांग भेजे और वह समर्थ अधिकारी को रुपया दे चुका है, उसके पास उसकी रसीदें भी हैं तो बजाय इसके कि वह पूरा रुपया जमा करे हम उसको अधिकार देना चाहते हैं कि वह अदालत में जाय और अदालत से अपना निर्णय ले। तो इस प्रकार उनका यह कहना कि हम चाहते हैं कि सरकार का जो पैसा बकाया है वह न मिले यह हमारी कभी भी मंशा नहीं है। सरकार को अगर पैसा न मिले तो कैसे काम चल सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार को पैसा भी मिले साथ ही जिन लोगों पर बक़ाया है उनको भी मौक़ा दिया जाय कि अगर उन्होंने रुपया दे दिया, रसीद भी है, लेकिन समर्थ अधिकारी नहीं मानता है तो उनको मौक़ा दिया जाय। इस प्रकार का अधिकार समर्थ अधिकारी को देना न्याय-संगत नहीं है। जैसा कि माननीय राम नारायण जी ने बताया कि किस तरह से दारुलशफा में जहां इस सदन के माननीय सदस्य रहते हैं कि किस प्रकार पुलिस आयी थी और सामान फेंकने के लिए तैयार हुई, जिसको हर माननीय सदस्य जानता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि शरणार्थियों पर रुपया नहीं बाक़ी है। तो मैं वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि लाखों रुपया जो बाकी है, वह बतलाएं कि वह किन लोगों पर बाक़ी है? क्या दारुलशफा में रहने वाले माननीय सदस्यों पर या गवर्नमेंट के बड़े-बड़े अफ़सरों पर वह रुपया बाक़ी है? मैं तो जोर देकर इस बात को कहता हूं कि शरणार्थियों पर रुपया बाक़ी है और अगर नहीं बाक़ी है तो माननीय मंत्री जी हम लोगों को बताएं कि यह दसियों लाख रुपया जो बाकी है वह किन लोगों पर बाक़ी है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं यह पूछना चाहता हूं कि जनाब से किसने कहा कि लाखों रुपया बक़ाया है?

श्री गजेन्द्र सिंह--आपने ही कहा था श्रीमान् जी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने नहीं अर्ज किया कि रुपया बक़ाया है और उस रुपये को लेना है।

श्री गजेन्द्र सिंह--मेरा ऐसा विचार था कि आपने यह कहा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं, मुझसे यह क़सूर बिल्कुल नहीं हुआ।

श्री गजेन्द्र सिंह--खैर, कोई बात नहीं है। कोई रुपया शरणार्थियों पर नहीं है तो सही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो खयाल यही था। माननीय मंत्री जी कहते हैं तो मैं उनसे इतना तो पूछना चाहता हूं कि कितना रुपया बकाया है और किन लोगों से रुपया पाना है, यह बतलाएं तो मेहरबानी होगी।

इसके साथ ही साथ ब्रजबिहारी मिश्र जी ने यह कहा कि शरणार्थियों का प्रश्न पैदा करके प्रोपैगेंडा किया जाता है, मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने बतला दिया है कि उनपर रुपया बाकी नहीं है। लेकिन इतना मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री अपनी स्पीच में बतलाएंगे कि कितना रुपया पाना है और किन लोगों पर रुपया बकाया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने कोई ब्योरा लोगों के खिलाफ तैयार नहीं कर रखा है। जिस तजुर्बे की बिना पर मैंने इस क़ानून को जरूरी समझा उसको पहले भी अर्ज कर दिया है और आज भी वही बातें हैं। अब इसके बारे में मुझको कोई ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है और इससे कुछ ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ व ५ में शब्द "के साथ ऐसी धनराशि देकर इस प्रकार दी हुई धनराशियां उसके भाग की वसूली के लिए" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं--

> "पन्द्रह दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है लिखित विरोध प्राप्त होने पर समर्थ अधिकारी अपनी मांग की नोटिस तथा विरोध को अपनी रिपोर्ट के साथ जिला जज के यहां भेज देगा जिला जज दोनों पक्षों को सुनकर पन्द्रह दिन के अन्दर अपना फैसला देगा जज द्वारा निश्चित रक़म को या उसके किसी भाग को देने के दायित्व को भी यदि उक्त व्यक्ति अस्वीकृत करे तो लिखित विरोध के अधीन ऐसी धनराशि देकर इस प्रकार दी हुई धनराशि या उसके भाग की वसूली के लिए"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

किराये की वसूली

६--यदि तामील के दिनाँक से तीस दिन के भीतर या ऐसे बढ़ायी गयी अवधि के भीतर जिसको समर्थ अधिकारी स्वीकृत करे, किराये की बकाया, जिसके संबंध में माँग का नोटिस तामील किया गया हो, समर्थ अधिकारी को न दी जाय, तो उक्त बक़ाया वसूली के समस्त व्यय के साथ इस प्रकार वसूल की जा सकेगी जिस प्रकार राजस्व की बक़ाया (arrears of revenue) वसूल की जाती है और उक्त धनराशि को देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के संबंध में धारा ७ के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह तत्संबंधी सरकारी भूगृहादि में बिना अधिकार रहता है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

किरायेदारों के अनुबंधों के उल्लेख अथवा बिना अधिकार रहने के कारण सरकारी भू-गृहादि से बेदखली का अधिकार।

७—(१) यदि समर्थ अधिकारी को यह संतोष हो :

(क) कि किसी सरकारी भूगृहादि में रहने के लिये ऐसे व्यक्ति के रूप में, जिसको प्रदेशन किया गया हो या पट्टा दिया गया हो, अधिकृत व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले या बाद :

१—राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अधिकारी की आज्ञा बिना, समस्त उक्त भूगृहादि या उसके किसी भाग को फिर से किराये पर दे दिया है, या

२—किसी ऐसे व्यक्ति या अव्यक्त (express or implied) अनुबन्ध के, जिसके अधीन उसे उक्त भूगृहादि में रहने का अधिकार है, कोई विपरीत कार्य किया है, अथवा

(ख) कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी भूगृहादि में बिना अधिकार रहता है। तो समर्थ अधिकारी नियत रीति से नोटिस तामील करके उक्त व्यक्ति को और ऐसे व्यक्ति को भी जो उक्त भूगृहादि में या उसके किसी भाग में अधिवास करता हो, यह आदेश दे सकता है कि उक्त सूचना की तामील के दिनाँक से तीस दिन के भीतर उसे खाली कर दे :

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दिये गये किसी आदेश का अनुपालन न करे या करना अस्वीकृत करे तो समर्थ अधिकारी उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था धारा १० में की गयी है, और उक्त व्यक्ति द्वारा की गयी आपत्तियों पर, यदि कोई की गयी हो, विचार करने के बाद, उक्त भूगृहादि से, निश्चित किये जाने वाले समय के भीतर, उसके बेदखल किये जाने (eviction) की आज्ञा दे सकता है। उस व्यक्ति को, जिसकी बेदखली करनी है, उक्त आज्ञा का नोटिस दिया जायेगा।

(३) यदि निश्चित समय के भीतर उपधारा ३ के अधीन दी गयी आज्ञा का अनुपालन नहीं किया जाये तो समर्थ अधिकारी उक्त व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को भी जो उक्त गृहादि में रहता हो, बेदखल (evict) कर सकता है।

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) (क) के स्थान पर निम्नलिखित नया उपखंड (क) रखा जाय—

"(क) कि किसी सरकारी भूगृहादि में रहने के लिये प्रदेशन (allotment) या पट्टे द्वारा अधिकृत व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले या बाद"।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन के विषय में कोई अधिक नहीं कहना है। यह संशोधन मैंने केवल इस मंशा से रखा है कि जो अधिनियम के अन्दर उसकी भाषा है वह ठीक से नहीं चलती है. और विशेष तौर से उसका जब हम अंग्रेजी से मुक़ाबला करते हैं तो दोनों ठीक नहीं उतरते हैं। इसलिये इस संशोधन को रख करके मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह उचित समझें तो इसे स्वीकार कर लें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—स्वीकार है यह।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) (क) के स्थान पर निम्नलिखित नया उपखंड (क) रखा जाय ---

"(क) कि किसी सरकारी भूगृहादि में रहने के लिए प्रदेशन (allotment) या पट्टे द्वारा अधिकृत व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले या बाद"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देवकी नन्दन विभव--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) (ख) की पंक्ति २ में शब्द "रहता है" के पश्चात् आने वाले विराम के चिन्ह के स्थान पर अर्धविराम का चिन्ह रख दिया जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह स्वीकार है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) (ख) की पंक्ति २ में शब्द "रहता है" के पश्चात् आने वाले विराम के चिन्ह के स्थान पर अर्धविराम का चिन्ह रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि खंड ७ में कुछ छापे की गलती है। इसलिये यह संशोधन है कि खंड ७ के उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति में अंक "३" के स्थान पर अंक "२" रख दिया जाय।

श्रीमान्, धारा ७ के तीन उपखंड हैं---उपखंड १,२ और ३। उपखंड १ के दो भाग हैं, 'क' और 'ख'। फिर उपखंड २ है और ३। इसी उपखंड ३ की पहली पंक्ति में अंक "३" जो है उसके स्थान पर अंक "२" होना चाहिए।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह मन्जूर है।

अध्यक्ष---यही प्रिंटिंग मिस्टेक अंग्रेजी में भी मौजूद है।
प्रश्न यह है किखंड ७ के उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति में अंक '३' के स्थान पर अंक रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

अपील।

८---कोई व्यक्ति धारा ७ की उपधारा २ के अधीन दी गई आज्ञा से असंतुष्ट हो, उस सम्बन्ध में सूचना की प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट जज के पास लिखित अपील कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज समर्थ अधिकारी से आख्या (report) मांगने के बाद एवं आवश्यकता के अनुसार और अधिक जांच करने के बाद ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे। इस संबन्ध में डिस्ट्रिक्ट जज की आज्ञा अंतिम होगी।

श्री देवकी नन्दन विभव--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ८ की पंक्ति १ में शब्द "व्यक्ति" और शब्द "धारा" के बीच शब्द "जो" बढ़ा दिया जाय। इसके न होने से वह स्पष्ट नहीं होता है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मुझे मन्जूर है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ की पंक्ति १ में शब्द "व्यक्ति" और शब्द "धारा" के बीच शब्द "जो" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

आज्ञा का निरोध

९---यदि धारा ८ के अधीन अपील प्रस्तुत कर दी गई हो तो डिस्ट्रिक्ट जज धारा ७ के अधीन दी गई बेदखली की आज्ञा को कार्यान्वित करना, ऐसे समय के लिये और ऐसे प्रतिबन्धों के साथ जिन्हें वह उपयुक्त समझे, रोक सकता है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

गृहादि के प्रकार के सम्बन्ध में आपत्ति

१०---(१) यदि इस आधार पर आपत्ति की गई हो कि तत्सम्बन्धी भू-गृहादि सरकारी भू-गृहादि नहीं है तो समर्थ अधिकारी डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदेश (reference) भेज देगा। उक्त अभिदेश में सभी तथ्य (facts) लिखे जायेंगे और उक्त तथ्यों के अन्तर्गत ऐसे भी तथ्य होंगे जिससे यह प्रकट हो सके कि तत्सम्बन्धी भू-गृहादि सरकारी भू-गृहादि हैं।

(२) अभिदेश की प्राप्ति पर डिस्ट्रिक्ट जज आपत्ति की जांच आरम्भ करेगा और आपत्ति करने वालों को यह आदेश देगा कि वह इस बात का प्रमाण दें कि तत्सम्बन्धी भू-गृहादि सरकारी भू-गृहादि नहीं हैं।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि डिस्ट्रिक्ट जज के विचार में उक्त आपत्ति सारहीन या प्रत्यक्षतः निराधार है तो उक्त प्रकार की कोई जांच नहीं की जायेगी।

(३) यदि उक्त जांच के बाद डिस्ट्रिक्ट जज को यह संतोष हो जाय कि वह गृहादि आपत्ति करने वाले के रहने के प्रारम्भ के दिनांक पर सरकारी भू-गृहादि था तो वह आपत्ति को खारिज (dismiss) कर देगा और यदि उन्हें उक्त प्रकार से संतोष न हो तो वह आपत्ति को स्वीकृत करेगा और धारा ७ की उपधारा २ के अधीन दी गई समर्थ अधिकारी की आज्ञा को निरस्त (set aside) कर देगा।

(४) उपधारा ५ के अधीन यदि कोई वाद प्रस्तुत किया गया हो तो उसके परिणाम को बाधित न करते हुए, उपधारा ३ अधीन डिस्ट्रिक्ट जज की आज्ञा अन्तिम और निश्चायक होगी और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

(५) वह पक्ष जिसके विरुद्ध उपधारा ३ के अधीन कोई आज्ञा दी गई हो उक्त आज्ञा के दिनांक से छः महीने के भीतर अधिकार प्राप्त न्यायालय में उक्त भू-गृहादि पर अपने अभ्यर्थित अधिकार को स्थापित करने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है।

श्री गजेन्द्र सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं:

"जब तक कि जिला जज उक्त अभिदेश के सम्बन्ध में निर्णय न कर दे तब तक सम्बद्ध व्यक्ति संबंधित भू-गृहादि से हटाया नहीं जा सकता।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम १० की उपधारा १ को पढ़े देता हूं जो इस प्रकार है :--

"यदि इस आधार पर आपत्ति की गई हो कि तत्सम्बन्धी भू-गृहादि सरकारी भू-गृहादि नहीं है तो समर्थ अधिकारी डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदेश (reference) भेज देगा। उक्त अभिदेश में सभी तथ्य (facts) लिखे जायेंगे और उक्त तथ्यों के अन्तर्गत ऐसे भी तथ्य होंगे जिससे यह प्रकट हो सके कि तत्सम्बन्धी भू-गृहादि सरकारी भू-गृहादि हैं।

अगर इसमें मैं अपना संशोधन जोड़ देता हूं तो उसका संशोधित रूप इस प्रकार होगा :-

"यदि इस आधार पर आपित्त की गई हो कि तत्सम्बन्धी भू-गृहादि सरकारी भू-गृहादि नहीं हैं तो समर्थ अधिकारी डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदेश (reference) भेज देगा। उक्त अभिदेश में सभी तथ्य (facts) लिखे जायेंगे और उक्त तथ्यों के अन्तर्गत ऐसे भी तथ्य होंगे जिससे यह प्रगट हो सके कि तत्सम्बन्धी भू-गृहादि सरकारी भू-गृहादि हैं। जब तक कि जिला जज उक्त अभिदेश के सम्बन्ध में निर्णय न कर दे तब तक सम्बद्ध व्यक्ति सम्बन्धित भू-गृहादि से हटाया नहीं जा सकता।"

तो जब तक कि जिला जज निर्णय नहीं करता तब तक सम्बद्ध व्यक्ति सम्बन्धित भू-गृहादि से हटाया नहीं जा सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री द्वारा जो नियम १० की धारा १ को प्रस्तुत किया गया है अगर हम इसको मान लेते हैं तो इससे हमें इस बात का खतरा है कि मान लिया कि कोई भी व्यक्ति, जिसको कि जिस मकान में वह रहता है, उससे उसको हटाते हैं और यह कहा जाता है कि वह सरकारी भू-गृहादि है और वह आदमी यह साबित करना चाहता है कि यह सरकारी नहीं है बल्कि उसका मकान है तो उस सूरत में वह डिस्ट्रिक्ट जज के पास मामला जायगा। इस संशोधन द्वारा मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि जब तक डिस्ट्रिक्ट जज के यहां यह मामला चले उस बीच में उस व्यक्ति को उस मकान में रहने दिया जाय। अगर मैं यह संशोधन पेश नहीं करता हूं और मूल धारा बनी रहती है तो इसके रहने से इस बात का अन्देशा है कि सरकार द्वारा .....

अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि आपका संशोधन कुछ जमता सा नहीं मालूम होता है क्योंकि इसमें कहीं हटाने का सवाल तो आया नहीं है जो आप जोड़ना चाहते हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह--परन्तु मैं उसको जोड़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष--काल्पनिक बात के ऊपर तो अमेन्डमेंट होगा नहीं। कहीं हटाने की बात हो तो आप प्रतिबन्ध लगा दें। इसमें तो कहीं हटाने की बात है नहीं।

श्री गजेन्द्र सिंह--इससे हटा सकते हैं।

अध्यक्ष--इस खंड के बाद कार्यवाही आगे मौजूद है, आप विधेयक को पूरा पढ़ें और फिर आप उसको रेलीवेंसी बतायें।

श्री गजेन्द्र सिंह--आगे चलकर नहीं बताया गया है कि उसे नहीं हटाया जायगा।

अध्यक्ष--अगर नहीं बताया गया है तो इसका मतलब यह है कि नहीं हटाया जायगा। हटाये जाने की बात नहीं है तो वह वहीं रहेगा जब तक कि फैसला नहीं होगा। आपके संशोधन में रेलीवैन्सी नहीं है। मैं इसको इजाजत नहीं देता।

श्री देवकी नन्दन विभव--मैं आपकी आज्ञा से खंड १० के उपखंड (४) की पंक्ति २ में अंक "३" और शब्द "अधीन" के बीच शब्द "के" बढ़ा दिया जाय, यह संशोधन उपस्थित करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मन्जूर है।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (४) की पंक्ति २ में अंक "३" और शब्द "अधीन" के बीच शब्द "के" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गजेन्द्र सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (५) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायँ --

"किन्तु जज द्वारा अभिदेश संबंधित निर्णय के बाद अभ्यर्थी के लिये आवश्यक होगा कि वह सम्बन्धित भू-गृहादि ३० दिन के अन्दर खाली कर दे।"

[श्री गजेंद्र सिंह]

जहां तक खंड १० के उपखंड ५का संबंध है मैं आपकी आज्ञा से उसको पढ़ना चाहता हूं कि:

"वह पक्ष, जिसके विरुद्ध उपधारा ३ के अधीन कोई आज्ञा दी गई हो उक्त आज्ञा के दिनांक से ६ महीने के भीतर अधिकार प्राप्त न्यायालय में उक्त भू-गृहादि पर अपने अभ्यर्थित अधिकार को स्थापित करने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है" इसके साथ ही साथ मैं अपना संशोधन जोड़ना चाहता हूं उसके जुड़ जाने पर उसका संशोधित रूप इस प्रकार होगा :---

"वह पक्ष, जिसके विरुद्ध उपधारा ३ के अधीन कोई आज्ञा दी गई हो, उक्त आज्ञा के दिनांक से ६ महीने के भीतर अधिकार प्राप्त न्यायालय में उक्त भू-गृहादि पर अपने अभ्यर्थित अधिकार को स्थापित करने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है किन्तु जज द्वारा अभिदेश संबन्धित निर्णय के बाद अभ्यर्थी के लिये आवश्यक होगा कि वह संबन्धित भू-गृहादि ३० दिन के अन्दर खाली कर दे"।

अध्यक्ष---इसका अर्थ स्पष्ट कर दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह---इसका अर्थ यह हुआ कि जहां तक मकान का संबन्ध है जज के फैसले के बाद ही उक्त व्यक्ति को इतना अवसर मिलना चाहिए कि वह तीस दिन के अन्दर मकान खाली कर दे उसको इतनी मियाद मिलनी चाहिए वरना अगर आज निर्णय हो जाता है तो संबन्धित अधिकारी को अधिकार होगा कि कल ही उसको खाली करा ले।

अध्यक्ष---यह जो संशोधन है यह मान लेता है कि जज का फैसला उसके खिलाफ ही होगा। अगर आप यह रखते कि यदि जज का फैसला उसके खिलाफ होगा तो उसको तीस दिन की मियाद मिले तब तो ठीक होता, लेकिन जिस तरह से आपने रखा है यह अवैध है।

श्री गजेन्द्र सिंह---मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर फैसला उसके खिलाफ होगा तो उसको मकान खाली करने के लिये मौक़ा मिलना चाहिए।

अध्यक्ष---किन्तु यदि जज का निर्णय उसके विरुद्ध हो तो ३० दिन के अन्दर वह खाली कर देगा, इसको आपको संशोधन में स्पष्ट करना है।

श्री गजेन्द्र सिंह---आपकी आज्ञा हो तो ठीक कर दूं।

अध्यक्ष---जी हां, ठीक करना ही होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं इतनी आपकी तवज्जह दिला दूं अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं कि उपखंड ५ खंड १० का जो है उसमें यह बढ़ाया जायगा। उपखंड ५ जो है बिलकुल डिफरेंट सब्जेक्ट है और वह यह है कि जिस किसी व्यक्ति के खिलाफ जज का हुक्म हुआ हो वह ६ महीने में अपनी नालिश कर दे। इस सब्जेक्ट से जो यह ५ में दिया हुआ है इससे जो बात अमेंडमेंट के जरिये से लाई जा रही है कोई ताल्लुक़ नहीं है।

अध्यक्ष---उनका कहना है कि ६ महीने में मुक़द्दमा दायर कर दे और उसके बाद भी अगर उसके खिलाफ फैसला हो जाय तो उसे ३० दिन के अन्दर खाली कर देना चाहिए, यह मतलब उनका है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जो इसकी इबारत है वह बहुत लैकिग है।

अध्यक्ष---इसीलिये मैंने उनसे कहा है कि वह इसे ठीक फार्म में रक्खें तभी मैं उसे पेश करने की इजाजत दे सकता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह---मैं यह रखना चाहता हूं, 'किन्तु जज की आज्ञा सम्बन्धित भू-गृहादि के खिलाफ हो तो वह उसे ३० दिन के अन्दर खाली कर दे।"

अध्यक्ष---इसको मैं फिर भी स्वीकार नहीं कर सकता हूं क्योंकि फिर भी यह स्पष्ट

नहीं हुआ। जज की आज्ञा-विरोध में हो तब कहीं ऐसा हो सकता है यानी खाली करने के पक्ष में हो तब ऐसा हो सकता है। यह स्पष्ट नहीं है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

धारा ७ के अधीन दी गई आज्ञाओं के अनुपालन के लिये अधिकार।

११--(१) समर्थ अधिकारी धारा ७ के अधीन अपने द्वारा दी गई आज्ञाओं के अनुपालन के लिये ऐसे कार्य (steps) कर या करा सकता है और ऐसा बल प्रयोग करा सकता है जो उक्त अधिकारी (authority), पदाधिकारी या व्यक्ति के मत में उपयुक्त और आवश्यक हो।

(२) संदेह दूर करने के विचार से एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (१) के अधीन किये जाने वाले उपक्रम के अधिकार के अन्तर्गत किसी भूमि या भूगृहादि पर प्रदेश का अधिकार भी है।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

क्षति पूर्ति का अधिकार।

१२--(१) यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी भूगृहादि में बिना अधिकार अधिवास करता है तो समर्थ अधिकारी उक्त भूगृहादि में अधिवास या उसके उपयोग के कारण ऐसा प्रतिकर (damages) नियत रीत से अवधारित कर सकता है जो उसके विचार में उचित और युक्त हों और डाक से या किसी अन्य प्रकार सूचना तामील करा कर उक्त व्यक्ति को यह आज्ञा दे सकता है कि वह ऐसे समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट हो प्रतिकर दे देवे।

(२) यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रतिकर सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर देना अस्वीकृत करता है या नहीं देता है, तो प्रतिकर राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

(३) उपधारा (१) या (२) में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह ऐसे व्यक्ति को, जिसको प्रतिकर देने की आज्ञा दी गई हो, अपने दायित्व के प्रतिवाद में (to contest his liability) अधिकार प्राप्त न्यायालय में वाद (suit) प्रस्तुत करने से रोक सके, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (२) के अधीन धनराशि वसूल नहीं की जा चुकी है, तो ऐसा वाद प्रस्तुत करने से पहले उक्त व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन नोटिस में उल्लिखित धनराशि जमा कर देगा।

श्री देवकीनन्दन विभव--मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "हों" के स्थान पर शब्द "हो" रख दिया जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं इसे स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "हों" के स्थान पर शब्द "हो" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२-क

१२-क---इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५ और १२ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन अपीलों और आवेदन-पत्रों (एप्लीकेशन्स) पर लागू होंगे और धारा १२ के प्रयोजनों के लिये धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन बेदखली की आज्ञा डिक्री मानी जायगी।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

आज्ञाओं का अपवाद

१३--उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम या किसी अन्य विधि में की गयी हो, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राप्त अधिकारों के प्रयोग में दी गई आज्ञा के विरुद्ध न्यायालय में कोई आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

अध्यक्ष-प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्य का बचाव।

१४--(१) इस अधिनियम या उसके अधीन दी गई किसी आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किये गये किसी कार्य के या किसी ऐसे कार्य के लिये जिसे उक्त प्रकार से करने के उद्देश्य हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई बात अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or other legal proceedings) नहीं की जा सकती।

(२) उस परिस्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था अधिनियम में स्पष्ट रूप से की गई हो, इस अधिनियम के या उसके अधीन दी गई आज्ञा के अनुसार किसी ऐसे कार्य के कारण जो सद्भावना से किया गया हो, या जिसे उक्त प्रकार से करने का उद्देश्य हो, पहुंची हुई क्षति के लिये राज्य सरकार या समर्थ अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री देवकी नन्दन विभव---मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड १४ की पंक्ति ३ में शब्द 'के' जहाँ प्रथम बार आया है, उसके स्थान पर शब्द 'का' रख दिया जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह मुझे मन्जूर है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १४ की पंक्ति ३ में शब्द 'के' जहाँ प्रथम बार आया है उसके स्थान पर शब्द 'का' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग मान लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड १५-१६

अन्य विधियों का प्रयोग।

१५---किसी अन्य विधि में या किसी विधि के आधार पर सप्रभाव किसी कारण (instrument)) में किसी विपरीत बात के रहते हुए भी, इस अधिनियम के निदेश प्रभाव शाली होंगे।

नियम बनाने का अधिकार।

१६---(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) विशेषतया और उक्त अधिकारी की व्यापकता को बाधित न करते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों के या उनमें से किसी के संबन्ध में व्यवस्था की जा सकती है --

(क) सूचना का आकार (form) और उसे तामील करने की रीति (manner);

(ख) सरकारी भू-गृहादि पर दखल (possession) लेने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया (procedure);

(ग) धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन कार्यवाही में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(घ) अनधिकार अधिवास के कारण देय प्रतिकर निर्धारित करने की रीति;

(ङ) वह रीति जिसके अनुसार अपील प्रस्तुत की जाय और अपील में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; और

(च) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाना हो या नियत किया जाय।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ और १६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

सरकारी भूगृहादि में रहने वाले व्यक्तियों से किराये की वसूली और उक्त भूगृहादि में बिना अधिकार रहते हुए व्यक्तियों की उनमें से बेदखली (eviction) की व्यवस्था के लिये

विधेयक

सरकारी भूगृहादि (premises) में रहने वाले व्यक्तियों से किराये की वसूली और उक्त भूगृहादि में बिना अधिकार रहते हुए व्यक्तियों की उनमें से बेदखली (eviction) की व्यवस्था करना आवश्यक है:

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, उस संशोधन के साथ जो इस सदन ने स्वीकार किये हैं उससे यह नहीं प्रतीत होता है कि जो लोग इस प्रदेश में रहते हैं या बहर से आये हैं उनको इस ऐक्ट से विशेष लाभ होने वाला है. . . .

अध्यक्ष--जो संशोधन इस विधेयक मे हुए हैं आप उनके ऊपर ही अपना भाषण कर सकते हैं, किन्तु इसमें जो संशोधन हुए हैं वह ऐसे ही हुए हैं कि "हों" के स्थान पर "हो" कर दिया गया है और "के" स्थान पर "का" कर दिया गया है। अब उनमें आपको किस "हो" पर और "का" पर क्यों आपत्ति है यह व्यक्त करना होगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--तब तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अगले दिन का कार्यक्रम

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--अब मैं जनाब से यही दरख्वास्त करता हूं कि आज तो अब इजाजत हो जाय और कल अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक शुरू हो जाय।

अध्यक्ष--इसके अलावा और भी कई बिल कल के लिये हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह बिल जो खत्म हो जायगा, तो दशहरे के पहले का काम भी खत्म हो जायगा।

अध्यक्ष--परसों अनुपूरक अनुदान भी तो है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अगर कल ही आने वाला बिल खत्म होता है तो कल ही अनुपूरक अनुदान भी पेश करा दिया जा सकता है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--मैं जानना चाहूंगा कि इसके खत्म होने के बाद क्या २५ तक भवन बैठेगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अगर कल काम खत्म हो गया तो कल ही अनुपूरक अनुदान पेश हो जायगा और फिर २५ को बैठने की जरूरत नहीं होगी।

अध्यक्ष--इसलिये वित्त मन्त्री जो अनुपूरक अनुदान के लिये तैयार रहें अगर काम समाप्त हो गया तो उसे कल ही पेश कर दें।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२३ सितम्बर, १९५२

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

[देखिए अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न-संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८ पर]

समाचार-पत्रों के नाम		विज्ञापन की तारीखें
१--लीडर, इलाहाबाद	..	२० अगस्त, १९५२
२--पायनियर, लखनऊ	..	२० अगस्त, १९५२
३--अमृत बाजार पत्रिका, इलाहाबाद	..	२० अगस्त, १९५२
४--हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली	..	२१ अगस्त, १९५२
५--नेशनल हेराल्ड, लखनऊ	..	२१ अगस्त, १९५२
६--दैनिक प्रताप, कानपुर	..	२० अगस्त, १९५२
७--दैनिक संसार, बनारस	..	२१ अगस्त, १९५२
८--स्वतन्त्र भारत, लखनऊ	..	१९ अगस्त, १९५२
९--अमर उजाला, आगरा	..	२२ अगस्त, १९५२
१०--कौमी आवाज, लखनऊ	..	२१ अगस्त, १९५२

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'ख'

[देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२२ पर]

साल		ख	प	त			
				विदेशी शराब			
				आयात की हुई विदेशी शराब		भारत में बनी हुई विदेशी शराब	
	देशी शराब (लन्दन प्रूफ गैलन में)	अफीम (सेरों में)	भांग (सेरों में)	फुटकर किस्म की शराब तथा स्प्रिट (लन्दन प्रूफ गैलन में)	बियर (बल्क गैलन में)	फुटकर किस्म की शराब तथा स्प्रिट (लन्दन प्रूफ गैलन में)	बियर (बल्क गैलन में)
१९४६-४७ ..	१२,६९,१५६	२४,६०४ १/४	१,५८,८९८	८३,५३१	५,६२,१७१	१,६९,३४९	२,६०,९२७
१९४७-४८ ..	११,३४,३२८	२४,८७१ ३/४	१,५२,५००	१,११,६८९	२,०७,३८३	१,६३,२१०	१,८२,०००
१९४८-४९ ..	९,३४,२६४	१६,११०	१,४३,५७१	३३,१४९	१,१६,३६९	१,७६,९९५	७५,६३१
१९४९-५० ..	९,३८,५४७	१६,९१० १/२	१,४३,५०६	२८,७५२	१,३१,५१६	२,२०,४४६	४६,१५४
१९५०-५१ ..	९,७३,९६८	१९,६२३ १/२	१,६९,००५	२६,३०५	९५,८९९	१,५३,९५६	१,४१,२९२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३१ पर)

गोरखपुर जिले की पक्की सड़कों की तालिका

तहसील	मील जो पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकार में है	मील जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में है		
	मील	मील	फं०	फीट
गोरखपुर	१०२	१०	६	३४६
बाँसगाँव	२१	१५	४	४२२
फरेंदा	१९		..	
महाराजगन्ज	२७	७	०	०
मीजान	१६९	३३	३	१०८

पुलों की आवश्यकता निम्नांकित स्थानों पर है :—

(१) राप्ती नदी पर बर्द घाट पर (तहसील गोरखपुर में)।

(२) रहीन नदी, गोरखपुर–फरेंदा सड़क नवें मील पर (तहसील गोरखपुर में)।

(३) घाघरा नदी पर दोहरी घाट पर इलाहाबाद-गोरखपुर सड़क के १३०वें मील पर (तहसील बाँसगाँव में)।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की निम्नांकित सड़कों पर पुलियों की आवश्यकता है :—

(१) बाँसगाँव सड़क पर दो पुलियाँ, अनुमानित खर्च २,००० रुपया है।

(२) गोरखपुर कैप्टेनगंज सड़क पर १ पुलिया, अनुमानित खर्च १,५०० रुपया है।

नत्थी

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१

LOWER DIVISION EASTERN

Statement of Irrigation on Last 6 Outlets

Outlet No.	Position			Bank	Ventage.	C. C. A.	Proposed 40%	1350F.		
								Kharif	Rabi	Sugar
	M.	Fur.	Fe.							
12	2	2	659	L	6″	121	48	55	81	39
13	3	—	308	R	5″	81	32	36	67	18
14	3	—	421	L	5″	80	32	20	47	7
15	3	2	638	L	5″	76	30	37	44	23
15A	3	2	278	L	6″	141	56	51	81	37
16	3	2	295	R	4½″	29	12	16	17	9

Outlet No.	1356F.			1357F.			1358F.			1359F.		
	Kharif	Rabi	Sugar	Kharif	Rabi	Sugar	Kharif	Rabi	Sugar	Kharif	Rabi	Sugar
12	59	75	34	86	79	37	57	83	35	102	97	43
13	45	55	30	62	59	30	46	67	26	70	61	28
14	30	38	9	33	42	7	26	40	16	43	49	19
15	35	52	18	51	45	25	37	53	24	56	43	28
15A	45	70	24	57	76	22	46	82	33	84	93	47
16	20	29	9	20	16	10	14	21	9	23	15	9

'घ'

का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३ पर)

YAMUNA CANAL, MUZAFFARNAGAR

of Bhanera Minor During Last 10 Years.

1351F.			1352F.			1353F.			1354F.			1355F.		
Kharif	Rabi	Sugar	Kharif	Rabi	Sugar	Kharif	Rabi	Sugar	Kharif	Rabi	Sugar	Kharif	Rabi	Sugar
57	84	31	52	81	20	46	76	33	70	82	47	85	88	34
35	71	9	44	55	17	39	56	29	45	56	25	59	65	20
27	40	8	34	37	13	23	40	14	27	37	18	36	40	17
42	40	35	33	31	24	24	57	12	40	48	21	41	47	25
58	82	43	49	76	37	41	82	29	64	85	33	32	66	14
17	16	10	17	12	13	13	17	9	13	21	8	22	17	12

Total			Average 1350-1359			Percentage of Kharif	Percentage of Rabi	Percentage of Sugar
Kharif	Rabi	Sugar	Kharif	Rabi	Sugar			
669	826	353	67	83	35	55	68	29
481	612	229	48	61	23	60	75	28
299	410	128	30	41	13	38	50	16
296	480	235	40	48	24	53	63	31
527	793	319	53	79	32	37	56	22
175	181	98	17	18	10	60	62	34

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५ पर)

नाम सड़क	खर्च	वह मील जहाँ मिट्टी का काम खतम हो गया है	वह मील जहां पुल और पुलियों का काम खत्म हो गया
लालगंज—अठेहा—	रु०		
लालगंज—कैप्टेनगंज ..	३,२५३	ओ०डी० आर०, ८ मील	..
कैप्टेनगंज—अठेहा ..	२,१७९	बी० आर०, ४ मील	..
गरवारा—पूरागाँव-सांगीपुर—			
गरवारा—अन्तू ..	८,३३८	ओ० डी० आर०, ६ मील ५ १/२ फ०	..
अन्तू—तिवारीपुर ..	९,७८३	ओ० डी० आर०, ६ मील ३ १/२ फ०	..
तिवारीपुर—कैप्टेनगंज ..	६,७५१	ओ० डी० आर०, १० मील ५ १/२ फ०	..

पी० एस० यू० पी०—३९ एल० ए०—१९५२—८३०